खण्ड-237, अंक-7
बुधवार, 21 अग्रहायण, शक संवत् 1884
(12 दिसम्बर, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 237 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७६५–७६९
प्रश्नोत्तर	७६९–७९१
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	७९१
विशेषाधिकार की अवहेलना तथा नियम ५२ की सूचनाएं	७९१
गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा बस्ती जिलों के बाढ़-पीड़ितों के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	७९१–७९८
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना ..	७९९
संसदीय संघ के उद्घाटन के सम्बन्ध में सूचना	७९९
गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२ जैसाकि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (मेज पर रखा गया) ..	७९९
१ अक्तूबर, १९६२ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	७९९–८००
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६२ (पारित) ..	८००–८७३
नत्थियां	८७४–८८४

———

LIBRARY
APR

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १२ दिसम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८४

अक्षयवर्सिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उलफतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नगुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्फत)

जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री

पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बैचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्द्र, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री

रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमारसिंह, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री

शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १२ दिसम्बर, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री धनुषधारी पांडेय का चालान

१—श्री भानुप्रतापसिंह** (जिला बस्ती)—क्या दिनांक ४ सितम्बर के प्रश्न संख्या ६ और ८ के संदर्भ में सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व अभियुक्त विधायक के विरुद्ध मुकद्दमा उठाने का निर्णय किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—यह प्रश्न ४ सितम्बर के प्रश्न ६ और ८ के सन्दर्भ में न होकर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ७—८ के सन्दर्भ में है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के बालूशासन घाट, जिला बस्ती के कैशियर, श्री सन्तप्रसाद और गार्ड श्री सन्तराम तिवारी ने, जिनसे कि घाट-कर देने के सम्बन्ध में भूतपूर्व विधायक से झगड़ा हुआ था, लिखित दरख्वास्तें दी हैं जिन पर विचार करके सरकार द्वारा उस मुकदमे को वापस लेने का निर्णय किया गया।

श्री भानुप्रतापसिंह—क्या मंत्री जी उन दरख्वास्तों को पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे जो उन्होंने दी हैं और अगर वह नहीं हैं तो उनका सारांश ही वह बताने की कृपा करेंगे?

श्री नवलकिशोर---उनका सारांश यह है कि उन्होंने लिख कर दिया कि हम को इस कस में दिलचस्पी या इन्टरेस्ट नहीं है और उसके बाद जूडीशियल सेक्रेटरी यानी लीगल एक्सपर्ट से पूछा गया और जब एवीडेंस देने वालों को ही दिलचस्पी नहीं है तो उसकी कामयाबी की सम्भावना समझी गई।

श्री भानुप्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने सरकार को सन्तुष्ट किस प्रकार किया और क्या उन लोगों पर दवाब डाल कर वह दरख्वास्त नहीं लिखाई गई ?

श्री नवलकिशोर---इसमें कोई दबाव का सवाल नहीं है, उन्होंने स्वयं ही दरख्वास्त भेजी थी।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)---क्या स्वतंत्र पार्टी के लोगों ने इसको पोलिटिकल मामला बना कर और अफसरों को मिला कर इसको चलवाने की कोशिश की है ?

श्री नवलकिशोर---अन्दरखाना क्या बात है यह तो बताना कठिन है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब यह मामला समाप्त हुआ है तो इस मुकदमे की जांच-पड़ताल किस स्टेज में थी ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, यह कोर्ट में शुरू ही हुआ था।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या यह भूतपूर्व विधायक, श्री धनुषधारी पांडेय हैं जिनके विरुद्ध आरोप थे कि उन्होंने कोआपरेटिव और प्लानिंग विभाग का रुपया गबन किया है और उनकी गाड़ियां हजारों मील चलाई हैं और उनके विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि उनके खिलाफ जरूर मुकदमा चलाया जायगा ?

श्री नवलकिशोर---यह जो मुकदमा था वह तो जीप के सम्बन्ध में था, उसमें टौल टैक्स या बैरियर टैक्स की बात थी, कोआपरेटिव की कोई बात इसमें नहीं थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनकी ओर से यह मुकदमा रजिस्टर किया गया था और उन्होंने पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दी थी और अदालत में भी दी थी या सरकार के पास अदालत की तरफ से गई?

श्री अध्यक्ष---अदालत में तो मुकदमा नहीं गया....

श्री नवलकिशोर---यह जो दरख्वास्तें आईं, वह विभाग की मारफत आई हैं।

श्री भानुप्रतापसिंह---यह फैसला लेने के पहले कि मुकदमा उठाया जाय क्या स्थानीय अधिकारियों से भी सलाह ली गई थी ?

श्री नवलकिशोर---इस सम्बन्ध में जितनी फार्मेलिटीज और प्रोसीजर होते हैं वह सब अडाप्ट किये गये।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---जो गलत रिपोर्ट देते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होती है तो जिन्होंने यह मुकदमा दर्ज कराया था क्या उनके खिलाफ वह १८३ की कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ?

श्री नवलकिशोर---इसमें उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह जीप किस विभाग की थी जिस पर श्री धनुषधारी पांडेय जा रहे थे ?

श्री नवलकिशोर---इसकी सूचना नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--- मंत्री जी बतायेंगे अदालत में मुकदमे किस धारा में थे ?

श्री नवलकिशोर---धारा तो इस समय मुझे मालूम नहीं क्योंकि सवाल दूसरे सम्बन्ध में था। मगर इसमें ऐसा है कि जो सरकारी अफसर ड्यूटी पर होते हैं उनके काम में जो इंटरफीयरेंस होता है तो शायद दफा ३५३ दफा लागू होती है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---मंत्री जी बतायेंगे मुलिजम के खिलाफ अदालत में बयानात तक हो गये हैं और जो बयानात गवाहों ने दिये वे सब होस्टाइल डिक्लेयर हो गये हैं ?

श्री नवलकिशोर---इतनी डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं।

तारांकित प्रश्न

मलेरिया उन्मूलन विभाग, जिला रायबरेली

*१---**श्री रतीपाल** (जिला रायबरेली), **श्री पितईराम** (जिला रायबरेली) तथा **श्री राधेश्याम शर्मा** (जिला मथुरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में १९६१-६२ में मलेरिया उन्मूलन विभाग द्वारा कुल कितने गांवों में डी० डी० टी० छिड़की गयी और मलेरिया विभाग की जीप किन-किन कार्यों हेतु १९६१-६२ में कुल कितने मील चली ?

चिकित्सा उप-मन्त्री (श्री धर्मसिंह)---रायबरेली के सभी गांवों में छिड़काव किया जा चुका है।

मलेरिया की दो जीपों में से एक ५,७७९ मील और दूसरी १४,४१८ मील काम की देखभाल के लिये चली।

श्री रतीपाल---मंत्री जी बतायेंगे कि रायबरेली जिले में कितने विकास क्षेत्र हैं और प्रत्येक विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कितने गांव हैं जहां छिड़का गया है ?

श्री धर्मसिंह---कितने ब्लाक्स हैं इसकी सूचना नहीं है। लेकिन रायबरेली में दो यूनिट्स हैं उनके अन्तर्गत २,५४० गांव हैं।

श्री पितईराम---उत्तर में दिया गया कि पहली जीप ५,७७९ मील चली और दूसरी १४,४१८ मील चली तो एक जीप कम क्यों चली ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक इस योजना का सम्बन्ध है दो यूनिट्स हैं एक यूनिट दूसरे जिलों से सम्बन्धित है। जैसा प्रश्न किया है रायबरेली के बारे में तो जो दूसरी यूनिट है उसका सम्बन्ध सुल्तानपुर और बाराबंकी जिलों से भी है इसलिये माइलेज ज्यादा हुआ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---मंत्री जी प्रकाश डालेंगे कि जितने मील गाड़ियां चलीं और उन पर जितना खर्चा हुआ उसको देखते हुए जितना छिड़काव हुआ उस पर जितना पैसा लगा उससे कम है ? यदि हां, तो इसकी जांच करायेंगे ?

श्री धर्मसिंह---कोई आवश्यकता इस बात की नहीं है क्योंकि कोई मामला गड़बड़ी में नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह---रायबरेली जिले में जो दो यूनिटें हैं उनमें पूरे जिले के सभी गांव आ गये हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक गांव में छिड़काव का काम सम्पन्न हो गया है ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है पूरा रायबरेली जिला है और सुल्तानपुर, बाराबंकी का कुछ हिस्सा है और सभी गांवों में छिड़काव हो गया है।

हंसारी ग्राम में हरिजनों को कूप निर्माणार्थ सहायता

*२--श्री लखपतराम शर्मा--क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि १ जनवरी, १९५९ से अगस्त, १९६२ तक ग्राम हंसारी, जिला झांसी में सरकार द्वारा वहां के हरिजनों को पानी पीने के कुएं बनाने के लिए तथा कुओं की मरम्मत के लिए कर्जों अथवा अनुदानों के रूप में कितना रुपया दिया गया और कितने कुयें नये बने और कितने पुराने कुओं की मरम्मत हुई ?

समाज कल्याण उप-मन्त्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)--सूचना एकत्र की जा रही ह ।

श्री लखपतराम शर्मा--कई महीने पहले यह सवाल किया गया था, कब तक यह सूचना इकट्ठा हो जायगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--पौने दो महीने के लगभग इस प्रश्न को किये हुए हुए हैं। यह इतना विस्तृत प्रश्न है कि इसके लिये आंकड़े इकट्ठा करने में समय अवश्य लगेगा।

श्री अध्यक्ष--कब तक एकत्र होने की आशा है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--चेष्टा की जा रही है कि जल्दी से जल्दी सूचना एकत्र हो जाय।

*३-४--श्री सुखलाल--[हटा दिये गये ।]

मथुरा जिले में हरिजन कूप

*५--श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा के हरिजनों के लिए सन् १९५२ से अब तक पानी पीने के लिए कितने कुओं का निर्माण किया जा चुका है और वह किन-किन गांवों में व कस्बों में हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--कुल १५० कुओं का निर्माण हो चुका है। सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८७४-८७५ पर)

*६--श्री लखीसिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में पानी पीने के कुएं हरिजनों के लिये समस्त तहसीलों में बना दिये जायेंगे ? यदि हां, तो एक कुएं के लिए सरकार कितने रुपये की सहायता देती है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--यह निर्णय किया गया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक कोई भी हरिजन बस्ती ऐसी नहीं बचेगी कि जिसमें पीने के पानी का प्रबन्ध न हो जाय। किन्तु तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कटौती होने के कारण अब ऐसा करना सम्भव नहीं जान पड़ता ।

अनुदान के सम्बन्ध में अब यह निश्चय किया गया है कि हरिजनों से २०० रु० से ज्यादा नकद, श्रम व सामान के रूप में नहीं लिया जायेगा। शेष धन हरिजन सहायक विभाग द्वारा अतिरिक्त सरकारी अनुदान से दिया जायेगा।

श्री लखीसिंह--यह विकास खंड के कुओं की जो संख्या दी गयी है इसमें असमानता का क्या कारण है ? एक विकास खंड नन्दगांव है। उसमें छाता क्षेत्र है, दो कुएं हैं और उसमें १९५७-५८ व १९५८-५९ में एक कुआं बनाया गया। फिर १९६१-६२ में एक गांव में कुआं बनवाया गया सारे विकास खंडों के गांवों में जहां ५,५ हजार की आबादी के गांव हैं उनमें हरिजनों की संख्या ज्यादा है तो क्या कांग्रेसियों के ही गांवों में ज्यादा कुएं बनवाये जाते हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---जिले के स्तर पर हरिजन सहायक समिति इस का निर्णय लेती है और उसी के मुताबिक ये कुएं बनते हैं।

श्री लखीसिंह---नन्दगांव विकास खंड में जारऊ और खोदपुर कौन से गांव हैं जो उत्तर में दिये गये हैं तो क्या यह उत्तर हमें बहकाने के लिये दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---नक्शा यहां नहीं है।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)---यह प्रश्न पूरे सूबे से सम्बन्धित है। मैं यह जानना चाहूंगा कि कुओं की निर्माण योजना सरकार की तरफ से बनाई गयी है और उसमें हर ब्लाक को तकरीबन दो कुएं दिये जाते है जिससे कि कुओं की संख्या की बिल्कुल कमी है। क्या सरकार कुआं निर्माण योजना पर फिर से विचार करेगी कि कुओं की संख्या बढ़ा दी जाय ताकि हरिजनों के पानी पीने की योजना जो पूरी नहीं हो पायी है वह पूरी हो जाय ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---जैसा मैंने निवेदन किया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पानी पीने के कुओं की समस्या को पूर्ण रूप से हल करने का विचार था सरकार का, लेकिन अब कटौती के कारण शायद कुछ कुएं फिर भी रह जायं। बाकी चेष्टा यही की जा रही है कि हरिजनों के पानी पीने के कुएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में बनाये जायं।

श्री राधेश्याम शर्मा---मथुरा जिले की जो लिस्ट हरिजनों के कुओं की आयी है यह गलत है ऐसी मैं आपको सूचना देता हूं। क्या माननीय मंत्री जी दोबारा सर्वे करा के सही उत्तर देने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---जिले के स्तर पर कौन गांव कहां है यह सरकार से ज्यादा माननीय सदस्य जानते होंगे। अगर किसी खास गांव की ओर वह ध्यान दिलायेंगे तो मैं अवश्य जांच कराऊंगी।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)---हरिजनों के लिये प्रत्येक ब्लाक में दो कुएं का जो प्राविजन रखा गया है उसे समाप्त करके सरकार इस तरफ कोई प्रयास करेगी कि उनके लिये अलग कुएं न बना कर सार्वजनिक कुओं पर ही वे पानी भरें ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---सरकार की नीति तो यही है कि जो पहले के कुएं हैं उन्हीं से वे पानी लिया करें, लेकिन बाज जगह हरिजनों की बस्ती से बहुत दूर वे कुएं पड़ते हैं इसलिये हरिजनों के लिये कुएं बनाये जा रहे हैं।

श्री लखीसिंह---मैं सही कहता हूं अपने जिले के एक एक गांव और नगले को मैं जानता हूं। यह बिलकुल सही है कि नन्दगांव विकास खंड में जारऊ और खोदपुर नाम के कोई गांव नहीं हैं। तो क्या मंत्री जी सही उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---माननीय मंत्री जी कह चुके कि अगर कोई गलती हो गयी हो तो आप कृपा कर के उनसे मिल लें ताकि उस सम्बन्ध में वे जांच करा लें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---यूनेस्को की हेल्थ सर्विस ने दुनियां की सरकारों को और हिन्दुस्तान की सरकार को भी यह सूचना दी है कि आज की दुनियां में कुओं का पानी पीना वैज्ञानिक नहीं है और उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की सरकार भी यहां कुएं खुदवाना बन्द कर के हैंड पम्प या ट्यूबवेल की व्यवस्था करा रही है। तो क्या मंत्री महोदय इस बात का प्रबन्ध करायेंगे कि हरिजनों की बस्ती में कुएं खुदवाने के बजाय हैंड पम्प या ट्यूबवेल से पानी की व्यवस्था की जाय ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---जहां हैंड पम्प लगाया जा सकता है वहां हरिजन विभाग की ओर से हैंड पम्प ही लगाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है।

बाराबंकी जिले में सेनेटरी इंस्पेक्टर

*७—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी के अन्तर्गत ब्लाक सैनेटरी इन्स्पेटरों द्वारा अलग-अलग फूड मिलावट तथा सैनिटेशन में दिनांक १ अप्रैल, १९६१ से ३० मार्च, १९६२ तक कितने चालान किये गये ?

*८—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील रामसनेही घाट के अन्तर्गत सभी ब्लाक सैनिटरी इन्स्पेक्टरों को गैंग मैन प्राप्त हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

*९—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में कितने ब्लाक सैनिटरी इन्स्पेक्टर हैं और किस सैनिटरी इन्स्पेक्टर के अन्तर्गत कौन-कौन ब्लाक हैं तथा कितने समय से वह एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—इसके पहले भी यह सवाल पूछा गया था तो बजाय रामसनेहीघाट के हैदरगढ़ तहसील का बता दिया। कम से कम पांच महीने हो चुके हैं और अब आप कह रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है। कौन सा सैनिटरी इंस्पेक्टर कितने दिन से कम काम कर रहा है यह बताने में कौन सी देर लगेगी ? अब यह सूचना कब तक एकत्र हो जायगी ?

श्री धर्मसिंह—पहले जो मुकुटबिहारीलाल जी ने प्रश्न किया था उस सम्बन्ध में जो सूचना आयी थी उसके वेरिफिकेशन में कुछ समय लगेगा। अब भी सूचना प्राप्त हो गयी थी, लेकिन चूंकि सरकार संतुष्ट नहीं थी। पहले प्रश्न पूछा जा चुका था इसलिये यह कह दिया गया कि सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में गड़बड़ी थी यह उन्होंने कहा है वह यह क्यों नहीं कहते कि उत्तर में गड़बड़ी थी ? रामसनेहीघाट का प्रश्न पूछा गया और हैदरगढ़ का जवाब दिया गया।

श्री अध्यक्ष—कहीं गड़बड़ी थी जरूर।

श्री मुकुटबिहारीलाल—अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि मंत्री जी सही उत्तर देना नहीं चाहते हैं। २० साल से सैनीटरी इंसपैक्टर काम कर रहा है उसे छिपाया गया है और रामसनेहीघाट का प्रश्न पूछा गया और हैदरगढ़ का उत्तर दिया गया। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कब तक उत्तर प्राप्त हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह—जल्दी सूचना एकत्र किये जाने की कोशिश की जा रही है और सरकार ने मान लिया था कि इसमें कुछ गड़बड़ी मालूम होती है और इसी वजह से देरी हो गई है कि पूरी सूचना नहीं मिल पाई है।

*१०-१२—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—[१७ वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

तुलसीपुर विकास खंड में थारुओं के लिये अनुदान

*१३—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या यह सही है कि छाया क्षेत्र, तुलसीपुर, गोंडा को जो ग्रान्ट दिया गया वह भूल से थारुओं के नाम से है जबकि इस क्षेत्र में एक भी थारू नहीं है ? तो क्या सरकार जांच करा कर पूरी ग्रान्ट हरिजन व विमुक्त जातियों के नाम से देने की कृपा करेगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---उक्त क्षेत्र में हरिजन एवं विमुक्त जातियों तथा थारुओं तथा दोनों के लिये अलग-अलग अनुदान स्वीकृत किये गये थे। चूंकि उक्त क्षेत्र में थारू नहीं रहते अतः उनके कल्याण के लिये स्वीकृत अनुदान जिले के अन्य विकास क्षेत्रों में, जहां थारू रहते हैं, स्थानान्तरित किया जा रहा है। थारुओं के लिये स्वीकृत अनुदान हरिजन तथा विमुक्त जातियों के नाम से देना सम्भव नहीं है।

श्री सुखदेवप्रसाद---श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि जो थारू जाति का अनुदान तुलसीपुर विकास क्षेत्र में दिया गया था उसमें क्या हरिजनों का हिस्सा था ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---जी नहीं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कोई ऐसी सूचना थी कि उस क्षेत्र में थारू रहते हैं या बिना सूचना के ही रकम एलाट कर दी गयी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---अध्यक्ष महोदय, जिला समिति ने ऐसा गलत निर्णय लिया कि इस क्षेत्र में थारू नहीं रहते थे। इस क्षेत्र में यह धन दिया गया था। अब उसको उन ब्लाकों में दिया जा रहा है जहां थारू जाति रहती है।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ग्रांट मंजूर हुई जहां थारू जाति नहीं थी तो क्या वहां के हरिजनों के लिये नई ग्रांट मंजूर हुई ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---दूसरी जातियों के लिये साथ-साथ ही मंजूर हुई थी। यह अनुदान केन्द्रीय सरकार से आता है केवल थारू जाति के लिये और उसी पर यह धन खर्च किया जा सकता है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ग्रान्ट विकास क्षेत्र के अनुसार बंटी है या जाति के अनुसार बांटी गई ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---ग्रांट ब्लाक स्तर पर ही बंटी। जिन ब्लाकों में थारू नहीं रहते थे वहां यह धन दे दिया गया जो केन्द्रीय सरकार से थारू जाति के लिये आता है, लेकिन यह खर्च नहीं किया गया क्योंकि वहां यह जाति रहती नहीं थी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---यह गलत अनुदान वापस हुआ या दूसरी जगह भेजी गया और यह कितना था ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---अनुदान कितना था इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी, लेकिन जहां थारू जाति रहती है वहीं खर्च किया गया।

इटावा जिले में हरिजनों को सहायता

*१४---**श्री रामसिंह** (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के हरिजन सहायक विभाग से १९६०-६१ में और १९६१-६२ में किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी सहायता दी गयी ?

समाजकल्याण मन्त्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)---सूची† संलग्न है।

*१५---**श्री रामसिंह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में १९६०-६१ व १९६१-६२ में कितनी सहायता मकान बनाने हेतु अनुसूचित जातियों को दी गयी, उसमें कितनी मेहतरों को दी गयी ?

---

†छापी नहीं गई है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--सन् १९६०-६१ एवं १९६१-६२ में क्रमशः ४१, ८०० रु० तथा ७३,००० रु० दिये गये हैं। मेहतरों को अलग से कोई अनुदान नहीं दिया गया।

अनाथालय, महिला आश्रम

*१६--**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने अनाथालय व महिला आश्रम हैं जिन को सरकार अनुदान तथा सहायता देती है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--चूंकि इस प्रकार की संस्थाओं को सरकार द्वारा कोई आवर्तक अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है अतः उनकी निश्चित संख्या बताना सम्भव नहीं है।

*१७--**श्री मुरलीधर कुरील**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह इन अनाथालय व महिला आश्रमों को कितना धन अनुदान व सहायता के रूप में प्रतिवर्ष देती है और इन में बच्चों व महिलाओं की कितनी संख्या है जो लाभ उठा रहे हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--ऐसी संस्थाओं को प्रति वर्ष कोई आवर्तक अनुदान देने की योजना नहीं है। अनावर्तक अनुदान के लिये समाज कल्याण के बजट में ५०,००० रु० का प्राविधान विधवा आश्रमों और अनाथालयों के लिये है। साथ ही अन्य समाज कल्याण संबंधी संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान के २,२९,००० रु० के प्राविधान से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि की भी व्यवस्था कर ली जाती है। गत वित्तीय वर्ष अनावर्तक रूप से ४० संस्थाओं को ९२, ७५० रु० अनुदान के रूप में स्वीकृत किए गए थे और उनमें लाभ उठाने वाली महिलाओं व बच्चों की अनुमानतः संख्या १,४६० थी।

श्री मुरलीधर कुरील--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो २ लाख २९ हजार अन्य समाज कल्याण सम्बन्धी संस्थाओं को मिलने वाला है यह कौन सी संस्थायें हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--बहुत सी और संस्थाएं हैं जो बालकों और स्त्रियों को लाभ पहुंचाती हैं उन संस्थाओं को यह धन दिया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन संस्थाओं को जिन को अनुदान दिया जाता है इन में बच्चों और महिलाओं को कोई विशेष प्रकार की शिक्षा भी दी जाती है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--जहां तक महिलाओं की संस्थाओं का प्रश्न है उन्हें दस्तकारी का डिप्लोमा भी दिलवाया जाता है और बच्चे प्रि-प्राइमरी शिक्षा के रूप में शिक्षा पाते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इन अनाथालयों में जो बच्चे रहते हैं सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था है कि इन बच्चों को शिक्षा में अनिवार्य रूप से मदद दी जाय ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--ऐसा कोई नियम तो नहीं है, लेकिन जिन-जिन अनाथालयों को अनुदान दिया जाता है उनकी आवश्यकतानुसार देखते हुए तब उनको अनुदान दिया जाता है।

कानपुर में परिवार नियोजन केन्द्र

*१८—श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर शहर में कितने Family Planning Centres हैं ? इन में कितने महापालिका द्वारा चलाये जाते हैं और कितने निजी clinics हैं ?

*१९—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन परिवार नियोजन केन्द्रों से कानपुर में १९६०–६१ में कितने स्त्री तथा पुरुषों ने लाभ उठाया ?

*२०—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस योजना के अन्तर्गत जो आपरेशन हुये हैं उन में पिछले पांच वर्षों में कानपुर में स्त्रियों तथा पुरुषों की क्या संख्या रही है ?

श्री धर्मसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानते हुए कि हमारी पंच-वर्षीय योजना की सफलता में, और प्रदेश की प्रगति में बढ़ती हुई आबादी कितनी बड़ी बाधा सिद्ध हो रही है और इस लिए फैमली प्लानिंग का कितना बड़ा महत्व है क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेगें कि इतना साधारण डाटा इकट्ठा करने में इतना समय क्यों लगा ?

श्री धर्मसिंह—इसमें साधारण नहीं है । महापालिका ने अभी तक उत्तर नहीं दिया । इसके अवाला पांच साल का रेकार्ड मांगा है । १९६०–६१ में कितने पुरुष और स्त्रियों ने लाभ उठाया लम्बी चौड़ी इनफार्मेशन थी इस लिये प्राप्त नहीं हो सकेगी ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन की योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से कितनी ग्रांट मिली है, कितनी हम यूटिलाइज करते हैं और कितना लैप्स हो जाती है ?

श्री अध्यक्ष—क्या आप यह चाहती हैं कि यह सवाल अब न आये ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—जी वह तो चाहती हूं कि अवश्य आये ।

श्री अध्यक्ष—तो स समय और सवाल करियेगा तो फिर नहीं आयेगा ।

एक सदस्य—एक पालिसी का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष—वह फिर आयेगा । १५ दिन बाद वह फिर आयेगा ।

लखनऊ जिले के सहायक बिक्री-कर अधिकारी

*२१—**श्री दुर्योधन** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिले में कितने ऐसे असिस्टेंट सेल्स टैक्स आफिसर हैं जिनको तीन साल से अधिक समय हो गया है पर अभी तक स्थानान्तरण नहीं किये गये ?

वित्त उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)— एक ।

*२२—**श्री दुर्योधन**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तीन साला तबादले का कानून इन पर लागू होता है या नहीं होता ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—यह नियम राजपत्रित अधिकारियों पर लागू होता है यद्यपि सहायक बिक्री कर अधिकारी राज-पत्रित अधिकारी नहीं हैं तथापि उन पर भी इस नियम का पालन यथासम्भव किया जाता है ।

श्री दुर्योधन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन से असिस्टेंट सेल्स टैक्स आफिसर हैं जिन्हें तीन साल से अधिक लखनऊ में रखा गया है?

श्री जयराम वर्मा---उनका नाम है श्री एस० पी० श्रीवास्तव।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सज्जन जो इतने दिन से लखनऊ में रखे गए हैं इनके खिलाफ कोई शिकायत सरकार को मिली है? यदि मिली है, तो उन शिकायतों में क्या-क्या मुख्य चीजें हैं?

श्री जयराम वर्मा---इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे कि अगर एस०-पी० श्रीवास्तव साहब बहुत अच्छे आदमी हैं तो पूरा प्रदेश उनकी अच्छाई से लाभ उठावे और अगर गड़बड़ी करते हैं तो एक ही शहर उनकी गड़बड़ी का नुक्सान क्यों उठाता रहे इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए उनका अब अविलम्ब स्थानान्तरण कर देंगे?

श्री जयराम वर्मा---मैंने बताया कि यथासम्भव उस नियम का पालन किया जाता है और अभी उनको कुल साढ़े तीन वर्ष हुए हैं। चार वर्ष पूरा होते होते उनका ट्रांसफर हो जायगा।

हमीरपुर जिले में हरिजन कूप

*२३---**श्री मदनपालसिंह** (जिला मिर्जापुर)---क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर में कितने हरिजनों के पानी पीने के लिये कुएं प्रत्येक विकास क्षेत्र में बनवाये गये?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---सूचना एकत्र की जा रही है।

कच्चे आढ़तियों पर बिक्री-कर

*२४---**श्री चिरंजीलाल जाटव** (जिला एटा) (अनुपस्थित)---क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सेल्स टैक्स से कच्चा आढ़ती बरी है या नहीं?

वित्त मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स ऐक्ट के अन्तर्गत कच्चे अथवा पक्के आढ़तियों को व्यापारी से पृथक कोई मान्यता नहीं प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह जिस नाम से पुकारा जाय, यदि वह ऐक्ट की धारा २(ग) में इंगित रूप से व्यापार करता है तो वह कर का देनदार माना जायगा, अन्यथा नहीं।

*२५---**श्री चिरंजीलाल जाटव** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कच्चे आढ़तियों के ऊपर जो सेल्स टैक्स लगा था उसमें उत्तर प्रदेश में केवल दो ही जिले मेरठ, बुलन्दशहर को ही क्यों स्टे दिया गया है? इसका क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरठ तथा बुलन्दशहर के कच्चे आढ़तियों की प्रार्थना पर उनको स्टे दिया गया था। अब यह स्टे वापस ले लिया गया है। इस समय ऐसा कोई भी जिलेवार स्टे लागू नहीं है।

*२६---**श्री चिरंजीलाल जाटव** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३० जुलाई, १९६२ को विधान परिषद् में वित्त मन्त्री ने अपना वक्तव्य दिया है कि कच्चे आढ़ती सेल्स टैक्स से बरी हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आदेश कब तक भेजे जायेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---३०-७-६२ को विधान परिषद् की कोई बैठक नहीं हुई थी, अतः उस दिनांक को परिषद् में किसी प्रकार का वक्तव्य देने का प्रश्न ही नहीं था।

जाल्हूपुर कोआपरेटिव यूनियन सम्बन्धी चुनाव

*२७—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जाल्हूपुर कोआपरेटिव यूनियन, वाराणसी से सम्बन्धित २१ दिसम्बर, १९५८ के जाल्हूपुर के डेलीगेट चुनाव को ३० जनवरी, १९६० को एडीशनल असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटी, वाराणसी ने बहैसियत आर्बीट्रेटर के अवैध व जाली घोषित किया था और फैसले के विरुद्ध अपील १५ अक्तूबर, १९६० को खारिज हुई थी ?

न्याय मन्त्री व सहकारिता मन्त्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—जी हां । जाल्हूपुर कोआपरेटिव यूनियन, वाराणसी से सम्बन्धित २१-१२-५८ के डेलीगेट चुनाव को आर्बीट्रेटर ने ३० जनवरी, १९६० को अवैध व जाली घोषित किया था।

आर्बीट्रेटर के इस निर्णय के विरुद्ध अपील अभी उप-निबन्धक, वाराणसी के विचाराधीन है।

*२८—श्री गयाप्रसाद—यदि हां, तो क्या वह फैसला लागू किया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार फैसले को जल्द लागू करेगी ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—अपील विचाराधीन होने के कारण इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री गयाप्रसाद—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि आखिर उस अपील की सुनवाई में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—अपीलें बहुत सी होती हैं और नम्बरवार उनकी सुनवाई होती है। जल्दी ही इसकी सुनवाई भी हो जायगी।

श्री गयाप्रसाद—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तरह से अवैधानिक रूप से जो डेलिगेट चुना गया उनका नाम क्या है और वे किस पार्टी से संबंधित हैं ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—हिम्मतबहादुरसिंह उनका नाम है और किसी पार्टी से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—इस बात को देखते हुये कि दो साल से ज्यादा हो गया और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई तो अब माननीय मन्त्री जी कोई सीमा लगायेंगे उस कार्यवाही को पूरा करने के लिये, क्या इससे सदन को आश्वस्त करेंगे ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—बहुत जल्द इसका फैसला हो जायगा।

बांदा जिले में हरिजन कूप

*२९—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में हरिजनों के पानी पीने के वास्ते कितने कुएं सन् १९६१-६२ में कहां-कहां बने और उसके लिये जिला हरिजन समाज कल्याण विभाग को सन् १९६१-६२ में कितने रुपये सरकार ने अनुदान में दिये ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री मतोलासिंह—क्या माननीय मन्त्राणी जी बतलायेंगी कि यह सूचना कब तक आ जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—बहुत जल्द आ जायेगी।

रायबरेली जिले में ईंट के भट्टे

*३०—श्री रतीपाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि रायबरेली जिले में डी० सी० एफ० ने अपने ईंट के भट्ठों की एजेंसी उन्हीं ठेकेदारों को दी है जो कि ईंटों की पथाई भी करते हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री चन्द्रसिंह रावत—जी हां।

ऐसा करने का कारण यह बताया जाता है कि कुछ भट्ठों के वैतनिक सेल्समैनों के विरुद्ध गबन आदि के आरोप पाये गये जिससे फेडरेशन को काफी हानि हुई। इसके अतिरिक्त वैतनिक सेल्समैनों के स्थान पर सेल्स एजेंसी देना फेडरेशन के हित में अनुभव किया गया। किन्तु अब जिला सहकारी संघ के निर्णयानुसार यह पद्धति इस वर्ष से समाप्त की जा रही है तथा अब वैतनिक सेल्समैन नियुक्त किये जायेंगे।

*३१—श्री ईश्वरशरण तथा श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—[वापस ले लिया गया।]

हरिजन पाठशाला टेंउगा को अनुदान न मिलना

*३२—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन पाठशाला टेंउगा, जिला आजमगढ़ की सन् १९६१-६२ की ग्रांट अब तक नहीं मिली है? यदि हां, तो उसका कारण क्या है?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—हरिजन पाठशाला टेंउगा, जिला आजमगढ़ आवर्तक अनुदान की सूची पर नहीं है। अतः वार्षिक रूप से १९६१-६२ का अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठा।

धनाभाव के कारण १९६१-६२ में इस विद्यालय को अनावर्तक ग्रान्ट भी स्वीकृत नहीं की गई।

श्री दौलतलाल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक सूचना न आने का क्या कारण है?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—यह बहुत विस्तृत प्रश्न है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या समाज कल्याण मन्त्राणी जी को ज्ञात है कि १९६१-६२ से पहले इस संस्था को ४०० रुपया वार्षिक अनुदान मिलता था और यदि मिल रहा था, तो उस को बन्द करने का क्या कारण है?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इस संस्था को १९६०-६१ में बचत में से ४०० रुपये का अनावर्तक अनुदान दिया गया था। अब भी अगर साल के अन्त में कुछ धन की उसमें से बचत होगी तो दिया जा सकता है। लगातार इस संस्था को कभी अनुदान नहीं मिला।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या समाज कल्याण मन्त्री बतलायेंगे कि वह कौन-कौन-सी शर्तें हैं जिन शर्तों के आधार पर हरिजन संस्थाओं को दान दिया जाता है और उन शर्तों को यह संस्थायें पूरा करती हैं या नहीं?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—यह संस्थायें उन शर्तों को पूरा करती हैं या नहीं इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—मन्त्राणी जी बतायेंगी कि कितनी ऐसी हरिजन पाठशालायें हैं कि जिनका अनुदान धनाभाव के कारण रोक दिया गया है?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---धनाभाव के कारण जो आवर्तक अनुदान की लिस्ट में नहीं थे उनको नहीं दिया गया। जिस वर्ष बजट में कुछ पैसा बच जाता है, ऐसी संस्थाओं को दे दिया जाता है जैसे ४०० रुपये १९६१-६२ में इसे दे दिया गया था।

श्री ऊदल---क्या सरकार जिस प्रकार अनावर्तक अनुदान इस संस्था को १९६१-६२ में मिल गया था उसी प्रकार हमेशा अनावर्तक अनुदान देने की कृपा करेगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---जैसा मैंने निवेदन किया, साल के अन्त में अगर धन बचेगा तो अवश्य देने की चेष्टा की जायगी।

***३३---श्री श्रीराम** (जिला बिजनौर)---[हटा दिया गया]

***३४-३६---श्री सुरजनराम विशारद** (जिला आजमगढ़)---[१६वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ४३-४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जिला सहकारी विकास संघ, फर्रुखाबाद का बकाया

***३७---श्री होरीलाल यादव** (जिला इटावा)---क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के डी० सी० डी० एफ० में करीब ८० हजार रुपया ऐसा वसूल करने को पड़ा है, जो ऐसे सहकारी समितियों तथा व्यक्तियों को दिया गया, जिनका अस्तित्व नहीं है ? यदि हां, तो उपरोक्त रकम को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चन्द्रसिंह रावत---जिला सहकारी विकास संघ लि०, फर्रुखाबाद में करीब ९०,६८३ रुपये ५४ नये पैसे बकाये का वसूल करने को पड़ा है जो सहकारी समितियों तथा व्यक्तियों को दिया गया था जिसकी वसूली की कार्यवाही की गई, लेकिन अब तक वसूल न हो सका।

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रुपया वसूल होने में इसलिये दिक्कत पड़ रही है कि रुपया दिया गया है ऐसी सोसाइटियों को जिनका अस्तित्व ही नहीं है ?

श्री चन्द्रसिंह रावत---बहुत हद तक यह बात सही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लापता हो गये हैं।

श्री होरीलाल यादव---क्या माननीय मन्त्री जी उन व्यक्तियों और सोसाइटियों के नाम सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे जिनके पास बकाया बाकी पड़ा है ?

श्री चन्द्रसिंह रावत---इसी की लिस्ट आपको दी गयी है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---मान्यवर, बतलाया गया कि वसूली की कार्यवाही की गई फिर भी वसूल नहीं हुआ। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन व्यक्तियों या फर्जी सोसाइटियों को जिन अधिकारियों ने कर्ज देने की सिफारिश की थी उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रसिंह रावत---गलत कर्ज देने से जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी सम्बन्धित हैं उन सबके खिलाफ अनिवार्यतः कार्यवाही की जायगी और की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सहकारिता मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह हजारों रुपये का गोलमाल है और जिन-जिन व्यक्तियों का पता नहीं चल रहा है उनको कर्ज किस सन् में दिया गया था तो सरकार या अधिकारियों को कब मालूम हुआ कि यह कर्ज गलत तरीके से दिया गया है ?

श्री चन्द्रसिंह रावत---यह १९५१ से १९५६ या १९५७ तक बराबर दिया गया और बहुतसी सोसाइटियों में ऐसा हुआ और उनको लिक्विडेट करना पड़ा वरना बाकी फंड्स भी हजम हो जाते ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---जैसा मन्त्री जी ने स्वीकार किया, बहुत सी गड़बड़ियां हैं और यह बात एक ही जिले में नहीं बल्कि प्रदेश के तमाम जिलों में है, तो गलत तरीके से जो पैसा ले लिया जाता है और अधिकारी दे देते हैं.....

श्री मैनेजरसिंह---मैं इस पर आप की व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय दत्त जी बराबर बात कर रहे हैं और आप के इशारे पर भी नहीं मान रहे हैं .....

श्री अध्यक्ष---दत्त जी, वह कह रहे हैं कि आप यहां बैठ कर कोई किताब पढ़िये या सुनिये ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, इस प्रकार की गड़बड़ियां एक नहीं, तमाम जिलों में हैं । तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने की सोच रही है कि जो सोसाइटियां गलत तरीके से कर्ज ले लेती हैं और अदायगी नहीं कर पातीं, उनके लिये कोई उचित व्यवस्था हो ?

सहकारिता मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---जो गड़बड़ियां नोटिस में आती हैं उन पर कार्यवाही की जाती है । इतना बड़ा काम है, उसमें कहीं कहीं इस प्रकार की बात हो जाती है और उसके लिये उचित कार्यवाही की जाती है, लेकिन यह कोई आम चीज नहीं है । हर जिले में ऐसा नहीं है ।

श्री ऊदल---इस बात को देखते हुये कि प्रांतीय कोआपरेटिव फेडरेशन का करीब ५।। करोड़ रुपया पुराना बाकी नहीं वसूल हुआ, जो कर्जा इस तरह से दिया गया हर जिले को, इसके अलावा जिलों का और भी रुपया इस तरह से गड़बड़ी में पड़ा हुआ है क्या सरकार इस तरह की कोई व्यवस्था करेगी कि जो धन एक सीमित दायरे में दिया जाता है, एक दो साल के लिये, उसके अन्दर वह रुपया वसूल कर लिया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---श्रीमन्, यह जो आंकड़े माननीय सदस्य ने दिये हैं मैं नहीं समझता हूं कि कहां से लिये हैं । परन्तु वसूली की हर साल कोशिश की जाती है और वह बहुत अच्छी होती है, और बकाया ऐसा ज्यादा नहीं है ।

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार उस सोसायटी या उस व्यक्ति का नाम बताने की कृपा करेगी कि जिसके पास सबसे ज्यादा रकम बाकी पड़ी हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह तो लिस्ट आपके पास है उसमें दिया हुआ है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, वह लिस्ट कहां दी हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---श्रीमन्, यह श्रीकृष्ण कोआपरेटिव सोसायटी, फैजाबाद-ख इनको १७,९१६ रुपया दिया गया था । इसका अधिकार लिया जा चुका है और यह मुन्सिफ की अदालत में है, उन्होंने यह दावा दायर कर दिया और इसीलिये इसकी वसूली रुकी हुई है ।

इलाहाबाद से कोआपरेटिव सुपरवाइजरों का हटाया जाना

*३८---**श्री बंशीलाल** (जिला इलाहाबाद), **श्री मैनेजरसिंह** तथा **श्री नैनसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद में कितने अन्ट्रेन्ड कोआपरेटिव सुपरवाइजर सन् १९६२ में सर्विस से निकाले गये ? वे इस विभाग में कितने दिनों से काम कर रहे थे ?

श्री चन्द्रसिंह रावत---वर्ष १९६२ में, इलाहाबाद में २९ अस्थाई पर्यवेक्षकों की सर्विस समाप्त की गई। उनमें से एक पर्यवेक्षक सन् १९५८ व २ पर्यवेक्षक सन् १९५९ तथा शेष एक वर्ष के अन्दर की अवधि के थे।

*३९---**श्री बंशीलाल, श्री मैनेजरसिंह** तथा **श्री नैनसिंह**---क्या सरकार अन्ट्रेन्ड कोआपरेटिव सुपरवाइजरों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री चन्द्रसिंह रावत---वर्तमान समय में यू०पी० कोआपरेटिव यूनियन के पास पर्याप्त प्रशिक्षित पर्यवेक्षक उपलब्ध होने के कारण अनट्रेन्ड कोआपरेटिव सुपरवाइजरों को ट्रेनिंग देने की कोई व्यवस्था किये जाने की कोई सम्भावना निकट भविष्य में नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जो हटाये गये हैं, उनको भविष्य में जब मौका मिलेगा फिर से लेने की ओर कोई ध्यान दिया जायगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा---हमारे पास ट्रेंड आदमी काफी हैं तो अनट्रेंड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भविष्य में फिर कभी रिइंगेज करने का मौका आया तो जो अनट्रेन्ड लेने लगेंगे, तो उनमें से जो अच्छे होंगे, उनको मौका दिया जा सकता है।

उन्नाव सहकारी बैंक कोष में कमी

*४०---**श्री देवदत्त मिश्र** (अनुपस्थित) तथा **श्री श्रीराम तिवारी** (जिला उन्नाव)---क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि गत १६ अक्तूबर को जिलाधीश, उन्नाव के आदेशानुसार जिला सहकारिता अधिकारी ने उन्नाव सहकारी (टाउन) बैंक के एकाउन्ट की जांच की?

श्री चन्द्रसिंह रावत---जी हां।

*४१---**श्री देवदत्त मिश्र** (अनुपस्थित) तथा **श्री श्रीराम तिवारी**---क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि उक्त जांच के परिणाम स्वरूप बैंक कोष में प्रायः चार हजार रुपये कम पाये गये? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री चन्द्रसिंह रावत---जी हां। जिलाधीश उन्नाव ने जांच की है। उनकी रिपोर्ट सरकार को हाल ही में प्राप्त हुई है जो सरकार के विचाराधीन है।

श्री श्रीराम तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इस कमी के लिये जिलाधीश ने किसको जिम्मेदार ठहराया? वह रुपया कहां चला गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा---दो तीन रकमें ऐसी थीं जो मैनेजिंग डाइरेक्टर साहब के आर्डर से दी गयीं। एक सबसे बड़ी रकम ३,८०० रुपये की थी, राजनारायण तिवारी ने कोई चेक दिया, उसकी बेसिस पर मैनेजिंग डाइरेक्टर ने आर्डर दिया। इस वजह से गड़बड़ी हुई।

श्री श्रीराम तिवारी---क्या इसकी सूचना माननीय मन्त्री जी को है कि इन्हीं राजनारायण तिवारी को पहले भी एक चेक १२-१-६१ को मैनेजिंग डाइरेक्टर के आदेश से ६०० रुपये के चेक पर ४०० रुपये दिये गये थे जिसकी सूचना भी जिलाधीश महोदय को दी गयी कि एक डाइरेक्टर करुणाशंकर दीक्षित ने यह आदेश दिया है और उस सूचना के साथ एक फोटो भी लगाई थी जिसकी कि कोई एन्ट्री रेकार्ड्स में नहीं है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसका जिक्र कलेक्टर की रिपोर्ट में जरूर है, लेकिन अभी इस पर पूरी जांच की जायेगी, उसके बाद ही जवाब दे सकता हूं।

श्री श्रीराम तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी कलेक्टर की रिपोर्ट को सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रसिंह रावत---इसकी जरूरत नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि ६०० रुपये के चेक में से ४०० रुपये दिये गये जिसकी ऐन्ट्री भी नहीं है, उसकी जांच कब तक करायेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने यह अर्ज किया कि जिलाधीश की रिपोर्ट आयी है, उसमें इसका जिक्र है। उसमें उन्होंने अपनी डेफिनेट ओपीनियन नहीं दी है, अब उसी की जांच करानी है। मैनेजिंग डाइरेक्टर भी तो पब्लिक का ही एक आदमी है। मैं इतना बता दूं कि जहां पर जिसका भी दोष होगा उसको सजा दी जायेगी।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी उसकी कोई स्पेशल आडिट जांच करायेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आडिट तो होता रहता है और इसकी जांच तो स्पेशल तरीके से की जा चुकी है। जहां भी स्पेशल आडिट की जरूरत होगी वह भी करा ली जायेगी।

इलाहाबाद कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन के विरुद्ध शिकायत

*४२—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद महापालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो इलाहाबाद कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन के दूध के सैम्पिल १९५९ से १९६२ तक ४६ लिये गये थे उसमें कितने sample ठीक पाये गये तथा कितनों में खराबी पायी गयी ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—४६ सेम्पुलों में से Public Analyst की रिपोर्ट के अनुसार ४३ सेम्पुल खराब पाये गये। शेष ३ सेम्पुलों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

*४३—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद महापालिका ने इलाहाबाद कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन के दूध के बेचने का लाइसेंस समाप्त करने के लिये लिखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—इस सम्बन्ध में इलाहाबाद नगरमहापालिका ने इलाहाबाद कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन को कोई सूचना नहीं भेजी है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ४३ सेम्पुल खराब निकलने पर उनके विरुद्ध मुकदमे चलाये गये ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—९ मुकदमे चलाये गये। कुछ डिसमिस हो गये और २, ४ अभी बाकी हैं।

श्री रामायणराय—इलाहाबाद नगरमहापालिका ने इस यूनियन का लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव पास किया, इसकी सूचना सरकार को अब तक क्यों नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—सूचना वहां से नहीं आई।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—पिछले सप्ताह बताया गया कि १९६०-६१ में इस यूनियन को ४४,००० रुपये का घाटा हुआ और अभी बताया कि ४३ सेम्पुल खराब निकले। इससे स्पष्ट होता है कि पानी वगैरह मिला कर बेचने के बाद भी घाटे का कारण प्रबन्ध की गड़बड़ी है और इसके लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वहां के मैनेजर साहब का तबादला कर दिया गया है। जांच की जा रही है। नगरमहापालिका ने चालू वर्ष में उन्हें लाइसेंस दिया है। इसे सुधारने की कोशिश की जायगी। उसे खराब करने की जरूरत नहीं है।

श्री रामायणराय—खराब सेम्पुल्स में किस तरह के तत्व पाये गये ? क्या चर्बी आदि, जो स्वास्थ्य को खराब करते हैं, तो नहीं पाये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बात यों है कि ९ केस हमने भेजे। उनमें से ७ खारिज हुए। अनालैसिस से गाय और भैंस के दूध के लिये अलग-अलग स्टैंडर्ड है कि इतना फैट और दूसरी चीजें होनी चाहिये। आमतौर पर मिक्स्ड दूध मिलता है जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इस कारण ये केसेज बीच में होते हैं, वेरियेशन होता है, और कोर्ट में सक्सेसफुल नहीं होते हैं।

श्री उग्रसेन—बाकी केसेज के कब तक डिसमिस होने की आशा है ?

(हंसी—कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री कल्याणचन्द मोहिले—इस यूनियन में काफी रुपये का गबन है और सरकार ने १२, १३ लाख रुपये इसे कर्जे दिये हैं, तो क्या मन्त्री जी इसके मामलों की खुली जांच कराने की कृपा करेंगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जांच की आवश्यकता होगी तो जरूर की जायगी।

***४४-४५—श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)—[हटा दिये गये।]

***४६-४७—श्री बालोजी अग्रवाल** (जिला आगरा)—[हटा दिये गये।]

***४८—श्री मेड़ीलाल** (जिला बाराबंकी)—[१९वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

मेरठ जिले में ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज

***४९—श्री तेजसिंह** (जिला मेरठ)—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले में कौन-सी ट्रांसपोर्ट सहकारी सोसाइटीज काम कर रही हैं और कब से ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—निम्नलिखित ३ ट्रांसपोर्ट सहकारी समितियां उनके सम्मुख लिखित तिथि से हैं :—

नाम समिति	रजिस्ट्रेशन की तिथि
१—दि कोआपरेटिव मोटर ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लि०, मेरठ ..	७-९-१९३७
२—डीलक्स कोआपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लि०, मेरठ ..	१२-७-६१
३—नव भारत कोआपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लि०, मेरठ ..	३०-९-६१

***५०—श्री तेजसिंह**—क्या नयी ट्रांसपोर्ट सोसाइटी रजिस्टर्ड करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—जी नहीं।

***५१—श्री तेजसिंह**—क्या सरकार ने इन सोसाइटीज के लिये माडल बाईलाज बनाये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज के माडल बाईलाज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की सलाह से बनाये जाने के सम्बन्ध में औपचारिक कार्यवाही हो रही है।

नोट:—तारांकित प्रश्न ५१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*५२-५३--श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--[१९वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*५४--श्री रामसूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)--[१९वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

मैनपुरी के सेल्स टैक्स आफिसर के विरुद्ध शिकायतें

*५५--श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी) तथा श्री रामसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी के सेल्स टैक्स आफिसर की शिकायतें मैनपुरी के एम० एल० ए० तथा एम० पी० तथा अध्यक्ष, जिला परिषद् ने लिखित भेजी हैं और अधिकारियों से स्वयं जा कर शिकायतें की हैं? उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैनपुरी के सेल्स टैक्स आफिसर के विरुद्ध एम० एल० ए० तथा एम० पी० द्वारा जो शिकायतें की गई हैं, उनकी जांच की जा रही है। अध्यक्ष, जिला परिषद् ने कोई लिखित शिकायत भेजी है अथवा नहीं, इसकी जानकारी सरकार को नहीं है।

*५६--श्री बृजेश्वरसहाय तथा श्री रामसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी के सेल टैक्स आफिसर मैनपुरी जिले के पास के ही रहने वाले हैं और उनका गांव मैनपुरी से केवल थोड़ी दूर पर है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैनपुरी के सेल्स टैक्स आफिसर मथुरा जिले के रहने वाले हैं। उनका गांव मैनपुरी से लगभग २५ मील की दूरी पर है।

*५७--श्री बृजेश्वरसहाय तथा श्री रामसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार इसकी सी० आई० डी० द्वारा इंक्वायरी कराने की कृपा करेगी कि इनके घर वाले मैनपुरी के डीलरों से रिश्वत तै कर के इनके पास लाते हैं और उनके द्वारा रिश्वत ली जाती है और उन्होंने हजारों रुपया मैनपुरी जिले में पैदा किया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यदि इस प्रकार की शिकायतें सप्रमाण प्रस्तुत की जायं, तो सरकार उन पर यथोचित कार्यवाही करेगी।

ग्रेजुएट क्लासेज में पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*५८--श्री कमलासिंह यादव--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्रमशः सन् १९५९-६०, ६०-६१ एवं ६१-६२ के वित्तीय वर्ष में प्रदेश भर में सरकार द्वारा पिछड़ी जाति के अन्डर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट तथा पोस्ट-ग्रेजुएट की कक्षाओं के कितने विद्यार्थियों को किस दर पर छात्रवृत्तियां दी गईं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८७६ पर)

*५९--श्री कमलासिंह यादव--[हटा दिया गया।]

*६०-६१--श्री बालोजी अग्रवाल--[१९वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६२--श्री मतोलासिंह--[१९ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

हरिजन औद्योगिक संस्थान, रामनगर

*६३--श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)--क्या समाज एवं हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन-किन स्थानों पर हरिजन औद्योगिक संस्थान की स्थापना की गयी तथा तीसरी योजना में उक्त जिले में कितने हरिजन औद्योगिक संस्थान कायम करने की सरकार की योजना है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—वाराणसी जिले में रामनगर में एक हरिजन औद्योगिक संस्थान कायम करने की स्वीकृति द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में दी गई थी परन्तु भूमि प्राप्त न होने के कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में काम चालू न हो सका। इस काम को तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में पूरा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त और कोई संस्थान जिले में चालू करने का कोई विचार नहीं है।

*६४—**श्री रामलखन वकील**—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जिले में जो हरिजन औद्योगिक संस्थान कायम हुये हैं उनमें कौन-कौन से कुटीर उद्योग चल रहे हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

मुरादाबाद जिले में हरिजन कल्याण कार्य

१—**श्री शराफत हुसैन रिजवी** (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सन् १९५७ से १९६१ तक हरिजन सुधार के कामों पर जिला मुरादाबाद में कुल कितना रुपया खर्च किया और किस-किस कार्य के लिये ?

२—क्या मंत्री यह बतायेंगे कि अमरोहा ब्लाक या जोया ब्लाक मुरादाबाद जिले के हरिजनों के सुधार के लिये गत पांच वर्षों में इन ब्लाकों के द्वारा कितना रुपया खर्च किया गया और सुधार कार्य किन-किन गांवों में किये गये ?

३—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गत पांच वर्षों में मुरादाबाद जिले में कहां-कहां हरिजन बस्तियां बसाई गईं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना एकत्र की जा रही है।

राही विकास क्षेत्र में मधुपुरी कालोनी

४—**श्री रतीपाल**—क्या सरकार को ज्ञात है कि रायबरेली जिले में राही विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कोई हरिजन कालोनी बनी है ? यदि हां, तो किस स्थान पर और उस में कितना रुपया व्यय हुआ है और कितने परिवारों के लिये रहने की व्यवस्था है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—रायबरेली जिले में राही विकास क्षेत्र के मधुपुरी ग्राम में कालोनी की स्थापना की जा रही है। इस पर १४,२५० रुपया व्यय होगा तथा ७,१२५ रुपया व्यय हो चुका है। १९ परिवारों के रहने की व्यवस्था है।

५—**श्री रतीपाल**—उपर्युक्त कालोनी कितने एकड़ भूमि में बनी है तथा जिस व्यक्ति की भूमि पर यह कालोनी बनी है क्या उसको कोई मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—२.१३ एकड़ भूमि पर बनी है। जिन व्यक्तियों की भूमि पर कालोनी का निर्माण हो रहा है उन्हें दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ को मुआवजा दिया गया है।

आजमगढ़ जिले की हरिजन संस्थाओं को अनुदान

६—**श्री छांगुर** (जिला आजमगढ़) तथा **श्री रघुनाथ** (जिला बलिया)—क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ में हरिजन संस्थाओं को पिछले कई महीनों का वार्षिक अनुदान का भुगतान अभी नहीं किया गया है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी नहीं, ऐसा नहीं है। २३ संस्थाओं में केवल २ का भुगतान शेष है।

७—**श्री छांगुर तथा श्री रघुनाथ**—यदि हां, तो कितने महीनों का बकाया पड़ा है और आज तक भुगतान न करने का क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—अनुदान वर्ष में दो बार, मार्च से अगस्त तथा सितम्बर से फरवरी तक का, स्वीकृत किया जाता है। आजमगढ़ की दो संस्थाओं के व्यवस्थापक वर्ष के प्रथम खंड के अनुदान का धन प्राप्त करने के लिये सूचना के बावजूद सम्बन्धित कार्यालय में नहीं गये।

गाजीपुर जिले में जच्चा-बच्चा केन्द्र

८—**श्री झिलमिटराम** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में बिरनो, मरदह तथा जखनियां ब्लाकों के अन्तर्गत किन-किन स्थानों पर जच्चा-बच्चा केन्द्र स्थापित किये गये हैं ?

९—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के काल में किन-किन स्थानों पर जच्चा-बच्चा केन्द्र खोले गये हैं तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन-किन स्थानों पर ऐसे केन्द्र खोलने की योजना बनाई गई है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना एकत्र की जा रही है।

हमीरपुर जिले में परिवार नियोजन योजना

१०—**श्री मदनपालसिंह**—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि महोबा तथा चरखारी तहसील, जिला हमीरपुर में परिवार नियोजन योजना लागू की गई है या नहीं ? यदि हां, तो १९६२ के सितम्बर मास तक परिवार नियोजन योजना से कितने स्त्री-पुरुष लाभ पा सके हैं ?

११—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर में परिवार नियोजन विभाग में कितनी महिला कर्मचारी हैं और उनकी सेवा-कार्य की रूप-रेखा क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना एकत्र की जा रही है।

दयानन्द महाविद्यालय, वाराणसी में परिगणित छात्रों से फीस

१२—**श्री हरिगैनराम** (जिला वाराणसी)—क्या समाज-कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि वाराणसी जिले में दयानन्द महाविद्यालय (डी०ए०बी० डिग्री कालिज) में सभी परिगणित छात्रों से जुलाई, अगस्त, सितम्बर, सन् १९६२ में शिक्षा शुल्क जी०ओ० नं० एच०डी० ३५१२-ए/९-६२,३० दिनांक १ जून, १९६२ ई० के होते हुये भी वसूल किया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस शिक्षा संस्था के विरुद्ध कौनसी कार्यवाही की ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना एकत्र की जा रही है।

सुल्तानपुर में सहकारी कृषि योजना

१३—**कुंवर रुद्रप्रतापसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सुल्तानपुर जनपद का कौनसा विकास खंड सहकारी कृषि योजना में लिया जायेगा ? उस योजना का लक्ष्य, स्वरूप तथा कार्य विस्तार क्या होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला सुल्तानपुर में अभी तक किसी विकास खंड का, सहकारी कृषि अग्रगामी योजना के लिये, चुनाव नहीं हुआ है। अतः लक्ष्य स्वरूप तथा कार्य विस्तार का प्रश्न नहीं उठता।

हरिजन सुपरवाइजर

*१४—श्री छांगुर—क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में कुल कितने हरिजन सुपरवाइजर कार्य कर रहे हैं और उनमें से क्या कुछ सुपरवाइजर अस्थायी हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—हरिजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत कुल १६२ हरिजन कल्याण सुपरवाइजर कार्य कर रहे हैं । उनमें से कुछ सुपरवाइजर अस्थायी हैं ।

१५—श्री छांगुर—यदि हां, तो अस्थायी सुपरवाइजरों की संख्या कितनी है और क्या उन्हें भविष्य में स्थायी करने के लिये सरकार सोच रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—अस्थायी सुपरवाइजरों की संख्या १४८ है । इनमें से ७० सुपरवाइजरों को स्थायी करने के संबंध में आदेश दिये गये हैं ।

१६—श्री छांगुर—क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में १९५० से अब तक कितने हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों का Arrear claim रुका है और उसे भविष्य में कब तक भुगतान करने की संभावना है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—प्रथम श्रेणी के एक हरिजन कल्याण सुपरवाइजर का सन् ५१ का तथा ११ और हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों के एरियर क्लेम्स जो सन् ५६ और ६० के बीच के हैं, रुके हुए हैं । इनके भुगतान के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

बांदा जिले में हरिजनों को सहायता

१७—श्री मतोलासिंह—क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९ से १९६२ ई० तक बांदा जिले में प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों के लिये प्रतिवर्ष कितना धन स्वीकृत किया गया और कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई ?

१८—क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त वर्षों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति का कितना धन ऐसा था जो छात्रों को किसी भी कारण न देने से बच गया ? इसके क्या कारण थे और उस धन का उपयोग कहां किया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना एकत्र की जा रही है ।

१९—श्री मतोलासिंह—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया अतर्रा व नरैनी की टाउन के अन्दर सन् १९६० से १९६२ के जुलाई तक कितने हरिजनों को क्या सहायता किन-किन मदों में दी गई ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उक्त अवधि में टाउन एरिया अतर्रा क्षेत्र में तीन हरिजनों को जूता बनाने के लिये कुल ७५० रुपये का अनुदान दिया गया । टाउन एरिया नरैनी में कोई अनुदान नहीं दिया गया ।

गोरखपुर जिले में हरिजन कल्याण कार्य

२०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के बृजमनगंज, धानी तथा फरेंदा ब्लाक में प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में हरिजनों के लिये कहां-कहां हैंड पम्प, कुएं तथा मकान बनवाये गये और उस पर कितना खर्च हुआ ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८७७-८७८ पर)

२१---**श्री रतीपाल**---[१९वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

हरिजन कल्याण अनुदान का व्यपगत धन

२२---**श्री शिवेन्द्रप्रताप** (जिला सीतापुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में हरिजन कल्याण विभाग के पास कितना रुपया बाकी बचा था जिसे कि वह खर्च नहीं कर पाये और क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---हरिजन कल्याण विभाग के पास १९६१-६२ का १३,९५,५०० रुपया बाकी बचा था जो खर्च नहीं किया जा सका। उक्त धनराशि में से १०,७०,९०० रुपया शासन को पहले ही सर्मापत (Surrender) कर दिया गया था और ३,२४,६०० रु० व्यपगत (lapse) हो गया ।

उपरोक्त धन के व्यय न होने का विशेष कारण यह था कि गवर्नमेंट पालीटेक्निक, लखनऊ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिये जो धन स्वीकृत था वह पूर्णतया व्यय नहीं हो सका। पालीटेक्निक के लिये आवश्यक सामग्री ३१ मार्च, १९६२ तक प्रतीक्षा करने पर भी प्राप्त नहीं हो सकी । ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कुछ प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण चालू नहीं किया गया और वह स्कीम ही समाप्त कर दी गयी । इसके अतिरिक्त आश्रम टाइप स्कूल देर से चालू होने के कारण कुछ पदों पर नियुक्तियां देर में हुईं जिसके कारण पूरी धनराशि व्यय नहीं हो सकी ।

२३---**श्री श्यामलाल**---[१९वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

फाइलेरिया कन्ट्रोल यूनिट, गोरखपुर

२४---**श्री कल्पनार्थसिंह**---क्या सरकार को फाइलेरिया कट्रोल यूनिट, गोरखपुर के कर्मचारियों का कोई मांग-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मांग-पत्र क्या है और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---जी नहीं, किन्तु इस प्रश्न के प्राप्त होने के पश्चात् सूचना मिली है कि यूनिट के कर्मचारियों ने अपनी यूनियन द्वारा अपने वेतन इत्यादि बढ़ाने की मांग की थी । यूनियन के प्रेसीडेन्ट को उचित उत्तर दिया जा रहा है ।

२५---**श्री कल्पनार्थसिंह**---क्या सरकार को फाइलेरिया विभाग में भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिली है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---हाल ही में सरकार को सूचना मिली है कि कुछ शिकायतें उप-निदेशक मलेरिया को प्राप्त हुईं, जिनकी जांच की जा रही है ।

२६-२८---**श्री केशरीप्रसाद पांडेय**---[१९वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

२९-३०---**श्री सुखदेवप्रसाद**---[१९वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

फतेहगढ़ में कोल्ड स्टोरेज

३१---**श्री ऊदल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद में आलू रखने के कितने कोल्ड स्टोरेज किन-किन लोगों के हैं और उन पर सरकार का बिक्री-कर का कितना रुपया बकाया है और उसे वसूल करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कोल्ड स्टोरेज में सामान रखने के किराये पर अथवा आलू पर कोई बिक्री-कर नहीं लगता है । अतः इस संबंध में बिक्री-कर की बकाया धनराशि और उसके वसूल करने के प्रयत्न का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन मन्त्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, १९६२ में परिवहन (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५०१०-ए-१/३०-ए---१६३-ए-६२, दिनांक ४ दिसम्बर, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ३० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

विशेषाधिकार की अवहेलना तथा नियम ५२ की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---एक विशेषाधिकार की सूचना माननीय दीपनारायण जी की आई है । माननीय राजस्व मंत्री नहीं हैं । कल जब वह होंगे तब वह डिस्पोज कर दिया जायगा । नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाओं को मैं स्वीकार नहीं कर सका हूं ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---विशेषाधिकार को पढ़कर सुना दें ।

श्री अध्यक्ष---कल सुना दी जायगी ।

गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा बस्ती जिलों के बाढ़पीड़ितों के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, हम लोग तो यह समझे बैठे थे कि सदन में सूचना रखने का यह मतलब है कि छपवाकर मिल जायगी । इसीलिये मंत्रीजी ने समय भी लिया । अगर केवल पढ़ना ही था तो २ दिन पहले ही पढ़ देते ।

श्री अध्यक्ष---पढ़ देंगे ।

श्री उग्रसेन---हम लोगों को दिलवा भी दीजिये । यह महत्वपूर्ण विषय है ।

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)---माननीय सदस्यों ने नियम ५२ की अपनी नोटिस में उक्त जिलों के संबंध में जिन बाढ़ संबंधी विषयों का संकेत किया है उस संबंध में वास्तविक स्थिति इस प्रकार:---

(१) विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस से माफी---

अक्तूबर, सन् १९६२ में शासन द्वारा इस प्रकार के आदेश प्रेषित किये जा चुके हैं जिनमें कहा गया है कि उन निर्धन और उपयुक्त विद्यार्थियों को १० रु० प्रति मास प्रति व्यक्ति तक की छात्रवृत्ति दी जाये अथवा पुस्तकों को खरीदने के लिये सहायता दी जाये, जिनके माता-पिता अथवा अभिभावक अत्यधिक बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में रहते हैं और जिनको विशेष क्षति उठानी पड़ी है और साथ ही साथ जो ट्यूशन फीस देने में असमर्थ हैं । यह रियायत

---

*छापे नहीं गये ।

[श्री बृजबिहारी]

बाढ़ से अत्यधिक पीड़ित ८ जिलों के लिये की गई है और इस संबंध में १,२०,००० रु० की धनराशि स्वीकृत की गई है।

जिलाधीश गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बस्ती को जो धनराशि दी गई है वह इस प्रकार है—

		रु०
(१)	गोरखपुर	.. २०,०००
(२)	देवरिया	.. २०,०००
(३)	आजमगढ़	.. २०,०००
(४)	बस्ती	.. १०,०००

इन धनराशियों को जिलाधीश, जिला विद्यालय निरीक्षकों तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के द्वारा वितरित करा रहे हैं।

जिलाधीश आजमगढ़ और बस्ती के अतिरिक्त धन की कोई मांग नहीं है। जिलाधीश गोरखपुर और देवरिया से हाल ही में कुछ और धन इस हेतु मांगा गया है और उनकी मांगें सरकार के विचाराधीन हैं।

(२) टेस्ट वर्क्स की बकाया देय धनराशि की अदायगी—

देवरिया, आजमगढ़, बस्ती } टेस्ट वर्क्स संबंधी कोई मजदूरी देना शेष नहीं है।

गोरखपुर—टेस्ट वर्क्स संबंधी सारा बकाया ३,२५,००० रु० इस वर्ष के अक्तूबर मास तक अदा किया जा चुका है। इस अदायगी के पश्चात् ४७,००० रु० के कुछ और बिल सार्वजनिक निर्माण विभाग के इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर से जिलाधीश को प्राप्त हुये हैं।

यह बिल बड़हलगंज-दरवा रोड पर किये गये टेस्ट वर्क्स से संबंधित हैं। वास्तविक धन कितना देय है इस संबंध में कुछ विवाद है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा आवश्यक छानबीन की जा रही है और जैसे ही उनकी रिपोर्ट मिलेगी, भुगतान कर दिया जायेगा।

(३) नये टेस्ट वर्क्स तथा मैन पावर मोबिलाइजेशन योजनायें—

चूंकि मैन पावर मोबीलाइजेशन योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों के अधिक उपयोगी होने की संभावना है और वे काम करने वालों को अधिक धन दिलाने वाली हैं, अतः यह निश्चय किया गया है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ही अधिक से अधिक टेस्ट वर्क्स चालू किये जायें।

इस संबंध में जिलावार स्थिति इस प्रकार है :—

(१) आजमगढ़—टेस्ट वर्क्स खोलने का प्रबन्ध किया जा चुका है और यह आशा की जाती है कि जल्दी ही टेस्ट वर्क्स चालू हो जायेंगे। इस कार्य के लिये २०,००० रु० भी दिया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त मैन पावर मोबीलाइजेशन योजना केअन्तर्गत १६,२०,००० रु० के लागत की निम्न ४ योजनायें भी स्वीकार की जा चुकी हैं :—

१—सगरी ब्लाक

(१) बिलारीगंज-रौना पार्क सड़क का निर्माण।
(२) जलप्लावित ग्रामों के भू-स्तर को उठाना।

२—दोहरी घाट ब्लाक

(१) जलप्लावित ग्रामों के भू-स्तर को उठाना।
(२) ट्यूबवेल की गूलों का निर्माण।
(३) दोहरी घाट-सूरजपुर सड़क का निर्माण।

नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

३—बदरांव ब्लाक

(१) ट्यूबवेल की गूलों का निर्माण।
(२) आजमगढ़-अगोलाखास सड़क का निर्माण।

४—महराजगंज ब्लाक

(१) ट्यूबवेल गूलों का निर्माण।
(२) कप्तानगंज-महराजगंज सड़क का निर्माण।
(३) कप्तानगंज-तहवरपुर सड़क का निर्माण।

बस्ती—बस्ती जिले में ६ बांध और १३ कच्ची सड़कों के लिये टेस्ट वर्क्स चलाने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और यह योजना राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के पास विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त मैन पावर मोबीलाइजेशन योजना के अन्तर्गत ४५.७१ लाख रुपये के लागत की निम्न १८ योजनाओं को भी स्वीकृत किया जा चुका है:—

१—बहादुर ब्लाक

(१) १६ ग्रामों को ऊंचा करना।

२—कुदरा ब्लाक

(१) कोलवा से केकरपुर (५ मील) तक के बांध का निर्माण।
(२) १० ग्रामों को ऊंचा करना।

३—हर्रया ब्लाक

(१) १६ ग्रामों को ऊंचा करना।
(२) गुलों का विस्तार करना।

४—कप्तानगंज ब्लाक

(१) १६ ग्रामों को ऊंचा करना।
(२) गूलों का विस्तार करना।

५—विक्रमजीत ब्लाक

(१) १६ ग्रामों को ऊंचा करना।

६—हैसार बाजार ब्लाक

(१) ८ ग्राम को ऊंचा करना।
(२) छपरा से दाघरा तक ८ मील लम्बे बाँध का निर्माण करना।
(३) कौरैया नाला और घोंघी नाला के बीच के स्थान को साफ करना।

७—नाथ नगर ब्लाक—

(१) ७ ग्रामों को ऊंचा करना।
(२) परमेश्वर पुरा से तरंघापुर तक बाँध का निर्माण करना।

८—सलतवा गोपालपुर ब्लाक—

(१) विक्रमजीत भानपुर सड़क (६ मील) का निर्माण।
(२) घिरे हुए ८ ग्रामों को ऊंचा करना।
(३) ५-२ मीलों वाली एस० टी० डब्लू० गूलों का निर्माण।

९—नौगढ़ ब्लाक—

(१) १६ ग्रामों को ऊंचा करना।

१०—बरहनी ब्लाक—

(१) १६ ग्रामों को ऊंचा करना।

[श्री बृजबिहारी]

११--जोगिया ब्लाक--

(१) १६ ग्रामों को ऊंचा करना ।

१२--उस्का ब्लाक--

(१) लखनपुर उस्का बांध का निर्माण ।
(२) चित्रपुर बांध का निर्माण ।
(३) ६ ग्रामों को ऊंचा करना ।

१३--विर्डपुर नं० ९ ब्लाक--

(१) १६ ग्रामों को ऊंचा करना ।
(२) विर्डपुर पिपहरवा रोड ।

१४--डुमरियागंज ब्लाक--

(१) रामपुर चन्दरनगर से १० मील तक बांध का निर्माण ।

१५--बांसी ब्लाक--

(१) १६ ग्रामों को ऊंचा करना ।

१६--मधवल बुजुर्ग ब्लाक--

(१) १६ ग्रामों को ऊंचा करना ।

१७--सेसरहा ब्लाक--

(१) किसुनपुर से काकोरी तक ६ मील बांध का निर्माण ।
(२) ४ ग्रामों का ऊंचा करना ।

१८--मेंहदावल ब्लाक--

(१) बाढ़ से बचाव के लिये १६ ग्रामों का स्तर ऊंचा करना ।

गोरखपुर--गोरखपुर जिले के लिये ५०,००० रु० आवश्यकतानुसार टेस्ट वर्क्स खोलने के लिये जिलाधीश को दिया जा चुका है और यह भी कहा गया है कि मैन पावर मोबीलाइजेशन योजना के अन्तर्गत जितनी संभव हो उतनी योजनाओं को शामिल करें। इसके अतिरिक्त १३.५० लाख की लागत की निम्न तीन योजनायें स्वीकार भी की जा चुकी हैं--

१--बिजमनगंज--

(१) दौलतपुर बांध का निर्माण ।

२--औटनवा ब्लाक--

(१) जनुहारी ग्राम से रिसकोप ग्राम तक बांध का निर्माण ।

३--ब्रह्मपुर ब्लाक--

(१) घिरे हुये ग्रामों को ऊंचा करना ।

देवरिया--देवरिया जिले में जिला बाढ़ सहायता समिति ने इस वर्ष टेस्ट वर्क्स न खोलने का निश्चय किया है। इसके स्थान पर मैन पावर मोबीलाइजेशन योजना को चालू करने का निश्चय किया है। इस प्रकार की निम्न २२ योजनायें जिन पर लगभग ७० लाख रुपया खर्च होगा, स्वीकार कर ली गई हैं।

१--हाता ब्लाक--

(१) पानी से घिरे ग्रामों को ऊंचा करना ।
(२) ३ टयूबवेलों में १६ मील गूलों का निर्माण ।

(३) ८ मील नाली का निर्माण ।
(४) ३ मील देवरिया-हाता सड़क का निर्माण ।

२—कप्तानगंज ब्लाक—

(१) पानी से घिरे हुए ग्रामों का ऊंचा करना ।
(२) १२ मील गूलों का निर्माण ।
(३) ४ मील तटवर्ती बांध का निर्माण ।
(४) ४ मील लम्बी पानी से घिरी कप्तानगंज-पिपरौली सड़क का निर्माण ।

३—रामकोला सड़क—

(१) पानी से घिरे हुए २ ग्रामों को ऊंचा करना ।
(२) २ मील गूलों का निर्माण ।
(३) ६ मील लम्बी नाली का निर्माण ।
(४) ५ मील लम्बी कप्तानगंज-नौरंगिया सड़क का निर्माण ।

४—सकरौली ब्लाक—

(१) राजकीय ट्यूब वेलों की ८ मील लम्बी सड़क पर कंकड़ बिछाना ।
(२) राजकीय ट्यूबवेलों पर १८ मील गूलों का निर्माण ।

५—नेवबा नौरंगी ब्लाक—

(१) पानी से घिरे ३ ग्रामों को ऊंचा करना ।
(२) ९ मील लम्बी कप्तानगंज-नौरंगिया सड़क का निर्माण ।

६—सलीमपुर ब्लाक—

(१) ४६ मील गूलों का निर्माण ।
(२) राजकीय ट्यूबवेलों की ८ मील लम्बी सड़क पर कंकड़ बिछाना ।
(३) पानी से घिरी मझौली-सलेमपुर सड़क का निर्माण ।

७—लार ब्लाक—

(१) पानी से घिरे १ ग्राम को ऊंचा करना ।
(२) राजकीय ट्यूबवेलों पर १३ मील गूलों का निर्माण ।
(३) राजकीय ट्यूबवेलों की २ मील लम्बी सड़क पर कंकड़ बिछाना ।
(४) बाढ़ से बचाव के लिये बांध के किनारे रेगुलेटर लगाना ।
(५) लार सड़क का विस्तार करना (४ मील) ।

८—बरहज ब्लाक

(१) पानी से घिरे ३ ग्रामों को ऊंचा करना ।
(२) १८ मील गूलों का निर्माण ।
(३) ४ मील सड़क पर कंकड़ बिछाना ।
(४) बाढ़ बचाव के लिये बांध के किनारे रेगुलेटर देना ।
(५) गौरी बाजार-रुद्रपुर-बरहज सड़क का विस्तार (८ मील २ फर्लांग) ।

९—भैवंत ब्लाक—

(१) पानी से घिरे १ ग्राम का ऊंचा करना ।
(२) राजकीय ट्यूबवेल पर गूलों का निर्माण (४० मील) ।
(३) राजकीय ट्यूबवेल की सड़कों पर कंकड़ बिछाना ।

[श्री बृजबिहारी]

१०—भटनी ब्लाक—

(१) पानी से घिरे १ ग्राम का ऊंचा करना।
(२) बाढ़ से बचाव के लिये गांव के किनारे रेगुलेटर का निर्माण।
(३) राजकीय ट्यूबवेलों में गूलों का निर्माण।
(४) भटरी-बलवा अफगुनवा-सड़क का निर्माण (८ मील)।

११—भटपुर रानी ब्लाक—

(१) पानी से घिरे १४ ग्रामों को ऊंचा करना।
(२) राजकीय ट्यूबवेलों पर पुलों का निर्माण।
(३) मझौली-महरौनी सड़क का निर्माण (५ मील)।
(४) बाढ़ से बचाव के लिये बांध के किनारे रेगुलेटर का निर्माण।

१२—तमकोही ब्लाक—

(१) बाढ़ से बचाव के लिये गांव के किनारे १ रेगुलेटर का निर्माण।
(२) राजकीय ट्यूबवेल पर गूलों का निर्माण (१८ मील)।
(३) तमकोली-कसइयाबाद सड़क का निर्माण (१० मील)।

१३—कसिया ब्लाक—

(१) पानी से घिरे १४ ग्रामों का ऊंचा करना।
(२) राजकीय ट्यूबवेलों पर गूलों का निर्माण (२८ मील)।
(३) राजकीय ट्यूबवेल की सेवा सड़क पर कंकड़ बिछाना (७ मील)।
(४) ४ रेगुलेटर लगाना।
(४) कसिया-तमकोही सड़क का सुधार करना (५ मील)।

१४—पैरोना ब्लाक—

(१) ८ मील लम्बी नाली का निर्माण।
(२) राजकीय ट्यूबवेलों पर गूलों का निर्माण (२४ मील)।
(३) खाट कुइंया खसिया जी० सी० सड़क का सुधार (४ मील)।

१५—रामपुर करछना ब्लाक—

(१) बाढ़ से बचाव के लिये बांध के किनारे १ रेगुलेटर देना।
(२) पानी से घिरे ११ ग्रामों को ऊंचा करना।
(३) राजकीय ट्यूबवेल पर गूलों का निर्माण (२४ मील)।
(४) नालियों का निर्माण (६.४ मील)।

१६—बैतालपुर ब्लाक—

(१) राजकीय ड्यूबवेल पर गूलों का निर्माण (३४ मील)।
(२) नालियों का निर्माण (६.४ मील)।
(३) देवरिया-हाटा सड़क का निर्माण।

१७—रुद्रपुर ब्लाक—

(१) पानी से घिरे ८ ग्रामों को ऊंचा करना।
(२) राजकीय ट्यूबवेल पर गूलों का निर्माण (३ मील)।
(३) बाढ़ से बचाव के लिये बांध के किनारे ४ रेगुलेटरों का निर्माण।
(४) रेगुलेटर लगाना।

१८—देसाई–देवरिया ब्लाक—

(१) राजकीय ट्यूबवेलों पर गूलों का निर्माण ।
(२) पानी से घिरे १६ ग्रामों को ऊंचा करना ।
(३) किनारे के बांध का बनाना (६ मील) ।
(४) देवरिया-हाता सड़क का निर्माण ।

१९—गौरी बाजार ब्लाक—

(१) राजकीय ट्यूबवेलों पर गूलों का निर्माण (६८ मील) ।
(२) राजकीय ट्यूबवेल की सेवा सड़क पर कंकड़ बिछाना ।

२०—पाथरदेव ब्लाक—

(१) पानी से घिरे २ ग्रामों को ऊंचा करना ।
(२) राजकीय ट्यूबवेलों पर गूलों का निर्माण (६८ मील) ।
(३) नालियों का निर्माण (६.४ मील) ।
(४) राजकीय ट्यूबवेलों की सेवा सड़क पर कंकड़ बिछाना ।

२१—दुद्धी ब्लाक—

(१) पानी से घिरे १० ग्रामों को ऊंचा करना ।
(२) बाढ़ से बचाव के लिये बांध के किनारे २ रेगुलेटर लगाना ।
(३) लुधिया-जमुना घाट सड़क का निर्माण (३ मील) ।

२२—विष्णुपुरा ब्लाक—

(१) पानी से घिरे २० ग्रामों को ऊंचा करना ।
(२) पहरौरा-मंसाछा पर सड़क का निर्माण ।

लगभग १२ योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है । अन्य योजनाओं पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ होने वाला है ।

मजदूरों के मिलने में कठिनाई उत्पन्न हो जाने के कारण टेस्ट वर्क्स एवं मैन पावर मोबीलाइजेशन योजनाओं के कार्यान्वित होने में धक्का लगा है क्योंकि मजदूर रबी की फसल की सिंचाई, गन्ने की तथा देर से कटने वाले धान की कटाई व चीनी मिलों आदि में लगे हुये हैं।

(४) कटाव से पीड़ित जनों का पुनर्निवासन—

गोरखपुर—ग्राम बाधा और कोलखास के अधिकतर निवासी ग्राम नटवर पट्टी में ऊंचे स्थानों पर बस गये। नवलपुर, गरिकौर, वरधिन, वेलपार एवं जैतपुर ग्रामों के निवासियों को ग्राम नवलपुर में बसाया जा रहा है। ग्राम बिजकौर के बसाये जाने के लिये जमीन हस्तगत की जा रही है। अन्य बाढ़ ग्रसित ग्रामों के निवासी पड़ोसी ग्रामों के ऊंचे स्थानों पर बस गये हैं।

आजमगढ़—विस्थापित परिवारों को बसाने के लिये स्थानों की व्यवस्था कर दी गई है। (विवरण नत्थी 'क' में प्रस्तुत है।)

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८७९ पर)

बस्ती—बस्ती, बांसी, खलीलाबाद और हरैया की चार तहसीलों के ४६ ग्राम पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से कट गये थे जिनसे २१० मकान प्रभावित हुए। (विवरण नत्थी 'ख' में प्रस्तुत है।)

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८८० पर)

[श्री बृजबिहारी]

तहसील हर्रैया के कटाव ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों को सोंगाहा, खैराती तथा हलवइया चक ग्रामों में और तहसील खलीलाबाद के विस्थापितों को रामपुर ग्राम में बसाया गया है। विस्थापित व्यक्तियों में से अधिकांश व्यक्तियों ने या तो वहां जाना पसन्द नहीं किया। यदि वे गये भी तो उन्होंने अपने पुराने स्थान पर आना पसन्द किया और लौट आये।

देवरिया—सभी परिवार जिनके मकान कट गये थे अस्थायी रूप से पुनः बसा दिये गये हैं। उनको स्थायी रूप से बसाने के लिये अन्य क्षेत्रों में उपयुक्त स्थान चुन लिये गये हैं और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। (विवरण संलग्न नत्थी 'ग' में प्रस्तुत है।)

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८८१ पर)

(५) देवरिया जिले के कुछ बाढ़ पीड़ितों के विरुद्ध मुकदमा चलना

अमुवा खास—२०१ परिवार प्रभावित हुए जिनमें से १७४ परिवारों को पास ही के हतपुरवा, घुकरहा आदि गांवों की बंजर भूमि पर बसा दिया गया।

बशेरहा टांड में बंजर भूमि पर २७ परिवारों को बसाया गया परन्तु बाद में पता चला कि जिस भूमि पर वे परिवार बसाये गये वह वन विभाग की थी। भूल अनजान में हुई थी क्योंकि बंजर तथा वन विभाग की भूमि के बीच में कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं थी। वन विभाग द्वारा अदालती कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मंडलाधीश, पडरौना मामले को देख रहे हैं। अन्यत्र दूसरा स्थान भी प्राप्त कर लिया गया है और मामले के जल्दी ही ठीक हो जाने की आशा है।

अहिरौली दान—१२ प्रभावित परिवारों को कुजाही—देवरिया और एक अन्य टोला की बंजर भूमि पर बसाया गया है।

पिपरा घाट—१ मकान का एक भाग बहाव में कट गया। मकान मालिक मकान से दूसरे स्थान को हटने के लिये इच्छुक नहीं था।

(६) मकान बनवाने हेतु दी गई अहेतुक सहायता एवं तकावी—

गोरखपुर—मकान बनाने के हेतु १,११,३६०रु० की अहेतुक सहायता बांटी जा चुकी है। गरीबों को वन विभाग से मुफ्त मकान बनाने की सामग्री प्राप्त करने के लिये परमिट दिये गये।

जिलाधीश द्वारा १२,०९,१२० रु० की तकावी मकान बनवाने तथा दूसरे कार्यों के लिये कृषकों को बांटी जा चुकी है। उसी प्रकार कृषकों द्वारा मकान बनाने आदि के लिये ऋण देने के निमित्त २०,००० रु० जिलाधीश को दिया जा चुका है।

देवरिया—६४,२७४ रु० अहेतुक सहायता तथा १,९०,००० रु० आपत्ति कालीन तकावी जिलाधीश द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को बांटी जा चुकी है तथा और धन भी बांटा जा रहा है।

बस्ती—जिलाधीश द्वारा १२,७०० रु० अहेतुक सहायता एवं १,७८,००० रु० की तकावी बांटी जा चुकी है।

आजमगढ़—पीड़ित व्यक्तियों में बांटने के लिये गोरखपुर जिले से १०,००० की घास-फूस आदि मंगाई जा चुकी है। पीड़ितों को १,४२,००० रु० तकावी भी बांटी गई है।

उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि सरकार पीड़ित व्यक्तियों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक है और उनके कष्ट निवारण के लिए यथासम्भव प्रयत्न कर रही है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसको साइक्लोस्टाइल कर के सब को दे दिया जाय और अगर वह कल बटेगा तो उसके बाद परसों ही प्रश्न हो सकते हैं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---कल जो कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा फैसला हुआ है वह मैं आप को बता दूं ।

विभिन्न दलों के सचेतकों ने परामर्श से निश्चय किया है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६२ तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२, यदि वह विधान परिषद् से समय के भीतर प्राप्त हो गया, दिनांक १३ दिसम्बर, १९६२ को अपराह्न १ बजे तक पारित कर दिये जायें तथा १४ दिसम्बर, १९६२ को असरकारी दिवस न मान कर चीन संबंधित प्रस्ताव पर विचार होगा ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक अभी टेबिल नहीं हुआ बहस कैसे करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---आ गया है, अभी मिल जायगा । आप उसे देखिये तो सही, अभी तो उसकी शक्ल नहीं देखी आपने ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---चीनी प्रस्ताव के संबंध में मुझे निवेदन करना है कि उस पर विवाद होगा तो उसकी प्रतिलिपि हमको मिलनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---आपको मिल जायगी ।

संसदीय संघ के उद्घाटन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---एक सूचना आपको देनी है कि सरदार हुकुमसिंह कल प्रातः सवा सात बजे आ रहे हैं, चारबाग पर पहुंचेंगे ७ बज कर २० मिनट पर और संसदीय संघ का उद्घाटन करेंगे तिलक हाल में ३ बजे तथा साढ़े चार बजे लान पर सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की है यह आशा की जाती है । विधान सभा के समस्त सदस्य सम्मिलित होंगे ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---कल सदन कब तक रहेगा ?

श्री अध्यक्ष---एक या डेढ़ बजे तक ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा---अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं १९६२ ई० का गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित, सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८८२-८८३ पर)

१ अक्तूबर, १९६२ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष---अब गृह मंत्री संशोधन वक्तव्य देंगे ।

गृह उप-मन्त्री (श्री नवलकिशोर)—

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक १ अक्तूबर, १९६२ की श्री रघुवीर राम द्वारा पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ६ के संबंध में श्री रामसुन्दर शास्त्री ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि—

"मंत्री जी बतावेंगे कि पहली वाली घटना १ तारीख की है और घरों पर हमला ३ तारीख को हुआ, तो २ तारीख को जो पुलिस गश्त पर थी उन लोगों ने यह बात फैलायी कि मुसलमानों के घरों को लूट लो। इस तरह की सरकार को खबर है?"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि—

"जो लूटमार की घटना हुई यह ७ तारीख को हुई जब कि पहली वाली घटना १ तारीख को हो गयी थी तो यह अन्दाजा नहीं था कि ५ दिन बाद इस तरह से संगठन कर के बदमाश लोग हमला करेंगे।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है—

"लूटमार की घटना ३ सितम्बर, १९६२ को अवश्य हुई थी किन्तु शासन को ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि २ तारीख को गश्त पर गयी पुलिस द्वारा यह बात फैलायी गई कि मुसलमानों के घरों को लूट लिया जाय।"

इसी सिलसिले में श्री विजयपाल सिंह ने एक अन्य अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि—

"मंत्री जी बतायेंगे कि लूटमार करने वाले कितने व्यक्ति थे और उनमें से कितने गिरफ्तार हुये हैं।"

सदन में उत्तर दिया गया था कि—

"६० व्यक्तियों के नाम थे जिनमें से २७ गिरफ्तार हो गये, २७ ने सरन्डर कर दिया, २ आदमी फरार हैं और ३ के बारे में जानकारी की जा रही है।"

उक्त उत्तर में फरार हुए व्यक्तियों की संख्या भ्रमवश २ बतायी गयी थी। वास्तव में फरार हुए व्यक्तियों की संख्या ३ है।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८८४ पर)

(इस समय ११ बजकर २५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री काशीनाथ मिश्र पीठासीन हुये।)

†उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६२ (क्रमागत)*

श्री अधिष्ठाता—अब उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, विचार होगा। माननीय गेंदा सिंह जी बोल रहे थे कल, वही बोलेंगे।

††**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो चकबन्दी संशोधन विधेयक आया है उस पर इस बात पर विचार व्यक्त मैं कर रहा था कि जो खर्च चकबन्दी का है उस खर्चे का सारा बोझ किसानों के ऊपर क्यों डाला जाय? मैं उस सिलसिले में और बातें तो कह चुका हूं लेकिन यह बात फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चक-

---

†३ दिसम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

*११ दिसम्बर, १९६२ की कार्यवाही से।

††वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बन्दी ने बन्दोस्त के काम का भी स्थान ले रखा है जो कि सरकारी खर्चे पर हुआ करता था। उस समय सरकारी कागजात की दुरुस्ती का काम था और जरूरी काम के लिये सेटिलमेंट होता था। अब चकबन्दी के काम के साथ-साथ कागजात दुरुस्ती का काम भी कराया जाता है। गलतियां कागजात में इतनी हैं जितनी पहले कभी कल्पना नहीं की जाती थीं, चाहे वह खसरा की, नाम इन्दराज की या नक्शे की गलतियां हों। विरासत लिखने तक की गलतियां हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है दुरुस्त कराने की और वे इतनी पाई जाती हैं जो पहले कभी नहीं पाई जाती थीं? इसका मूल कारण यह है कि बन्दोबस्त की प्रथा बन्द हो गयी। तो अगर कंसोलिडेशन की कार्यवाही में देर लगती है और उस पर खर्चा बढ़ता है तो उस खर्चे की जिम्मेदारी सरकार पर जाना चाहिये। फिर राजस्व मंत्री बतलायेंगे कि जहां कहीं चकबन्दी हुई है वहां यकीनन तौर पर मालगुजारी में वृद्धि हुई है। तो यह भी सरकार के मुनाफे की बात हुई। अगर सरकार को उससे लाभ है तो फिर कागजात दुरुस्ती के बोझ को भी बिल-कुल १६ आने अपने सर पर उठाना चाहिये। उसमें फिर यह विचार करना चाहिये कि कागजात दुरुस्ती पर कितना खर्च पड़ता है और चकबन्दी का जो काम है उस पर कितना खर्च आता है। उस काम को अलग कर दिया जाय और इस तरह से चकबन्दी के काम में जो विलम्ब लगती है कागजात दुरुस्ती के कारण वह नहीं लगेगी और वह काम थोड़े दिनों में हो जायगा। अब अगर थोड़े दिनों में वह हो जाता है तो किसानों पर बोझ नहीं पड़ेगा।

दूसरे, जो खर्चे की बात है चकबन्दी के काम में, उसमें मैं यह जरूर कहूंगा कि कुछ अनाड़ी लोग लग जाते हैं। उनको अनुभव नहीं होता। बन्दोबस्त के काम में पहले जमाने में जो बड़ा मुश्किल काम होता था उसमें जो लोग लगाये जाते थे उनको थोड़ा बहुत अनुभव होता था जहां उनमें कमाने का अनुभव था वहां उनको कागजात दुरुस्ती का भी अनुभव होता था और ज्यादा वक्त नहीं लगाते थे। एक जगह गये, दूसरी जगह गये और सारे प्रदेश में घूम घूम कर सेटिल-मेंट का काम वह किया करते थे। अब कंसोलिडेशन होल्डिंग का काम पहले १०, २० तहसीलों में शुरू किया गया। स्टाफ आधे से ज्यादा नया ले लिया और ले लिया लेखपालों में से। संकोच होता है बार-बार यह कहते हुये कि कुछ लोग रिश्वत लेते हैं हालांकि रिश्वत लेना आज-कल कोई जुर्म नहीं है। वह तो साधारण बात है। जो रिश्वत न ले वह असाधारण बात है। मैं तो यह कहता हूं कि अगर कोई होशियार आदमी किसान का काम कर दे और एक रुपया ले ले तो उस बेवकूफ आदमी से अच्छा है जो काम भी न करे और उसे सतावे। ये जो आप के नये बछड़े कंसालिडेशन में रक्खे गये हैं इनका कुछ तजुर्बा हम को है। श्रीवास्तव साहब और मिश्रा जी को यह अनुभव होगा कि कंसालिडेशन के काम में सारे कागजात को नये सिरे से करना पड़ता है और सारे गांव की जमीन एक जगह से दूसरी जगह करनी होती है। तो ये ईंट उखाड़ने का काम तो कर देते हैं लेकिन जब जोड़ने का काम आता है तो उनको याद ही नहीं पड़ता कि कहां की ईंट है और उसे कहां लायें और इनको रुपया लेकर भी काम का ढंग नहीं आता है जिसकी वजह से इतनी मुकदमेबाजी होती है। इसलिये चकबन्दी के स्टाफ में गैरमामूली ईमानदारी की परख रखी जाय। यह मैं इसलिये कहता हूं कि इनके हाथ में इस कदर अख्तियार हैं कि किसी की चाहे जितनी उपजाऊ जमीन हो उसके बदले खराब से खराब जमीन भी ये दे दें तो अपील से यह गुंजायश नहीं है कि उसकी कोई सुनवाई हो सके। चकबन्दी के मामलों में जब अपील होती है तो कोई अफ़सर उसे पसन्द नहीं करता है क्योंकि उनका खयाल यह है कि अगर एक अपील सुनी गयी तो फिर २५ अपीलें आ सकती हैं। इसलिये कोई अफ़सर अपील सुनने का ख्वाहिशमन्द नहीं है। बन्दोबस्त में भी कभी पड़ताल करने वालों को इस तरह के अख्तियार नहीं दिये जाते थे। ऐसे गैरमामूली अधिकारों का नतीजा यह होता है कि करेप्शन फैलता है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि यह काम कुछ नियोजन का है। अगर कंसालिडेशन डेवलपमेंट का काम है तो डेवलपमेंट के लोग क्यों नहीं हाथ बंटाते और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर यह सारा बोझ डाल दिया गया है? अब भी मैं कहूंगा और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी हमसे इत्तफ़ाक करेंगे कि अभीतक डेवलपमेंट विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुकाबिलतन थोड़ा दुरुस्त है।

[श्री गेंदासिंह]

शुरू शुरू में जहां कंसालिडेशन आफ़ होल्डिंग्स की कमेटी बैठी थी उस जमाने में आपके कुछ अफ़सर पंजाब गये थे और उन्होंने जो कहा था उसके ही अनुसार ऐक्ट बनाने की कोशिश की । लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि दूसरी स्टेट से हमें सबक लेना चाहिये । पंजाब में यह काम बहुत जल्दी हो गया और इतना असंतोष भी नहीं फैला । श्रीमन्, मेरा अपना ख्याल है कि दूसरी स्टेट को भी देखना चाहिये । अभी तक ३ करोड़ एरिया में कंसोलिडेशन हो चुका है और एक करोड़ में हो रहा है तो अन्य स्टेट में जिस तरह से काम हो रहा है उसका भी हमें अंदाजा होना चाहिये जिससे हम उसकी सलाह से काम कर सकें ।

मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जितनी स्टाफ की पवित्रता की जरूरत है उतनी ही अच्छे सुपरवीजन की जरूरत है । मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि स्टेट लेविल पर जो मुहकमा है उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है । लेकिन इतनी बात कहता हूं कि इसकी लगाम पकड़ने की ताकत बहुत कमजोर है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि पहले रेवेन्यू आफ़िसर्स, कलेक्टर और कमिश्नर तक घोड़े पर पड़ताल करते थे लेकिन आजकल कोई रेवेन्यू आफिसर घोड़े की सवारी नहीं करता है और श्रीमन्, को बलिया की मालूम होगी । नई सड़कें इतनी बनी हैं कि मोटर पर पड़ताल हो सकती है । कोई रेवेन्यू आफिसर घोड़े पर सवार होकर लेखपाल और कानूनगो के कागजात को नहीं देख सकता है और मोटर पर ही जाता है । इसलिये हर लेखपाल और कानूनगो को मालूम है कि इतनी जगह तक ही अफसर आ सकता है, इसलिये उतनी जगह तक ही की उसको फिक्र रहती है । इसलिये जो इतनी शिकायतें हो रही हैं उसका मुख्य कारण यही है कि आज रेवेन्यू आफिसर्स मोटर छोड़कर दूसरी सवारी पर जाने के लिये तैयार नहीं हैं । मंत्री जी नकल नहीं कर सकते हैं, घोड़े पर नहीं चढ़ सकते हैं लेकिन रेवेन्यू आफिसर्स चढ़ सकते हैं । इसलिये सी० ओ० को घोड़े पर ही पड़ताल करनी चाहिये । अगर वह घोड़े पर खेत पर नहीं पहुंच सकता है तो यह पड़ताल का कोई तरीका नहीं है ।

दूसरी बात मैं और कहूं, बुरी न लगे, कंसोलिडेशन के काम में ईमानदारी की ज्यादा जरूरत है तो मेरी राय यह है कि इस बात की जांच होनी चाहिये कि जिसने इस विभाग में ५ साल नौकरी की है उनकी पहले क्या माली हालत थी और आज क्या है ? मैं समझता हूं कि यह कानूनन बेजा बात नहीं है । एक बार आप ऐसा कर दें और १०।२०।५० आदमियों को जिनकी आमदनी बेजा तरीके पर बढ़ी हुई है उनको छुट्टी दे दीजिये और कह दीजिये कि आपने दूसरे काम के लिये काफी कमा लिया है । यह काम तकलीफ पहुंचाने वाला है । लेकिन आप अंदाजा कीजिये कि जो किसानों पर जुल्म होता है और हर तरह से उसको तकलीफ दी जाती है, उससे ज्यादा तकलीफ का नहीं है ।

एक बात और है, अगर सरकार का इरादा कोआपरेटिव फार्मिंग का है तो कंसोलिडेशन की क्या जरूरत है । कोआपरेटिव फार्मिंग तो इसलिये करते हैं कि छोटे-छोटे टुकड़ों से बड़े टुकड़ों में खेती करने के आधुनिक साधन उपलब्ध हो जांय जिससे उत्पादन बढ़े । अगर सरकार का इरादा है कोआपरेटिव फार्मिंग का तो फिर मेहरबानी करके कंसालिडेशन में अपनी शक्ति का अपव्यय न कीजिये । इतनी बड़ी मशीनरी है, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और किसान से वसूल करना चाहते हैं । दोनों काम एक साथ बहुत गलत हैं । एक किसी काम को तय कर लीजिये कि हमको कोआपरेटिव फार्मिंग में जाना है या छोटे छोटे टुकड़ों को बड़े टुकड़ों में इकट्ठा करना है । दोनों में से एक बात तय कर लीजिये उसके बाद इस सदन से कहिये कि इस तरह का कानून बनाओ ।

आज मैं यह कहने को तैयार हूं कि आज यह पता नहीं है कि कंसालिडेशन में किस जगह क्या तरक्की हुई है । अगर जाती तौर पर कोई कहे कि फलां जगह पर यह तरक्की हुई है तो न मानने का कोई कारण नहीं है । यह एक डेवलपमेंट की स्कीम है । क्यों नहीं कोई तरीका ऐसा निकाला जाय जिससे इस काम का इवैलुएशन किया जाय ? इवेलुएशन आज तक नहीं किया गया । मैं समझता हूं कि आप को जिसके ऊपर यकीन हो, नान आफिशल

कोई भी संस्था हो, लेकिन जब भी आप कमेटी बनायें वह दस बीस, पचास तहसीलों म जाकर जो कंसालिडेशन का काम हुआ है सारी बातों पर एक मर्तबा जांच करे और वह सरकार को सलाह दे और उस सलाह के अनुसार अगर सरकार को कानून बदलने की जरूरत हो तो जिस तरह से कानूनी सलाहकार सलाह दें, कानून बदल दिया जाय। मेरी अपनी पक्की राय है कि जब तक आप कंसालिडेशन के संबंध में इस तरह की कोई राय न प्राप्त कर लें, तब तक लकीर पीटने वाला काम न किया जाय। कोआपरेटिव फार्मिंग जिस इलाके में होती है वहां एक हैजा आने की तरह बात हो जाती है।

मैं माननीय मूलचन्द शास्त्री का ध्यान दिलाऊंगा सर्धना तहसील, मेरठ में कंसालिडेशन का काम किया गया। मैं मेरठ के गांधी आश्रम में बैठा हुआ था। लोगों ने कहा कि हम लोगों ने जोड़ कर इतना रुपया दे दिया। हमने कहा इसका क्या मतलब ? किन लोगों ने दिया, किन लोगों ने नहीं दिया ? कहने लगे कि कोई बाकी नहीं है, सबने दिया। मैंने पूछा कि फिर वह किस को फेवर करेंगे ? तो जवाब दिया, भाई देखो, जैसे हैजा आता है तो उस में चाहे किसी घर का कोई बीमार हो या न हो, सब को महामाया की पूजा में चन्दा देना पड़ता है। हमने कहा क्या फायदा होगा ? उन्होंने जवाब दिया कि महामाया गांव बख्श कर कहीं चली जायगी। इसके पीछे क्या तर्क है, मैं नहीं बता सकता। मेरठ जैसी जगह की सर्धना तहसील के लोगों का यह कहना है तो और जगहों के लिये क्या कहें ? इन सारी बातों को देख कर आप प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव है उसको आप स्वीकार करें।

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि इस अमेंडमेंट में कोई अमेंडमेंट तो भेजा नहीं। कैसे अमेंडमेंट भेजें ? ४८ अमेंडमेंट आपने भेज दिये ५४ दफाओं में और ९६ अमेंडमेंट हमारे हो सकते हैं। इस सदन का समय बचाया जाय और उसको इवैलुएट कर लें कि सैदपुर तहसील में या दूसरी तहसीलों में क्या लाभ हुआ है यह देखें कि सचमुच इस स्कीम में कितना लाभ है या थोड़े से मुट्ठी भर लोगों को लाभ है या सारी किसान जनता को लाभ है, फिर तय करें कि उसमें क्या सुधार होना चाहिये। अगर ऐसा हो तो मैं समझता हूं कि इससे लाभ होगा।

श्री अधिष्ठाता—आज इस बिल को समाप्त भी करना है, जैसा कि कार्य मंत्रणा समिति की राय है। तो मैं समझता हूं कि माननीय गेंदासिंह के विस्तृत विवेचन के बाद अब अगर कोई नयी बात किसी माननीय सदस्य को कहनी हो तो आप समय लें, उसके बाद आप लोगों की राय से माननीय कल्पनार्थसिंह को जवाब देने दिया जाय। माननीय हिम्मतसिंह, नयी बात अगर कोई कहनी हो तो वही कहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल ४ मिनट का समय चाहूंगा और नयी बात कहूंगा।

श्री अधिष्ठाता—आप बैठें। माननीय हिम्मतसिंह जी।

***श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—अधिष्ठाता महोदय, जैसाकि आपने मुझ पर और सारे वक्ताओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया कि अगर कोई नयी बात बोलें तो बोलें, मैं आपका ध्यान एक इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आज जिस काश्तकार की भूमि की चकबन्दी हो रही है, उसको न्याय मिलता था, अब उस न्याय पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस की जा रही है। वह कितने आब्जेक्शन्स और अपीलें वगैरह कर सकते थे उनको मौका अब नहीं दिया जा रहा है कि वह काश्तकार जाकर के अपनी बात अदालत में कह ले। जहां टाइटिल, शेयर, पार्टीशन, वैल्यूएशन इन सबका पूरा मौका मिलता था वह सब खत्म कर दिया जा रहा है। और यह सब अधिकार अब किस आदमी को दिया जा रहा है ? मान्यवर, मैं आपके द्वारा बताऊं कि वह उस आदमी को दिया जा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हिम्मतसिंह]

रहा है जो एक सी० ओ० यानी कानूनगो के रैंक का होता है और हमारा अनुभव है, शायद माननीय मंत्री जी को भी मालूम होगा कि वह कानूनगो अपने मातहत लेखपाल या पटवारी से उसकी तनख्वाह में से १ रुपया प्रति माह लेता था। यानी जिस आदमी का नैतिक चरित्र इस प्रकार का हो कि वह अपने ही मातहत की तनख्वाह से एक रुपया महीना लेता हो, उस नैतिक चरित्र वाले आदमी को यह सब अधिकार दिये जा रहे हैं। तो अगर उसका मारल, स्ट्रेचर इतना ऊंचा है कि वह इन सारे मामलों का निर्णय कर सकता है, तो ठीक है। लेकिन मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। ऐसी सूरत में जो यह ए० सी० ओ० को काम दिया जा रहा है कि वह काश्तकारों की सुविधानुसार फैसले करा देगा और आपस में तसफिया करा देगा, वह ठीक नहीं है। आज हो क्या रहा है? आप देखें उस काश्तकार को बताया कुछ जाता है, कहा कुछ जाता है, लिखाया कुछ जाता है, तो यह मारल स्ट्रेचर उनका कितना गिरा हुआ है?

दूसरा सवाल यह है कि खसरे में पांच बीघा लिखा हुआ है, मैप में चार ही बीघे आते हैं। तो वह चार बीघा ही दे दिया जाता है। मैं समझता हूं कि जहां ऐसी गलतियां मैप की पायी जायं उनका रेक्टिफिकेशन होना जरूरी है क्योंकि उससे झगड़े की सम्भावना होती है। इसलिये इन मैप्स का भी करेक्शन अनिवार्य रूप से होना चाहिये।

दूसरी बात जो अपील्स में मौका दिया जाता था और लिमिटेशन जहां निकल जाता था वहां धारा २२ के अनुसार काश्तकार अपनी बात कह लेता था जिसकी ओर कल भोखालाल जी ने ध्यान आकर्षित कराया था। मैं अधिक उस पर नहीं कहूंगा। लेकिन वह धारा हमारे लिये रामबाण की तरह थी जिसके अन्दर हमको मौका मिल जाता था। वह मौका हमको मिलना चाहिये।

इस संशोधन में एक बात और कर दी गई है कि काश्तकार को जो नयी जमीन मिलेगी उसमें और जो जमीन उसके पास पहले थी, दोनों के रकबे में २५ प्रतिशत से ज्यादा हेर फेर नहीं होगा। मान लीजिये कि १०० बीघे उसके पास थे तो चकबन्दी में सवा सौ बीघे हो सकता है या ७५ बीघे हो सकता है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि चूंकि मूल्यांकन में गड़-बड़ी हुआ करती है इसलिये माननीय मंत्री जी की तरफ से यह एक चीज ऐसी आगई जिसमें मूल्यांकन में हेरफेर अधिक नहीं होगी क्योंकि वह समझता है कि उसको ७५ से १२५ बीघा तक जमीन मिलेगी। पहले के मुकाबले में वह दुगुना तिगुना हो गया। इसलिये यह बैरियर लगाया गया है। इससे मूल्यांकन ठीक हो सकेगा।

अब रही खर्चे की बात, जो करेक्शन आफ मिस्टेक्स के लिये लिया जायगा तो वह सरकार के द्वारा ही गलती होती है और उसका इन्तजाम सरकार द्वारा ही होना चाहिये। सरकार उन मिस्टेक्स को खुद ठीक करें। जिसके चक में आगे चलकर वह जमीन आवे उससे वह थोड़ा बहुत खर्चा लिया जाय। जैसा कि गेंदासिंह जी ने बतलाया कि पहले जब सैटिलमेंट होता था उस समय पैमायश होती थी और गाटे लिखे जाते थे। वह अब नहीं हो रहा है। अगर उसको किया जाने लगे तो हम देने के लिये तैयार हो जायेंगे।

इसके अलावा और भी दिक्कतें हैं, तो उन दिक्कतों को निपटाने के लिये काश्तकारों को कम से कम मौका मिलना चाहिये जिससे वह अपनी बात कह सके। एक सवाल अपील का रह जाता है कि कौन अपील सुनेगा? अगर आप और को इसकी पावर नहीं देना चाहते तो कम से कम सिविल जज को ही इसकी पावर देदें कि जिससे वे दिक्कतें आ रही हैं वह दूर हो जायं। इसमें बहुत से सवाल पैदा होंगे, एडाप्शन का सवाल है, वैल्यूएशन का सवाल है और इसी तरह के दूसरे भी मसले होंगे तो उनको निपटाने के लिये अपील की पावर ऊपर में देना उचित है। जज इस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। इससे लोगों को बहुत शान्ति मिलेगी और झगड़े का अवसर भी नहीं रहेगा। अगर रिवीजन रखी गई तो उनको आप आगे कुछ बढ़ा दें जिससे इनके अलावा आगे भी उसकी सुनवाई हो सके। अगर आप इस तरह से इसका स्कोप

बढ़ा देते हैं तो कुछ काश्तकारों को राइट और मिल जाता है। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि दफा २२ को आप कम से कम डिलीट न करें ; उसको रहने दें तो अच्छा रहेगा और उससे काश्तकारों को राहत मिलेगी।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, मैंने आपसे यह वादा करके वक्त लिया है कि मैं नई बात करूंगा। ऐसी खास बात करूंगा जिसको अभी तक किसी ने नहीं कहा। हमारे सभी सदस्यों को मालूम है और खास तौर से पंडित बृजबिहारी जी जानते हैं कि पुराने जमाने में गांव में बटवारा हुआ करता था। जिस गांव का बटवारा मन्जूर होता था उस गांव के लिये लोग कहा करते थे कि गांव को मोल लिया। यह चकबन्दी भी उससे कम नहीं है बल्कि कुछ अधिक ही है। इसकी कीमत देकर लोग कहते हैं कि गांव को कीमत से खरीदा। आज के जमाने में भी गांव को खरीदना पड़ता है चकबन्दी की वजह से। जिस समय यहां पर चकबन्दी कानून बना तो उस समय बहुत से सदस्य यहां पर मौजूद थे जो यहां पर अब भी उपस्थित हैं। हम लोगों ने इस बात की कोशिश की थी कि हमारी तहसील में और हमारे निर्वाचन क्षेत्र में यह चकबन्दी का हैजा न आने पाये और यह मुख्य मंत्री जी को भी मालूम है। मुझे यह देखकर हैरत होती है कि इस कुर्सी पर जब कोई सज्जन बैठ जाते हैं तो उनका दिमाग बिलकुल खराब हो जाता है।

मुझे एक कहानी याद है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी। वह कहानी ऐसे थी कि कुछ गांव के लड़के अपने मवेशियों को लेकर मैदान में चराने के लिये गये। उस जगह कभी कोई विक्रमादित्य का महल रहा होगा। तो उसमें उस स्थान पर विक्रमादित्य का न्यायालय था और उस जगह पर वे लड़के खेल करने लगे और वह खेल न्यायालय की बात करने की तरह से था। जो लड़का उस तख्त पर बैठा तो वह ऐसी भाषा इस्तेमाल करने लगा कि जिससे वे सब लड़के हैरत में आगये कि इसमें तो विलक्षण बुद्धि का प्रादुर्भाव कहां से हो गया। तो उसी प्रकार से इस जगह में यह खसूसियत है कि इस जगह पर बैठते ही विक्रमादित्य का न्यायालय का असर इसमें आ जाता है। जो अच्छे से अच्छे आदमी अभीतक उन कुर्सियों पर बैठे न जाने क्या हो गया ? उन की अकल एक दम मारी गयी। वह उल्टी बात सोचने लगते हैं। यही हाल आज भी देखता हूं। एक तरफ चीन का संकट है, हम लड़ाई के मैदान में खड़े हैं, हमारे सामने परेशानियां हैं, दूसरी तरफ यह चकबन्दी है जो गांव में मुसलसल बीसियों मुकदमें चलवाती हैं। कोई बाकी नहीं रहता। यह सब शिकायतें आ चुकी हैं। यह १९५३ से चल रही है। मैं चाहता हूं कि कम से कम इस जमाने में जबकि हम संकट में हैं इसे रोक दिया जाय। किसान तरह तरह से चन्दा दे रहा है, उसका लड़का कांस्टेबिल है तो वह चन्दा देता है, वह क्लर्क है तो चन्दा देता है, अभी लगान पर आपने कर बढ़ा दिया वह देगा, और इसके अलावा एक बड़ा भारी कर जो कागजों पर नहीं है, घूस है जो किसान को देना ही पड़ता है और यह इस चकबन्दी द्वारा उस पर लादा जा रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जब तक यह लड़ाई चल रही है उस समय तक यह चकबन्दी रोक दी जाये। इसमें किसी को नाराजी नहीं होगी। आप समझते हैं कि इसमें पैदावार में बढ़ोत्तरी होती है, लेकिन यह १९५३ से चल रही है ; आप देखें कि आप कितने एरिया में चकबन्दी कर पाये हैं और इसमें कितनी पैदावार बढ़ी है। अब आप इस लड़ाई के जमाने में क्या कर पायेंगे, इसे समझ लीजिये। आप को चाहिये कि किसान को मदद दें, उसे प्रोत्साहन दें और अपने न्यायालयों में, शासन के कर्मचारियों में यह भावना पैदा करें कि वे कम से कम किसान से घूस न लें।

श्री अधिष्ठाता—चकबन्दी में रिश्वत की बात बहुत से माननीय सदस्य कह चुके हैं।

श्री उमाशंकर—मैं यह कह रहा हूं कि आप लोग यह फैसला कीजिये कि यह चकबन्दी की स्कीम रोक दी जाय और इसलिये रोक दी जाय....

श्री अधिष्ठाता—चकबन्दी चले या न रहे, इस पर बहस नहीं है। यह निर्णय हो चुका है कि वह चलेगी।

श्री उमाशंकर—श्रीमन्, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसा संशोधन इसमें नहीं दे सका कि इसको रोक दिया जाय, इसलिये मैं कल्पनार्थसिंह जी के संशोधन का समर्थन जरूर करता हूं लेकिन बात अपनी यह कहना चाहता हूं कि इस स्कीम को खत्म कर दिया जाये, और इसी के लिये मैं कारण बतला रहा हूं। जब नार्मल टाइम हो तो आप इसको लागू कर दें। आप को मालूम है कि आज हमारे देश की हालत क्या है। मैं आप को मिसाल दे रहा हूं। इंग्लैंड की पार्लियामेंट के लिये रजनीपामादत्त पता नहीं कब से खड़े होते आ रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है कि कभी वे पार्लियामेंट के मेम्बर चुने गये हों। लेकिन हिन्दुस्तान में सन् १९३० से लेकर, जब से कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ है, आज तक उसने बराबर हिन्दुस्तान की आजादी को खतरा पहुंचाया है, लेकिन आज भी उनके इतने सदस्य चुन कर यहां आ गये हैं। तो इस देश की जनता में वह जागृति अभी पैदा नहीं हुई है जो होनी चाहिये। यह हमारा दुर्भाग्य है। इसीलिये मैं कहता हूं कि जब तक हम संकट काल में हैं, देश में लड़ाई चल रही है, इस चकबन्दी के कानून को स्थगित कर दीजिये। चकबन्दी हमारी इस लड़ाई में सहायक नहीं हो सकती। हमारी आर्थिक हालत खराब करती है यह चकबन्दी। इसलिये हमारी जो भी बचत हो वह सब इस लड़ाई में ही लगाई जानी चाहिये और अपनी आजादी की रक्षा करनी चाहिए और इस चकबन्दी के लिए अपने संशोधनों को स्थगित करना चाहिए। बस यही मेरी आप सब से प्रार्थना है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं यह आप से कहना चाहता हूं कि जहां तक किसानों का संबंध है, १९३७ से आज तक अगर देखा जाय तो एक किसान का ही तबका ऐसा है जिसके सुधार के लिए हम आप यहां पर बातें करते हैं और कानून बनाते हैं लेकिन आज तक उन को हम आश्वस्त नहीं कर सके और आप के कानून बनाने के बाद भी वह कितना आराम पा रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में भी कोई आमूल परिवर्तन नहीं हो पाया है। अगर आप टेनेन्सी ऐक्ट से लेकर आज जो कन्सालीडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट ऐमेन्डमेन्ट बिल आये हैं उसको देखें तो मैं यह समझ पाता हूं कि केवल इस सरकार के दिमाग का दिवाला पिट गया है और यह सरकार सही तरीके से यह समझ नहीं पाती है कि हम किस तरह के सिस्टम को लागू करें और किसानों की गिरी हुई आर्थिक स्थिति का विकास करें। मैं समझता हूं कि सरकार को वही सब करना चाहिए कि जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति का उत्थान हो सके। आज जो ऐमेन्डमेन्ट बिल है यह जैसा कि आदरणीय गेंदासिंह जी ने कहा कि यह सरकार हमेशा ऐमेन्डमेंट लाती है और हमेशा एक न एक सुधार करना चाहती है लेकिन क्या आप को मालूम होगा कि परमानेन्ट सेटिलमेन्ट जो अंग्रेज एक कानून बना कर के कर गए हैं और जो बिहार में आज भी लागू है, उसके जरिये क्या आप यह नहीं देखते कि वहां का टेन्योर सिस्टम मेनटेन किया गया और किसी तरह का कोई ऐग्रेरियन रिफार्म करने की जरूरत नहीं पड़ी ?

आप कहते हैं कि हम कन्सालिडेशन के जरिये खेती की तरक्की करना चाहते हैं और उपज बढ़ाना चाहते हैं लेकिन जिन गांवों में कन्सालीडेशन का काम पूरा हुआ है मैं आप को बता दूं कि वहां पर भी किसान सन्तुष्ट नहीं हैं। मैं आप को गोरखपुर जिले की सदई तहसील की बात बताऊं कि वहां पर कन्सालीडेशन का काम पूरा हुआ लेकिन अभी तक ऐसे भी किसान हैं गांवों में जिनका अभी तक कायदे से ट्रांस्फर नहीं किया गया और किसान को यह भी नहीं मालूम हो पाया है कि किस खेत पर कन्सालीडेशन हुआ है और कौन-सा उस को जोतना है और कौन सा खेत उस को मिलना चाहिए। मैं आप को सदर तहसील के देवनपुर गांव की स्थिति बता देना चाहता हूं, वहां पर कन्सालीडेशन का काम पूरा हो चुका है परन्तु उनको यह भी नहीं मालूम कि आज हम किस खेत पर काबिज हैं। यही आप का कानून है, जो कि जनता की इच्छाओं के खिलाफ बना है। परन्तु मैं आप को बता देना चाहता हूं कि ऐसा कानून कानून नहीं

कहलाता है। वह एक ऐसी चीज है जो कि हमको नौकरशाहियत की तरफ ले जाती है। मैं साफ तरीके से अर्ज करना चाहता हूं कि चकबन्दी एक हैजे की बीमारी की तरह से है जो कि हमारे देहातों में किसानों के ऊपर पड़ रही है। मैं अपने क्षेत्र की आप को एक बात बताता हूं कि चुनाव से पहले किसान यह पूछते थे कि जो चकबन्दी रोकने की कोशिश करेगा, हम उसी को वोट देंगे। तो यह स्थिति है। चुनाव तक भी उस पर मुनहस्सर है जो कि उस को रुकवायेगा वही चुनाव जीतेगा। जिस कानून का यह हश्र हो, जिसका कुप्रभाव लाखों करोड़ों किसानों के ऊपर पड़ता हो, और जो उनकी इच्छाओं के विरुद्ध हो और जनता उस कानून के खिलाफ हो तो मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि आपको इस प्रश्न पर सोचना पड़ेगा और कुछ इस तरफ सुधार करना होगा। आज कन्सालीडेशन में कौन आफिसर घूस लेता है, यह कहना पाप है। हमारे यहां का कल ही एक किसान मेरे पास आया और उसने कहा कि सी० एल० आर० डी० के जरिये जो खेत हमको मिला है वह हमसे छीना जा रहा है। हमने ए० सी० ओ० और सी० ओ० से बात करने की चेष्टा की और पूछा कि सी० एल० आर० डी० से जो चक मिले हुये हैं उनका क्या हश्र होगा। तो उन्होंने कहा कि सी० एल० आर० डी० कोई चीज हैं ही नहीं। अब उसका कोई महत्व ही नहीं रह गया है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें कि जो खेत सी० एल० आर० डी० के मिल चुके हैं उसका क्या हश्र इस चकबन्दी पर होगा क्योंकि वे तो बेदखल होते जा रहे हैं।

यह कहा जाता है कि चकबन्दी से खेत एक जगह हो जायेंगे। गोरखपुर जिले की सदर तहसील में चकबन्दी हुई है। आज किसान उसके कारण रो रहे हैं। यह चकबन्दी अधिकारी क्या करते हैं? एक एडवाइजरी कमेटी भी आपने बना दी है, मगर उसका क्या हश्र है? अगर हम कोई सुझाव भी देते हैं तो उसका भी पालन नहीं होता। तो मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि आप ऐसा कानून जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं जिसका जनता की जिन्दगी से कोई ताल्लुक न रह कर, उसकी जिन्दगी से बहुत दूर होता है। आप को ऐसे कानून को बदलना पड़ेगा और उसमें कोई आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। आखिर सरकार क्या चाहती है? एक तरफ कहते हैं कोआपरेटिव फार्मिंग करो, दूसरी तरफ कन्सालीडेशन पर जोर देते हैं। या तो सारे प्रदेश में कोआपरेटिव तारीके से खेती की योजना बनाइये, या कन्सालीडेशन के जरिये सरकार बिखरे हुए खेतों को एक जगह करे। दोनों सिद्धान्त एक साथ नहीं चलने चाहिये। जितने सोशलिस्ट कन्ट्रीज हैं उनमें इसका एक तरीका होता है। या तो वे क्लैक्टिव फार्मिंग चाहते हैं या फिर स्टेट या सरकार फार्म लेकर स्टेट फार्मिंग करती है। जो सिस्टम आप कर रहे हैं और एक भ्रम फैला रहे हैं, उस तरीके से आप की तृतीय योजना सफल नहीं होगी, जो उसके लक्ष्य हैं वे पूरे नहीं हो सकते।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर कन्सालीडेशन हुआ है, गोरखपुर में, सदर तहसील में, आप किसी भी १० गांवों को ले लीजिये और इस बात की जांच कराइये कि वहां पर पहले पैदावार कितनी होती थी, और अब कन्सालीडेशन के बाद कितनी हो रही है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। मैं यह फिर कहता हूं कि सरकार अपने इन सिद्धान्तों को बदलेगी नहीं, उनमें मूल परिवर्तन नहीं करेगी, तो उसके लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*कुंवर श्रीपालसिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल एक बात निवेदन करना चाहूंगा। हालांकि कुछ कहा जा चुका है, थोड़ा सा रह गया है, उसे मैं निवेदन करना चाहूंगा। इस चकबंदी विधेयक को देखने से यह मालूम होता है कि चकबन्दी के काम में जल्दी करने के लिये इसको लाया गया है। यह मैं मानता हूं कि इसमें जल्दी होनी चाहिये क्योंकि ए० सी० ओ० और सी० ओ० के यहां १५०-१५० मुकदमें पड़े रहते हैं। अगर जल्दी होगी तो लोगों का फायदा होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

लेकिन इसके साथ ही साथ जो रिश्वत की बात कही गयी है, यह भी सही है। रिश्वत के मामले में हमें यह देखना चाहिये कि उसकी शुरूआत कहां से होती है। इसके बारे में यह विधेयक कुछ भी नहीं करता। रिश्वत की पृष्ठभूमि उसके प्रारम्भ होने से पूर्व ही बन जाती है। जिस समय जमीन का वेल्युएशन होता है उसी समय रिश्वत की गुंजाइश हो जाती है। वह इस प्रकार से कि मान लीजिये हमारे पास कुछ घटिया किस्म की १० बीघा जमीन है। हम चाहते हैं कि उसके बजाय हमें अच्छी जमीन मिल जाय। हम रिश्वत दे कर उसका मूल्य १०० पैसा करा देते हैं। अब जिस जमीन को हम लेना चाहते हैं वह ५० बीघा है और अच्छी है। उसकी क़ीमत हम १० पैसा करा देते हैं और इस प्रकार से १० बीघा कुछ खराब जमीन के बदले ५० बीघा अच्छी जमीन हमारे पास आ जाती है। इस चीज के लिये इस विधेयक में कोई तरकीब होनी चाहिये थी।

मेरे खयाल में जिस समय क्राप कटिंग होता है उस समय वेल्यूएशन किया जाना चाहिये। यद्यपि उस समय भी गड़बड़ी हो सकती है लेकिन उसकी गुन्जाइश बहुत कम होगी क्योंकि उस समय बहुत से लोग उसको देखने वाले होंगे। मैं क्राप कटिंग कंपीटीशन में भाग ले चुका हूं। मैंने सही-सही दिया तो मैं सेकिंड रह गया और दूसरा आदमी फर्स्ट हो गया। एक लोहे का छल्ला होता है उसमें अगर एक एक दाना भी बढ़ा दिया जाय तो १,३०० दाने बढ़ जाते हैं लेकिन फिर भी इस प्रकार से करने में काफी ईमानदारी की गुंजाइश हो जायगी। चकबन्दी में मुझे मालूम नहीं किस प्रकार से वेल्युएशन होता है, मौके पर होता है अथवा गांव में बैठ कर दिया जाता है। पहले तो कानूनगो ही कर दिया करता था। अतः मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि अगर वे चकबन्दी को वरदान बना देना चाहते हैं, तो इस चीज की ओर अवश्य ध्यान दें। चकबन्दी के हरएक हिस्से को मैंने देखा इसलिये यह मैं अपने तजुरबे की बात बता रहा हूं।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है, जैसा कि उमाशंकर जी ने कहा कि इस वक्त वाकई चकबन्दी की जरूरत है नहीं, क्योंकि चकबन्दी जिस गांव में शुरू होती है उस गांव की उपज घट जाती है। किसान को यह इत्मीनान नहीं होता है कि कौन-सा खेत हमें मिलेगा और कम से कम दो साल का वक्त चकबन्दी में लग जाता है। जब किसान को अपने खेत का इत्मीनान नहीं रहता कि कौन सा हमें मिलेगा, तो वह उसमें खाद पांस डालना छोड़ देता है और उसका नतीजा यह होता है कि उपज बढ़ने के बजाय घटती जाती है। यह तर्जुबे की बात है जो मैं बतला रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—ये सारी बातें कल राधेश्याम जी कह चुके हैं, कोई नयी बात कहनी हो तो कहें।

कुंवर श्रीपालसिंह—हमारे प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री या और जितने बड़े बड़े नेता सभी कहते हैं कि हमारी एक फौज जो फ्रंट पर लड़ेगी और दूसरी फौज को घर में ही लड़ना है जिसका काम है अपनी उपज को बढ़ाना। यदि आप को उपज को बढ़ाना है तो उसके लिये चक-बन्दी को बन्द कर देना चाहिये क्योंकि आपकी चकबन्दी उस दूसरी फौज पर हमला है जिससे हमारी उपज घट जाने का खतरा है। यह उसी तरह का हमला है, जैसे भारतवर्ष पर बाहर से तो चीन हमला करता है और अन्दर से हमारे कम्युनिस्ट लोग हमला करते हैं। आप देखें कि हमारे यहां के कम्युनिस्ट लोग अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो रेलवे लाइन पर पत्थर ही गांज देते हैं या उसकी फिश प्लेट ही उखाड़ देते हैं। अगर और कुछ नहीं कर पाते तो रेलवे लाइन में जो एक लोहे का कछुआ लगा होता है, उसे ही निकाल देते हैं और यदि और कुछ नहीं कर पाते तो फिर सरकार के तलुवे में ही मक्खन लगाना शुरू कर देते हैं और उसे कुछ इस तरह से चढ़ाने की कोशिश करते हैं कि उससे कुछ गलत सलत काम हो जाय। तो यह चकबन्दी हमारे अन्दरूनी कम्युनिस्टों की तरह ही है जिससे उपज घटती है। इसलिये नहीं कि चकबन्दी बरी चीज है, या उसमें रिश्वत है बल्कि इसलिये कि चकबन्दी होते वक्त किसान के

दिमाग में कोई सही नक्शा नहीं रहता कि कौन सा खेत हमारे पास आयेगा जिससे वे अपने खेत में खाद पांस डालना बन्द कर देते हैं और फिर उपज घटती जाती है। चकबन्दी होने के दो साल बाद उपज बढ़ती है, यह दूसरी बात है लेकिन दौराने चकबन्दी उपज घटती है। उपज बढ़ाने के लिये अच्छा तो यही था कि इस वक्त इसे बन्द कर दिया जाय लेकिन आप इसे जल्दी-जल्दी कराने पर तुले हुए हैं, तो ठीक है जो चाहिये कीजिये। लेकिन यह चीज जरूर होनी चाहिये कि जमीन की वेल्यूएशन जो लगायी जाय वह बहुत सही तरीके से और रिश्वत पूरी तरह से बन्द हो जाय। अगर इतना काम आप कर दें तो सब कुछ संभल सकता है। इन अन्दरूनी कम्युनिस्टों से आपको काफी होशियार रहना है कि कहीं ये लोग तलुवे में मक्खन लगाते लगाते फांसी पर न चढ़ा दें।

श्री अधिष्ठाता—श्री कमलासिंह, आप ५ मिनट बोल लें, उसके बाद श्री कल्पनाथ-सिंह जी जवाब देंगे। इस पर काफी विवाद हो चुका है, फिर बाद में खंडों पर कहने का आप लोगों को मौका होगा।

***श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)—श्रीमन्, मैं ज्यादा समय न लेकर जो लीगल ऐस्पेक्ट है इस वक्त की चकबन्दी का, उसी की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एक सदस्य—जरा इधर भी नजर रखें।

श्री अधिष्ठाता—नजर तो मैं रखता हूं लेकिन इधर के लोग पहले खड़े हो गये।

श्री कमलासिंह यादव—चकबन्दी का जहां तक सम्बन्ध है, मैं उन आदमियों में हूं जिसने पहले इसका स्वागत किया। लेकिन हमारे गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में जो चकबन्दी हुई तो उत्तर प्रदेश के लोग वहां जा कर उसे देखा करते थे कि किस तरीके से वहां चक काटे गये हैं और वह नमूना सारे सूबे के लोगों को बुलाकर दिखाया जाता था लेकिन आज मुझे अफसोस है कि सैदपुर तहसील की वह चकबन्दी जो उत्तर प्रदेश का आप का एक नमूना थी वह अब एक हास्य का रूप हो गई है और वहां जो चकबन्दी हुई है उस के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां के एक भी चक का रकबा पूरा नहीं है और जो केवल कठिन नहीं, सब से कठिन समस्या वहां की है। इसके लिये मैं डायरेक्टर महोदय से और मंत्री जी से भी बात कर चुका हूं लेकिन सुधार की कोशिश करने पर भी वहां कोई सुधार नहीं हुआ और वहां पर किसानों का जनरल मेसेकर हुआ है। हमारे यहां सब से बड़ी समस्या यह है कि जिस समय सैदपुर तहसील में चकबन्दी हुई उसमें एक चक का भी रकबा ठीक नहीं हुआ। दफ़ा ५२ के नोटिफिकेशन के बाद यह हुआ कि फिक्सेशन आफ स्टोन के प्रश्न उठे। इस का नतीजा यह है कि लाखों किसान फिक्सेशन आफ स्टोन की दरख्वास्तें देंगे और ऐसी चकबन्दी का क्या नतीजा होगा और सारा खर्च बेकार हो जायगा।

आज दीवानी की अदालतों में जो मकान चकों में बन रहे हैं उनके बारे में बहुत से मकान गिराने के दावे हो रहे हैं। आज जब हम चकबन्दी अधिकारी से सहायता मांगते हैं तो वह कहते हैं कि हम क्या करें। चकबन्दी के वक्त जो सेटिलमेंट हुआ था और जो रकबे दिये गये थे वह रकबे मौके पर नहीं है और कहीं कागजात की और कहीं नकशे की गलती बता दी जाती है। यह दिक्कत है। जब यह मुकदमे सिविल कोर्ट में जाते हैं और मकान वगैरा गिराने के दावे होते हैं और पुराने नक्शे के मुताबिक़ वह मकान आज भी गिराये जाते हैं और कोई नहीं कहता कि बन्दोबस्त का नकशा गलत है। सब से पहले मैं मंत्री जी का और अधिकारियों का ध्यान दिलाऊंगा कि नकशे या खसरे के मुताबिक जो रकबे हैं उनकी दुरुस्ती होना आवश्यक है और नक्शे के मुताबिक जो खसरे से तैयार किये जायं और हर चक की पैमायश और वैरिफिकेशन कराई जाय और फिक्सेशन आफ स्टोन कराया जाय। इस से भविष्य के लिये यह दिक्कत ख़त्म हो जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

दूसरी आज जो होड़ मची हुई है, फर्स्ट, सेकिन्ड अपील और रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पहले आप जरा सोचें कि क्या आप कर रहे हैं। सब से पहला काम आज मंत्री जी को सेपरेशन आफ जूडीशियरी व एग्जीक्यूटिव करना चाहिये इसमें। बहुत से सदस्यों ने कहा कि रात में २ बजे तक ए० सी० ओ० और सी० ओ० के यहां औरतें तक मुकदमों का फैसला कराने के लिये मौजूद रहती हैं। कहां तक यह उचित है कि जाड़े और गर्मी में औरतें वहां रात को पड़ी रहें ? इस सेपरेशन से काफ़ी लाभ होगा, इससे कोई दिक्कत न रहेगी ।

तीसरे हमारे यहां जलालनगर की आबादी २० हजार की है और मिर्जापुर और बिलहरी गांव के बारे में मैं चुनौती देता हूं कि अगर आप चकबन्दी का हास्य देखना चाहते हैं तो आप इन तीनों गांवों के नक्शे को देख लें। आज तक किसानों को नहीं मालूम कि कहां रकबा है, २० बीघे वाले को ५–६ बिस्वा जमीन मिली है और १७–१७ और १९–१९ धूर तक जमीन कहीं-कहीं दी गई है। ऐसे चकों की क्या जरूरत है ?

जहां तक सेकिन्ड अपील खत्म करने की बात है, हम इससे एग्री करते हैं कि वह खत्म की जाय। लेकिन मैं कहता हूं डायरेक्टर को जो पावर रिवीजन की ला पर देते हैं, फैक्ट पर भी दीजिये हमें कोई एतराज नहीं होगा अगर सेपरेशन जुडिशियरी का हो जाता है तो खुशी की बात है और जो रेफरेंस आप सिविल कोर्ट में करते हैं उसको बन्द कर दीजिये, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी अगर सेपरेशन आप कर देंगे ।

अब मैं डिले की तरफ ध्यान दिलाता हूं । उसका सबसे पहला कारण यह है कि फैसले की नकल अपील के लिये चकबन्दी अधिकारी समय पर नहीं देते, कभी कभी समय बीत जाता है तब फैसला बताते हैं जबकि दस्तखत पहले करा लेते हैं। कुंवर श्रीपालसिंह जी कह रहे हैं कि ढेले के नीचे रख आते हैं ; हो सकता है ऐसी बात हो। जिस तरह से क्रिमिनल कोर्ट में फैसले लिखे जाते हैं उसी समय ३, ४ कापीज हो जायं और पार्टीज को उसी वक्त कह दिया जाय जिसको अपील करनी हो हमारे पास फैसले की कापी मौजूद है ले ले, तो सारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं जिस फैसले की अपील करे उसी फैसले की कापी दाखिल करने की जरूरत हो । कुछ दिन पहले यह प्रावीजन था कि हम एक फैसला दाखिल करते थे और दूसरे की कापी चली आती थी। लेकिन अब फिर वही दिक्कत लायी जा रही है ।

सेक्शन ११ में सेकेन्ड अपील ला और फैक्ट पर दोनों बातें सुनने की चीज थी, उसको खत्म किया जा रहा है। जहां तक प्रोमोशन का सवाल है पूर्वी और पश्चिमी जिलों में बहुत फर्क है। पूर्वी जिलों में छोटे छोटे खेत हैं, और पश्चिम में बड़े बड़े खेत हैं और यहाँ के अधिकारी यह समझते हैं कि अगर चकबन्दी पश्चिमी जिले की जल्दी खत्म हो गई तो प्रोमोशन भी जल्दी मिलेगा जबकि पूर्वी जिले वालों को ज्यादा समय लगता है क्योंकि छोटे छोटे खेत हैं और उसी हिसाब से इंट्रीकेसीज होती हैं और उनको प्रोमोशन नहीं मिलता जितनी जल्दी पश्चिमी जिले के अधिकारियों को मिल जाता है क्योंकि उनका काम जल्द खत्म हो जाता है। इस प्रोमोशन की लालच में पूर्वी जिले वाले जल्दबाजी में काम खराब करते हैं। इसलिये मंत्री जी को जल्दबाजी का जो सुझाव है इसको मैं पसन्द नहीं करता क्योंकि किसान की जिन्दगी का सवाल है, रुपया पैसा तो आज आप ले लें पर खेत अगर निकल जायगा तो वह कहीं का नहीं रहेगा। इसलिये आप काम देर, में करें, हमें कोई एतराज नहीं, पर काम ठीक हो। जो आप काम करें और उस पर कोई दरख्वास्त पड़ गई तो उस अधिकारी को हैंग कर देना चाहिये ताकि दूसरे लोग वैसी गलती न करें ।

लिमिटेशन के मुताल्लिक यह कहना है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, उन्हें चकबन्दी की जानकारी नहीं होती। तो सेक्शन ५ लिमिटेशन ऐक्ट में इसीलिये दिया गया था कि जिनको जानकारी न हो यहां की कार्यवाही की और अपने हक के बारे में कोई बात न कह सकते

हां तो उनको मौका दिया जाता है यदि वह अधिकारी को संतुष्ट कर दें इस वजह से आब्जेक्शन नहीं कर सके तो उन्हें मौका मिलता था। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी भारी देन काश्तकारों के लिये कानून की है और इसको हटा देना किसान के लिये बड़ी भारी बुराई है।

चकबन्दी जब शुरू की गयी सबसे पहले तो स्पाट इंक्वायरी का प्राविजन किया गया और इसलिये किया गया कि मौके पर अफसर जाता है और खेत खेत पर घूमता है और वह जानता है कि किस खेत पर किस किसान का कब्जा है। पूर्वी जिलों का मुझे तजुर्बा है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी जोत है लेकिन कागज में इन्दराज नहीं है। ऐसे इन्दराज को ठीक करने के लिये स्पाट इंक्वायरी रखी गयी। जैसा राजा साहब ने कहा भी, वैलुएशन को ठीक करने के लिये भी स्पाट इंक्वायरी रखी गयी। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ी यह हुई कि ए० सी० ओ० और एस० ओ० सी० मौके पर जाते हैं और देखते हैं कि अमुक का कब्जा है और लिखते हैं कि इसे सीरदार बना दो। तो डिप्टी डायरेक्टर जो मौके पर जाते हैं वे कागज के कीड़े हो गये हैं और स्पाट के हालात उन्होंने नहीं देखे और उन्होंने कहा कि इसका इन्दराज नहीं इसलिये इसे सीरदार नहीं होना चाहिये। तो वह जो १३५९ के कानून से प्राविजन रखा गया था स्पाट इंक्वायरी का यह देखने के लिये कि कौन एक्चुअल सीरदार है वह अब पेपर ट्रान्जेक्शन में आ गया और वह स्पाट इंक्वायरी की अहमियत खत्म हो गयी।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजना चाहिये। इसमें जल्दबाजी न करें और पूरी बात सुन कर के जितने सुझाव दिये गये हैं एक नये तरीके पर विधेयक का निर्माण करके सदन में फिर लायें तो बहुत बड़ी बचत होगी और जो दिक्कतें चकबन्दी में आती हैं वे भी खत्म हो जायंगी और तब हम इस चकबन्दी का स्वागत कर सकेंगे।

श्री अधिष्ठाता---अब हम उठते हैं और दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संशोधन विधेयक पर कल से बहुत से माननीय सदस्यों ने भाषण दिये हैं उनके संबंध में मैं दो, चार बातें निवेदन करना चाहता हूं। माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी जी की सबसे बड़ी आपत्ति मुकदमों के डिस्पोजल के बारे में थी। उनका कहना था कि मुकदमों का फैसला बहुत जल्दी में किया जाता है। कुछ आपत्ति माननीय भीखालाल जी ने उठायी थी और कुछ सुझाव भी उन्होंने दिये जिन पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। उन्होंने यह तो माना कि इस विधेयक में कुछ इम्प्रूवमेंट हुये हैं लेकिन उनका कहना है कि इसमें जो जल्दबाजी कर दी जाती है यह ठीक नहीं है। माननीय गेंदासिंह जी ने---अच्छा है वे यहां इस समय मौजूद हैं--- कुछ ऐसी बातें कहीं जिन पर विचार अवश्य करना चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके सुझाव भी बड़े सुंदर रहे। उन्होंने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। करीब २ सभी सदस्यों ने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार है।

खर्चे के सम्बन्ध में कहा गया कि इसमें खर्चा बहुत अधिक हो जाता है। देखना यह है कि पहले स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या है। पहले २५ से २८ रुपये तक प्रति एकड़ खर्च होता था जिसमें से करीब आधा किसानों को देना पड़ता था, और आधा सरकार वहन करती थी। आज स्थिति यह है कि १० से सवा १० रुपये तक प्रति एकड़ खर्च होता है, जिसमें साढ़े पांच रुपये किसान को देने पड़ते हैं और ३७ नये पैसे सार्वजनिक उपयोग के मुआवजे के होते हैं। इस तरह से ५ रुपये ८७ नये पैसे किसान को देने पड़ते हैं और जहां पर 'आयताकार' चक का प्रबन्ध करना पड़ता है वहां ७५ नये पैसे और देने पड़ते हैं। इस तरह से किसान को ६ रुपये ६२ नये पैसे देने पड़ते हैं। पहले फी एकड़ २५ से २८ रुपये तक खर्चा पड़ता था और किसानों को इसका आधा देना पड़ता था। हमने खर्चे में कमी की है। इसके लिए मैं समझता हूं, सदन को सरकार की व्यवस्था पर उसे बधाई और धन्यवाद देना चाहिये।

[श्री बृजबिहारी]

दूसरी बात यह है, करीब २ सभी माननीय सदस्यों को आपत्ति थी कि फैसले में बहुत जल्दी कर दी जाती है। जल्दी करने का कारण विशेष होता है। सदस्यों ने एक स्वर से कहा कि जहां चकबन्दी आरम्भ होती है तो पैदावार घट जाती है। पहले चकबन्दी करने में ३-४ साल लग जाते थे। लेकिन अब काम इस तरह से निर्धारित कर दिया गया है कि यह काम बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। निर्धारित समय के अन्दर ही काम करना होता है। यह इसलिये किया गया है ताकि काम जल्दी से जल्दी समाप्त हो सके, ऐसा नहीं कि काम बढ़ जाय और समय की बरबादी हो। इसको बचाने के लिये यह नियम लागू कर दिया गया है और लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है कि कितने दिन में पड़ताल हो जानी चाहिये, कितने दिनों में तत्संबंधी और भी अन्य कार्य हो जाने चाहियें। किसी गांव की चकबन्दी में अब अधिक से अधिक ३२ महीने लगते हैं वैसे २४ महीने या १८ महीने में काम समाप्त हो जाता है।

यह बात सही है कि जब निश्चय हो जाता है कि फलां गांव में चकबन्दी होगी तो वहां के काश्तकार जितनी मेहनत पैदावार बढ़ाने में करनी चाहिये नहीं करते हैं, इसलिये जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके सब कार्य समाप्त किया जाय ताकि लोग उपज बढ़ायें और चकों को सुधारने में लग जायं। इसलिये कार्य शीघ्र समाप्त किये जाने का प्रयास किया जाता है। माननीय गेंदासिंह जी ने एक बात कही थी कि पंजाब में बहुत जल्दी चकबन्दी समाप्त हो गई और वहां के काम को नमूना के तौर पर पेश किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंजाब और यहां की स्थिति में बहुत अन्तर है। माननीय गेंदासिंह जी को पूर्वी जिलों का अनुभव है जहां छोटे छोटे टुकड़ों में गांव बंटे हुये हैं और पंजाब की स्थिति यह है कि वहां बड़े बड़े खेत हैं, बड़े बड़े काश्तकार हैं छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बंटे हुये हैं। दूसरी बात यह है कि वहां पर करेक्शन आफ पेपर का काम इतना ज्यादा नहीं है जितना हमारे यहां है। मैं माननीय गेंदासिंह जी के आरोप को मानता हूं कि कागजात में अशुद्धियां आ गई हैं। उन्होंने ध्यान दिलाया पहले बन्दोबस्त में अशुद्धियां दूर हो जाती थीं। वह बात अब नहीं है और अशुद्धियां रह जाती हैं। वैसा बन्दोबस्त इस समय नहीं होता है। अशुद्धियां अवश्य रह जाती हैं।

उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि बहुत से 'बछेड़े' काम पर लगा दिये गये हैं। शायद उसका अर्थ यह था कि बहुत से अनुभवहीन लोग काम पर आ गये हैं। मैं मानता हूं कि जो बन्दोबस्त पहले होते रहे हैं उनमें बहुत ही अनुभवी लोग लगाये जाते थे जिनको इंदराज ठीक करने का, और नकशा ठीक करने का अनुभव होता था। बन्दोबस्त की तो बात समाप्त हो गयी। अंग्रेज सरकार लगान बढ़ाने के लिए हर तीस साल पर बन्दोबस्त किया करती थी। लेकिन उन माननीय सदस्य को मालूम होगा कि जहां परमानेंट सेटिलमेंट था, जैसे बलिया जिला है, जहां पर परमानेंट सैटिलमेंट है, १२८० फसली के बाद आज तक वहां बन्दोबस्त नहीं हुआ। इस प्रकार पंजाब से उत्तर प्रदेश में भिन्नता है। वहां पर इस किस्म की कठिनाइयां नहीं हैं क्योंकि वहां छोटे छोटे खाते नहीं हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है क्योंकि अशुद्धियां ज्यादा दुरुस्त करनी पड़ती हैं। इस समय जो खर्चा होता है, जिसका मैंने उल्लेख किया है कि सवा दस रुपया प्रति एकड़ खर्चा पड़ता है उसमें आधा खर्चा लगता है उन अशुद्धियों को दुरुस्त करने में। अगर अशुद्धियां न रहें तो खर्चा और कम पड़ जायगा। माननीय गेंदासिंह ने कहा कि पहले जो सेटिलमेंट हुआ करते थे उनमें सारा खर्चा सरकार वहन करती थी। उनका कहना यह था कि सारे खर्च को सरकार को ही वहन करना चाहिये, किसानों से नहीं लेना चाहिये। मेरा निवेदन है कि यह खर्चा जो सरकार करती है यह कहां से आता है? चाहे इधर से नाक पकड़ें या उधर से। किसानों को ही देना पड़ेगा। अगर उनसे रुपया न लीजिये तो बजट में प्राविजन करना पड़ेगा। वह भी उन्हीं किसानों के यहां से आयेगा। इसलिए यह कहना कि सारा खर्चा सरकार वहन करे, इसमें कोई विशेष बात नहीं है क्योंकि वह खर्चा भी तो किसान को ही देना पड़ेगा।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—एक स्पष्टीकरण चाहता था। लैन्ड रेवेन्यु ऐक्ट के प्राविजन के मुताबिक कागजात को सही रखना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या नहीं ? अगर आपके लेखपाल उसमें गलती करते हैं तो उसको दुरुस्त करने का खर्चा किसान पर डाला जाय, यह कहां तक उचित है ?

श्री बृजबिहारी—यह बिलकुल सही बात है कि सरकार का कर्त्तव्य है। सरकार का कर्त्तव्य है कि शासन को वह ठीक रखे, चोरियां न हों, डकैतियां न हों, लेकिन चोरी, डकैती होती है, मुकदमा चलता है, तो व्यय होता ही है। (व्यवधान) मैं समझता हूं कि आप लोग इतनी आज्ञा तो देंगे ही मुझे कि जो कुछ कहना है वह कह सकूं।

एक सदस्य—आप जबाव देने में मजबूरी क्यों जाहिर कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—आप विराजिए।

श्री बृजबिहारी—मैं तो समझता हूं कि जबाव देने में कोई मजबूरी मैं नहीं जाहिर कर रहा हूं। जवाब कोई सुनना चाहे तो सुन सकता है, कान खोल ले और सुन ले। अब मैं जरा भ्रष्टाचार के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में क्या नियम हमने बनाये हैं वह माननीय सदस्य जानते होंगे। माननीय गेंदासिंह जी ने एक बात यह कही कि कहीं घोड़े पर चढ़ करके पड़ताल नहीं होती है। मालूम ऐसा पड़ता है कि घोड़े पर चढ़ कर जो पड़ताल होगी वह ठीक होगी और जो साइकिल से और पैदल जाकर पड़ताल होती है वह ठीक नहीं होती है।

एक सदस्य—कलेक्टर साहब पैदल नहीं चलते हैं, न साइकिल पर चलते हैं। जीप में बैठ कर चलते हैं।

श्री बृजबिहारी—पड़ताल कैसे होती है, कैसे पड़ताल का काम होता है वह मैं निवेदन करता हूं। अब घोड़े पर चढ़कर वह पड़ताल करें और उनके लिए अधिकारियों को घोड़ा रखना जरूरी कर दिया जाय तो वह भी एक भ्रष्टाचार की चीज हो जायगी। फिर आप कहेंगे कि घोड़ा रखने का आदेश गया किन्तु वे घोड़ा रखते नहीं है, मंगनी मांग लेते हैं। तो इस तरह से माननीय गेंदा सिंह जी भ्रष्टाचार की दूसरी बात करने लगेंगे। घोड़े की बात ठीक नहीं है। हां, यह देखना अवश्य है कि ठीक पड़ताल होती है या नहीं, इस पर हमको और आपको ध्यान देना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि होता क्या है। पड़ताल कंसालिडेटर करता है जो कानूनगो के रैंक का होता है और जिसके नीचे दो लेखपाल होते हैं। लेखपाल पड़ताल नहीं करते, बल्कि कंसालिडेटर पड़ताल करता है और उसके ऊपर ए० सी० ओ० होता है जिसका क्षेत्र करीब ५ कंसालिडेटर्स का होता है। फिर सी० ओ० होता है और उसके बाद सेटिलमेंट आफिसर होता है उसको भी पड़ताल करने के लिये मौके पर जाने का प्राविधान है। अगर कोई आपत्ति होती है तो उसको भी मौके पर जाकर देखने का नियम है। इतना सब इन्तजाम उसका किया गया है। अगर उसमें कोई खराबी होती है तो ऐसा भी नियम बना दिया गया है कि अगर कोई आब्जेक्शन हो, आपत्ति हो तो उस का निर्णय मौके पर जाकर के करना लाजिमी है। चन्द मामलों को छोड़ कर जो कि 'रिवीजन' या अपील के मामले हों, उनका निर्णय हेडक्वार्टर पर कर सकते हैं, लेकिन आम तौर से बाकी जो फैसले होते हैं वह सब मौके पर जाकर ही होते हैं।

एक बात और मैं निवेदन कर दूं। माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने कहा था और माननीय गेंदा सिंह ने भी उस पर ध्यान आकृष्ट कराया था कि जब से मूल्यांकन होने लगता है वहीं से भ्रष्टाचार आरम्भ हो जाता है। मूल्यांकन कैसे होता है, हम समझते हैं कि माननीय सदस्य इसको जानते हैं। हर गांव में जहां चकबन्दी होती है एक कमेटी मुकर्रर है जिसमें सब लोग इकट्ठा होकर के तय करते हैं कि किस भूमि का क्या "वैल्युएशन" होगा और उस वैल्युएशन को सब मिल कर निश्चय करते हैं। उस पर आपत्ति करने का भी अधिकार दिया गया है। उस

[श्री बृजबिहारी]
पर आगे जाकर फैसले होते हैं कि इस जमीन का इतना मूल्य लगा था, इतना होना चाहिए। उसमें कमी बेसी करने का पूरा अधिकार रहता है।

एक बात और कही गई, शायद माननीय नरसिंहनारायण पांडेय जी ने कही थी, उन्होंने सी० एल० आर० डी० का जिक्र किया और यह कह दिया कि सी० एल० आर० डी० से जिसको भूमि मिल गई है वह भूमि भी उसको नहीं दी जाती है। मैं समझता हूं कि माननीय पांडेय जी ने उस पर गौर नहीं किया। सी० एल० आर० डी० क्या था? वह कोई कानून नहीं था। वह एक तरह से बोर्ड का एक आर्डर था "करेक्शन आफ लैन्ड रेवेन्यु डिमांड्स," यह उसका अर्थ था। कुछ ऐसी आराजियात थीं जिन पर लगान नहीं दर्ज था, जैसे बाग की आराजी थी, उस पर लगान नहीं दर्ज था, और वह आराजी मजरुआ हो गई थी उस पर लगान नियत होना चाहिये था वह दर्ज नहीं हुआ। इसलिये बोर्ड के आर्डर से सी० एल० आर० डी० का आदेश जारी किया गया था। उसके अन्तर्गत जो अशुद्धियां लगान में पाई गईं उनको शुद्ध कर दिया गया। उससे किसी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। यह कोई कानून नहीं था। यह कोई अधिकार देने के लिये कानून नहीं बना था। सी० एल० आर० डी० की तरफ पांडेय जी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया था। मैं समझता हूं कि वह कानून जानते हैं और नियम भी जानते होंगे कि इस सी० एल० आर० डी० के अन्तर्गत कोई हक कब्जा करने का प्राप्त नहीं हुआ था। उसके लिये अलग नियम हैं। वह तो सिर्फ लगान को दुरुस्त करने के लिये एक आदेश मात्र था, लगान दुरूस्त करने के लिये वह नियम बनाये गये थे।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—उसकी पोजीशन क्या होगी कि जिनके है लगान शुद्ध हो गये हैं और जिनका कब्जा हो गया है लेकिन फिर भी उनके खिलाफ फैसले हो रहे हैं चकबन्दी में? मेरे यहां ब्रजमनगंज में इस तरह की चीजें हुई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी नवइयत क्या रह जायगी।

श्री बृजबिहारी—सी०एल०आर०डी० में लगान देने से किसी को कोई हक प्राप्त नहीं हुआ। लगान उसने दिया। किसी आराजी पर किसी का कब्जा था लेकिन लगान उसने नहीं दिया था। तो उसका लगान दुरुस्त कर दिया गया। लगान का एक रेट उस पर लगा दिया गया। जैसा कि ५ वर्ष से उसका कब्जा था और उसने लगान नहीं दिया था तो उसको लगान तय करके उससे १५,२० रुपया लगान फीस में ले लिया गया। उससे उसे हक प्राप्त नहीं हुआ, यह एक भ्रम था इसको मैं दूर करना चाहता हूं।

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं चकबंदी चालू रहे या नहीं इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये पर सिद्धान्त का किसी ने विरोध नहीं किया है, यह प्रश्न इस समय सामने है भी नहीं। यह सिद्धांत मान लिया गया है। माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है वह भी प्रवर समिति में जाने के लिये ही है। चकबंदी के लागू होने का जो सिद्धांत है उसको तो मान लिया गया है और इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। ऐसा नहीं है कि जो कानून लागू है उसको समाप्त कर दिया जाय और किसी ने ऐसा कहा भी नहीं। चकबंदी कर देने का लाभ यह होगा कि.....

श्री कमला सिंह यादव—अगर गवर्नमेन्ट की यह पालिसी हो गई तो रुपया बहुत खर्च होगा इस चकबंदी पर और फिर बाद को कोआपरेटिव फार्मिंग पर इसलिये अभी से उसको अलग-अलग कर दिया।

श्री बृजबिहारी—यह कहना कि सहकारी खेती हो जाय तो चकबंदी का क्या होगा और चकबंदी से क्या लाभ होगा इसके सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। उसका कारण यह है कि यह सहकारी खेती इच्छा पर निर्भर करती है। यह कोई "आब्लिगेटरी" नहीं है। अगर चकबंदी हो जाने के बाद आप यह निश्चित करते हैं कि १०,५

आदमी मिलकर सहकारी खेती करेंगे तो वे मिलकर सहकारी खेती कर सकते हैं। २,४ साल के बाद अगर वे लोग यह तय करें कि हम लोग सहकारी खेती नहीं करेंगे और अलग-अलग करेंगे तो उस सूरत में चक तो उनके हमेशा रहेंगे। वे दूसरे चकों से अलग हो जायेंगे। वह इससे लाभान्वित होते रहेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--तो क्यों न खर्चा बचाने के लिये ऐसा कर दें कि चकबंदी के चक एक जगह कर दें और कोआपरेशन के लिये एक जगह कर दें ?

श्री उपाध्यक्ष---कोआपरेटिव तो वालन्टरी है।

श्री बृजबिहारी---सेक्शन १२ डी जो चकबंदी कानून का है उसमें खास तौर पर लिखा हुआ है कि वह एकजाई कर सकते हैं अपने खातों को। इसलिये यह कहना कि सहकारी खेती का निश्चय अगर हो जाता है तो चकबंदी से कोई लाभ नहीं, होगा ठीक नहीं प्रतीत होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर पहले काशीनाथ जी आपके आसन पर आसीन थे और बलिया के कई माननीय सदस्य यहां मौजूद हैं। मैं वहां कई जगह घूम चुका हूं और उनकी शिकायतें बराबर सुनता रहा हूं। गांवों में चकबंदी हुई है और जहां हो रही है मैंने जा कर किसानों से बात की है। उस समय मैंने अधिकारियों को वहां से हटा दिया था इसलिये कि संभव है कि उन के सामने सही बात कहने में लोग डरें लेकिन एक स्थान पर भी हमको शिकायत करने वाला नहीं मिला पश्चिमी जिलों में भी मैं गया हूं और पूर्वी जिलों में भी हो आया हूं, ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां लोग चकबंदी न चाहते हों।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---मैं आप के कथन में बाधा नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन बलिया में क्या आपको शिकायत नहीं मिली ?

श्री उपाध्यक्ष---वह यही कहते हैं।

श्री बृजबिहारी---मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनें। मैंने लोगों से पूछा, सीधा प्रश्न किया, कि आप चकबंदी चाहते हैं या नहीं और इससे आपको लाभ है या नहीं। सभी लोगों ने कहा कि हम चकबंदी चाहते हैं और इससे हमें लाभ है।

श्री मैनेजरसिंह---बिल्कुल गलतबयानी है। यह बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। यह असत्य भाषण है। यह जो साइनबोर्ड लगाये हुये हैं उसको हटवा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---क्या कोई जबान पकड़ ले किसी की ?

श्री मैनेजरसिंह---मैं चकबंदी का समर्थक हूं .....

श्री बृजबिहारी---कुछ लोगों को कटु वचन बोलने की आदत होती है और ऐसी बात कहने की आदत होती है कि जिससे दूसरे लोग उद्विग्न हो जायं। मेरी ऐसी आदत नहीं है। जो कटु वचन भी बोलते हैं मैं उनको क्षमा करता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह बिल्कुल गलत है और उसका उत्तर न देना ही अच्छा है। मैं गांव में उनके साथ चलने के लिये उन लोगों को दावत देता हूं। यह उन्हीं के जिले की बात है.....

श्री मैनेजरसिंह---अगर आप एक आदमी से भी कहलवा देंगे तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा। बलिया में अगर आप एक आदमी से भी कहलवा दें .....

श्री उपाध्यक्ष---तो आप जायं न उन के साथ। उन्होंने तो आपको दावत दी है।

श्री बृजबिहारी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां मैं गया, लोगों ने कहा कि चकबंदी बहुत जरूरी है और होनी चाहिये और जिन गांवों में चकबंदी नहीं हो रही है उन्होंने मांग की है कि वहां चकबंदी करा दी जाय। मैं मानता हूं कि कहीं कहीं भ्रष्टाचार और गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर कहीं है तो उसे आप बतलायें। मैं

[श्री बृजबिहारी]
उसके लिये भी माननीय सदस्य को दावत देता हूं कि वे 'कंक्रीट एक्जाम्पुल्स' बतलायें और वे देखेंगे कि उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी। लेकिन यह कह देना कि सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है और खराबी ही खराबी है, उचित नहीं है और उस सम्बन्ध में मैं जितना कम कहूं वही ठीक होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस संशोधन विधेयक पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया। कल से मैंने विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष दोनों के भाषण सुने। मैं आपको बता दूं कि जिन क्षेत्रों में चकबन्दी हो रही है, उसका मेरा भी कुछ अनुभव है, वहां पर आपको बता दूं कि बड़ी गड़बड़ी है। उनको आज दूर करने की आवश्यकता है।

एक बात और बता देना चाहता हूं कि यहां पर हुये भाषणों में भ्रष्टाचार की बड़ी चर्चा की गई और इसमें संदेह नहीं कि जो भी बातें भ्रष्टाचार के बारे में कही गईं उनमें बहुत अंश तक सत्यता है। एस०डी०ओ० ने निर्णय कर रखा है कि जब तक वह ५० हजार रुपया नहीं पैदा कर लेता है तब तक वह एस०डी०ओ० कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। इसी तरह से और भी लोग हैं लेखपाल आदि जिन्होंने भी अपनी संख्या धनराशि की निर्धारित कर रखी है कि उसको प्राप्त करने से पहले वे उस पद के अधिकारी कहलाने के योग्य नहीं हो सकते। तो यह है उस भ्रष्टाचार के कुछ उदाहरण जिन पर आपको गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। मैं आपको बता दूं कि इसमें लोग क्यों देते हैं क्योंकि जो देता है उसका काम अच्छा होता है। इसलिये पाने वाला भी राजी और देने वाला भी राजी होता है। इसका बस एक ही इलाज है कि जो आदमी शिकायत करता है उसका आधार देख लिया जाय और फिर उसके हिसाब से ऐक्शन लिया जाय।

अब मैं चकबंदी को ३–४ बातों में विभाजित करता हूं। यह सही है कि चकबन्दी अच्छी चीज है और लाभप्रद भी है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि चकबन्दी से पैदावार सवा गुना बढ़ सकती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि कानून यह अच्छा है। लेकिन जो शिकायतें हैं वह उस कानून के पालन करने के तरीके के बारे में और उसके प्रशासन के बारे में हैं, क्योंकि वह अच्छा नहीं है। आपको उदाहरणार्थ बता दूं कि पैमाइश में बड़ी गड़बड़ी होती है। किसी का ३ बीघे का खेत है और वह पौने चार बीघे लिखा हुआ है तो उतना ही मान लिया जाता है। इसमें एस०डी०ओ०। पैसा खा जाते हैं और लेखपालों की बन जाती है और बेचारा किसान तबाह हो जाता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी सुनवाई की व्यवस्था वहीं गांव में ही होनी चाहिये। जो मुकदमें होते हैं वह भी बहुत से मनगढ़न्त होते हैं। इसलिये आपको ऐसी भी व्यवस्था करनी चाहिये कि वह न हो सके। आपने जो धारा २२ निकाल दी है उससे भी किसानों का बहुत नुकसान हो जायगा। उदाहरण के तौर पर मैं जिस गांव से आता हूं, कानपुर जिले में है, वहां भी चकबंदी हो रही है और फतेहपुर कान्सटीट्युएंसी से जहां से मैं चुनकर आता हूं वहां भी। तो आज ही मुझे सूचना मिली है कि वहां पर मूल्यांकन की पर्चियां नहीं मिली हैं और सिद्धांतों का विवरण तैयार नहीं हुआ और इस सम्बन्ध में बड़ा असंतोष है वहां पर। एस०डी० ओ० और लेखपाल आदि कहते हैं कि जिसकी पर्ची और सिद्धांत का विवरण न तैयार हो उसका चक बनेगा कैसे। इस तरह से किसान बड़ा परेशान है।

मैं आपसे अर्ज कर दूं कि घाटमपुर में एक गांव है वहां पर भी इस प्रकार की गड़बड़ी सुनने में आई है। एक बात और जो इसकी कमेटी बनी है वह सिर्फ परामर्श दे सकती है और लेखपाल और एस०डी०ओ० पर अंकुश नहीं लगा सकती। उसका कोई महत्व नहीं है। आप चकबंदी कमेटियों को उसके आश्रित कर दें। चक बनाने का जहां पर कार्य होता है वहां पक्षपात होता है। चक बनाने का तरीका बड़ा खराब है। कानून जो आपने बनाया है उसका ठीक प्रकार से पालन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं होता है। चक बन जाते हैं, उसके बाद अनेकों शिकायतें आती हैं मगर उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। ए०सी०ओ० और सी०ओ० खेतों को देखने तक नहीं जाते। अपील होती हैं, वे भी खेत का मुआयना किये बिना ही खारिज कर दी जाती हैं। कोई भी आफिसर उन हालतों की जानकारी नहीं रखता। किसान के साथ बड़ा ही अन्याय होता है। आपन कानून में तरमीम करें या न करें, मगर आप अपने अधिकारियों को दुरुस्त अवश्य करें। चकबंदी बुरी नहीं है, लेकिन आपके कर्मचारियों ने उसे बुरा बना दिया है। इस विधेयक में बहुत से सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिये मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी के प्रस्ताव का कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय, समर्थन करता हूं ताकि जो खामियां इसमें हैं उनको आपको बताया जा सके।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दो मिनट का समय बड़ा जहर सा लगता है। मैं बहुत खुश हूं कि आज करीब एक साल के बाद बोलने जा रहा हूं। बोलने से पहले एक शेर सुन लीजिये---

अय्याम मुसीबत के काटे नहीं कटते,
दिन ऐश के घड़ियों में गुजर जाते हैं कैसे।

आज चीन इस धरती पर आया। आज चीन को निकालना हम लोगों को सबसे पहला कर्त्तव्य है। जितना समय हम लोगों ने इस असेम्बली में नष्ट किया, यह नहीं करना चाहिये था। असेम्बली को बैठना ही नहीं चाहिये था। इस चकबंदी को मैं क्या कहूं? यह तो एक जबरदस्ती बला है। यह किसानों के ऊपर जबरदस्ती लादी जा रही है। फर्जी कार्यवाहियां होती हैं। पर्चियां लोगों को दी नहीं जातीं। कागज में लिख दी जाती हैं। लोग अपील करते हैं, उनकी अपीलों को सुना नहीं जाता। उससे आज किसान तबाह हो रहे हैं। कल इस विधेयक पर माननीय दीपनारायण जी ने जो कटु सत्य कहा उसे मानिये। जैसी किसी का पेट खराब होता है तो वह उगल दिया करता है, उसी प्रकार माननीय राजस्व मंत्री उनकी बात को हज्म नहीं कर सके उनके खराब पेट का असर दिमाग पर पड़ा और माननीय दीपनारायणसिंह जी के लिये वे अल्फाज निकले जो नहीं निकलने चाहिये थे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वह वाला मसला है। आपका दिल अगर गवारा करता है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकता। जो कुछ उन्होंने कहा माननीय सदस्य उसे खूब जानते हैं। बहरहाल, उसे छोड़िये और अब आइये अपने रास्ते पर। फर्ज कीजिये, यह जिस्म है। इसमें से पैर काट कर आप सिर के पास लगा दें, तो कैसा लगेगा? हम चकबंदी को भी ठीक वैसा ही समझते हैं। धान और जुन्धरी का खेत है और वह कहें कि गरीब को धान का खेत मिलना चाहिये, तो क्या वह धान खाकर खुश रहेगा? कहीं उसे धान खाना है, कहीं जुन्धरी और कहीं गेहूं। अगर कोई दाल ही दाल खायेगा तो क्या होगा? लिहाजा जैसा है वैसा रहने दीजिये। इस वक्त चीन का मुकाबिला करना है, यह चकबंदी पीछे हुआ करेगी। समय कम है, और फिर कभी बोलूंगा।

***श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट** (जिला फैजाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी प्रेमसिंह जी ने कहा, इस समय इस विधेयक का लाना उपयुक्त नहीं था। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस सरकार फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर करती है। उन्होंने सोचा कि इस समय अच्छा मौका है, एक्सप्लायट करना है, यह विधेयक भी पास हो जाय। उन्हें चाहिये था कि इस समय समय बचाकर, सोच-विचार कर, जनता के लाभ का कोई विधेयक बाद में लाते। हमारे माननीय हेल्थ और सोशल वेलफेयर मंत्री ने इसे पायलट किया है जो इसके पंडित हैं। यह रेवेन्यू मिनिस्टर ने अपना कोढ़ उनके ऊपर लाद दिया है। उन्होंने तो इतना कह दिया कि इस विधेयक में सिद्धांत की बात नहीं है। हम वही शब्द लेते हैं कि दरअसल इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, यह सिद्धांतहीन है। इसे कह दिया कि प्रोसीज्योरल है। मंत्री जी ने पुराने सन् ५८ के ऐक्ट में दफा ४ में,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट]

६,७ ८, ९, १०, ११, १२, १३, २०, २१, २२, २३, २४, ३०, ३४, ३५, ३६, ३७, ४२, ४८, ५१ में, सभी में चेंज किया है। आप उस ऐक्ट को रिमाडल कर रहे हैं संशोधन के बहाने से। संशोधन मूल ऐक्ट की खराबियों को सुधारने के लिये हुआ करते हैं। आप तो मूल ऐक्ट की अच्छाइयों को भी दूर करने जा रहे हैं। सैक्शन ८ में आपने सारी चीजें इकट्ठा कर दी हैं। उसी में काग़ज का, परचा होगा, पेड़, कुवें का, डिवीजन, हिस्से का, होगा। उसे आपत्ति का मौका केवल १५ दिन का देते हैं जहां सालों हुआ करते थे। एक कार्यवाही हुई, उसे पता चला। दूसरी हुई, उसका पता चला, और इस प्रकार काफी मौके हुआ करते थे। माननीय मंत्री जी को पता है कि १५ दिन में ६,६ हजार खातों के रकबों के गांवों में स्लिप तक नहीं बांटी जा सकती है, जानने की कौन कहे? और फिर, जानना उन लेखपालों से है जिनके पास ६ हजार आदमी जावेंगे और कहेंगे कि हमारा खाता कहां है, नकलें दो। वे नहीं देते हैं।

ब्रजबिहारी जी ने माना भी है कि भ्रष्टाचार है। माननीय माल मंत्री जी ने देखा कि ४२ में ३६ चक कम हैं मौके पर। आपके पास दरख्वास्त आई, नपवाया गया। फिर भी आप सो रहे हैं। हम चुनौती देते हैं कि अगर रेफ्रेंडम कराया जाय जिन गांवों में चकबंदी हो चुकी है, वे सभी कहेंगे कि चकबंदी खराब हुई है, हम नहीं चाहते हैं। जैसा प्रेम जी ने कहा, धान वाले को गेहूं में मिला दिया, किसी को तालाब में फेंक दिया। कहा करते थे कि चकबंदी से मेंड़ कम होंगी, वह भी नहीं हुआ और आपने १० परसेंट काट लिया। गुवेंड़ खेत कितने नष्ट हो गये हैं? आपने वहां आबादी के लिये छोड़ दिया जिसके लिये ऊसर और बंजर उपयुक्त था। परन्तु आपने जहां गांव बसे हुये हैं उसके चारों तरफ सैकड़ों बीघा जमीन चक रोड और उसमें निकाल दी है। तो कैसे इससे उत्पादन बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। आपने हर जगह गलत चेंज किया है।

दूसरी बात यह है कि आपने अपील को रेस्ट्रेंट किया है। माननीय माल मंत्री जानते हैं कि लैन्ड रेवन्यू ऐक्ट में नायब तहसीलदार को करेक्शन का अधिकार नहीं था। अब सारा टाइटिल उसे दे दिया है। ए०सी०ओ०, सी०ओ० और नायब तहसीलदार सब कानूनगो ग्रेड के लगभग ही होते हैं। वे क्या फैसला देंगे? माननीय मंत्री जी जानते हैं कि बोर्ड तक ३ अपीलें हुआ करती थीं। उसके बाद आता था सिविल कोर्ट में। वहां भी ४ हक मिला करते थे और रायें बदला करती थीं। सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट जज डिफर करते थे और उनसे हाई कोर्ट के जज डिफर करते थे। फिर स्पेशल अपील होती थी। अब आप बछेरों के हाथ में दे रहे हैं। उन्होंने ठीक ही कहा कि उन्हें कोई अनुभव नहीं है। वे बछेरे से भी गये-बीते हैं, उन्हें तो रुपया लेने की और खून चूसने की पड़ी रहती है। अगर आप उचित समझते हैं तो कल्पनार्थसिंह जी के प्रस्ताव को मानकर इसे थोड़े दिन के लिये स्थगित करके, सोच-विचार कर इस विधेयक का संशोधन लावें जिससे कोई लाभ हो, न कि और बुराई वाला कानून हो जाय।

इन शब्दों के साथ मैं कल्पनाथ सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ये ड्रास्टिक मेजर्स बहुत ही गलत हैं। इनसे बड़ा असन्तोष फैलेगा। हमको इस समय जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिये।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के विचार जानकर इस संशोधन पर अपनी राय बनाने की कोशिश की। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन लोगों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का समर्थन किया या जिन माननीय सदस्यों ने उसका विरोध किया। लेकिन मुझे यह अफसोस जरूर हुआ कि जिन माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया उनकी तरफ से कोई ऐसा तर्क उपस्थित नहीं किया गया जिसके जरिये से मैं अपनी राय को तब्दील करने में मजबूर होता। मैं उन बातों को गिनाता हूं जिनकी वजह से मैं समझता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय और जिनके ऊपर हम वहां बैठकर शांति से बातचीत करें। पहली बात तो मैंने यह बताई थी कि उससे गांवों में दलबंदी

बढ़ती है। दूसरे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, तीसरे किसानों को इससे असुविधा होती है, चौथे सहकारी खेती को इससे हतोत्साहित किया जाता है जो कांग्रेस की नीति के अनुकूल है, पांचवें यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के प्रतिकूल पड़ती है। छठें, ए०सी० ओ० और सी०ओ० की जो कमेटी बनायी है उससे न्याय पालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखने का जो हमारा उद्देश्य है उसको असुविधा होती है। इसके अलावा सूक्ष्म खर्च के बारे में भी मैंने बताया जिसके बारे में माननीय गेंदा सिंह जी ने विस्तार से प्रकाश डाला। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि इस बहस को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से और ऊंचे स्तर पर ले जाने का प्रयत्न किया। इसके अलावा वेल्युशन और प्रतिकर के बारे में भी मैंने अर्ज किया था लेकिन मुझे अफसोस है कि उन सारी बातों का कोई उत्तर ही नहीं दिया गया। इसका मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो वह यही हो सकता है एक तरह से उन्होंने मेरे प्रवर समिति में भेजने वाले प्रस्ताव का समर्थन ही किया।

माननीय कृष्णानन्द राय जी का एक भ्रम मैं दूर कर देना चाहता हूं। उन्होंने कल कहा था कि संशोधन कहां है। आज वे उनको देख लें। कल संयोग से वे छापे नहीं गये थे। उन्होंने यह भी कहा कि वे कौन कौन सी बातें हैं जिन पर सरकार और सदन के सदस्यगण प्रवर समिति में बैठ कर विचार करें। इसलिये मैंने माननीय कृष्णानन्द राय जी और दूसरे माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये ८–१० प्वाइंट गिनाये। इसके अलावा माननीय कृष्णानन्द राय जी से एक बात और कह देना चाहता हूं कि क्यों उनके संशोधन कबूल होते हैं। उसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि जो जो संशोधन सरकार को करने होते हैं वे होते हैं वे माननीय कृष्णानन्द राय जी की तरफ से ही आते हैं। माननीय कृष्णानन्द राय जी और बैजनाथ सिंह जी के जो संशोधन हैं वे जोर देकर और वोट देकर सरकार से मनवाये जाते हैं।

मुझे कुछ बातें श्री बृज बिहारी मिश्र जी के भाषण से उत्पन्न स्थिति पर जरूर कहनी है। माननीय सभा सचिव जी ने करीब ३५ मिनट तक भाषण दिया और बखूबी जैसा कि सरकार के सारे तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर अपने पक्ष को रखना चाहिये, उन्होंने रखा। "कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा" वाली कहावत की तरह इधर उधर की चीजों को मिला कर जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने सरकारी पक्ष को रखा, इसके लिये मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। उनकी बातों से मुझे यकीन हो गया कि उधर के लोग इस कला में पटु हैं और इसको मानने के लिये मैं जरूर तैयार हूं। जिन लोगों ने जाने या अनजाने इस संशोधन के जरिये विरोध किया उन सबका मैं आभार मानता हूं, माननीय सभा सचिव ने कहा कि जल्दी करने के लिये यह विधेयक है और देर हो जायगी तो माननीय सदस्यों को शिकायत होगी। और अगर खर्चे की बात कही जाती है तो उन्होंने प्रस्तुत करते हुये कहा कि २५ से लेकर २८ तक प्रति एकड़ खर्चा था जो घट कर ११ रु० के करीब हो गया है और किसान को साढ़े ५ रु० प्रति एकड़ देना पड़ता है। उन्होंने सब जोड़ कर ५ रु० ८५ या ८६ नये पैसे बतलाया है। चकबंदी में खर्चा कम करने की जो दलील दी गयी, उससे मेरी उस धारणा का पुष्टिकरण हुआ जिस के द्वारा मैं समझता हूं कि कार्य-पालिका उन बड़े बड़े और साधन सम्पन्न लोगों को गांवों में गुटबन्दी के आधार पर तरजीह देती है।

मैं समझता हूं कि सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य इस बात से सहमत होगा कि एक दिन में सौ-सौ फैसले सी०ओ० करता है और सेटलमेंट आफिसर करता है। जितना मिनट उस आदमी को अपने दफ्तर में बैठे हुये नहीं होगा, करीब-करीब उतनी ही मिसिलों का डिस्पोजल वह करता है। खुदा जाने यह कैसा डिस्पोजल होता है। सोचने की बात है कि फैसला अपनी सुविधा के आधार पर पहले से तैयार रखा रहता है, मंशा पहले से बनी रहती है और एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउन्ड पर वे फैसल होते हैं। वे फैसले न्याय के आधार पर नहीं होते। और उन आदमियों के खिलाफ वे १०० प्रतिशत फैसले होते हैं जिनको ए०सी०ओ० या चकबंदी कर्ता के खिलाफ शिकायत होती है। इन लोगों की रिपोर्ट पर ए०सी०ओ० साहब अपना कमेंट करके सी०ओ० के पास भेज देते हैं और उनका फैसला हो जाता है। पहले फर्स्ट अपील सेटलमेंट आफिसर के यहां होती थी और दूसरी अपील डिप्टी डाइरेक्टर के यहां होती थी। आज आपने वह भी प्रतिबन्ध तोड़ा और

[श्री कल्पनार्थसिंह]

दूसरी तरफ आपकी मन्शा यह है कि कोई भी विधि न्यायालय में नहीं जा सकता। आप की ही दलीलों के आधार ने हमारी धारणाओं को मजबूत बनाने में योगदान दिया है।

३२ से ३६ महीने की बात कही गई कि यह काम पूरा हो जायगा। अधिक से अधिक और वह कहते हैं कि कहीं-कहीं तो ६ से ८ मास की बात ही कही गई कि पूरा हो जायगा। मैंने माना कि ३२ से ३६ मास में काम पूरा करने की बात है लेकिन जो कि मिश्र जी ने अपनी बातों की पुष्टि में कहा कि जिस इलाके से माननीय गेंदासिंह जी आते हैं, मैं नहीं समझता कि माननीय मिश्र जी किसी दूसरे इलाके चुनकर आते हैं, वह भी उसी इलाके से आते हैं और उनके भी जिले में चकबन्दी है। मैं यह जानता हूं कि इन छोटे गाटों और छोटी जोतों को एकत्र करने में कागज की दुरस्ती में जो समय लगता है उसके लिये आज चकबन्दी स्टाफ एशोआराम की जिन्दगी बसर करता है, आज अगर मिश्र जी चले भी जायं तो सारा चकबन्दी स्टाफ फाल-इन हो जायगा और सलामी देगा और १५ दिन में सारा काम पूरा हो जायगा। इसमें काम नहीं चलेगा और मैं समझता हूं कि इस धारणा की मिश्र जी ने और भी पुष्टि की। इस ३२ मास की अवधि को पूरा करने के लिये और अपना कैरेक्टर रोल ठीक करने के लिये उसको उज्जवल रखने के लिये चापलूसी और हां हुजूरी करेंगे और समय के अन्दर काम की पूर्ति करेंगे। किसान मरे उनकी बला से और किसी तरह की आवाजें उठें इससे उनका कोई वास्ता नहीं। वह उनको कह देते हैं कि जो कुछ कोई कहे कहने दो आखिर शिकायत तो हमारे पास ही आयेगी। हमारे जिले की एक मिसाल है कि एक लेखपाल को हमारे दल के रघुवंश सिंह जी और वैद्य जी ने रंगे हाथ पकड़वाया और उसका नतीजा यह हुआ कि दो साल तक उनका चक ठीक नहीं हुआ और आप नोट कर लें कि गुनरहा जो पिपराइच सर्किल में है वहां की शिकायतें जो गांव के लोगों की थीं वह आज तक ठीक नहीं हुई क्योंकि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के वर्कर ने उनको रंगे हाथ पकड़वा दिया था.....

श्री उपाध्यक्ष—१६ मिनट हो गये, आप जल्द खत्म करें।

श्री कल्पनाथ सिंह—उनको ३५ मिनट मिले हैं मैं भी जवाब देना चाहता हूं। कम से कम उतना तो मिलना ही चाहिये। मुझे भी अपनी बात कहने दीजिये, वह बोल रहे थे तो हमने भी ऐतराज नहीं किया था।

मैं यह कह रहा था कि आज भी हमारे जिले के भौवापार परगने के वरवल नामक गांव में.....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—लेखपाल का क्या हुआ ?

श्री कल्पनाथ सिंह—अब यह तो आप विभाग से पूछिये, किसान आज तक रोता है। घोड़े पर चढ़नेवाली बात को मिश्र जी ने बहुत खूबी से काटा कि साइकिल और कार के युग में घोड़े पर चढ़ने के लिये कैसे कहा जाय। यह बात सही है। मैं पूछता हूं जब खेत की परताल में जीप नहीं जा सकती तभी तो घोड़े की व्यवस्था की गई थी कानून में। आजमगढ़ जिले में हर गांव में जीप कैसे जायगी जब सड़कें नहीं हैं जिनके लिये हम मांग करते हैं, हर गांव एक दूसरे से जोड़ा जाय तो कहते हैं यह कैसे हो सकता है। और जब घोड़े पर जाने की बात कहते हैं तो कहते हैं उस पर कैसे जायेंगे, आप भी एक मिसाल दे दें किसी गांव में कोई कलेक्टर पैदल जाकर परताल करता हो। अगर आप बता दें तो मैं अपनी धारणा बदल दूं।

एक क्लाज का हवाला दे कर सहकारिता के बारे में कहा उन चकों को एक में कर सकते हैं अगर कोई किसान चाहे। मैंने उस क्लाज को देखा है जिसमें यह व्यवस्था है। अगर चकबन्दी करनी है तो चकबन्दी की दलील में आपने कहा कौन जाने आज सहकारिता के आधार पर जो इकट्ठा हैं वे कल बिछुड़ जायं। मेरा नम्र निवेदन है कि जिनके खेतों की चकबन्दी आज आप करते हैं कल वे बेच दें, कौन जाने दो भाई अलग हो जायं और फिर खेत टुकड़े-टुकड़े हो जायं ? इसकी संभावना नहीं है। इस सारी संभावनाओं के बावजूद भी आप चकबन्दी की वकालत करते हैं। मेरा कहना है इन संभावनाओं के साथ गांवों में दो तरह के लोग पैदा कीजिये। फर्स्ट स्टेज पर वह जो चकबन्दी के कायल हैं और दूसरे वह जो सहकारिता के कायल हैं। जिस तरह की चकबन्दी गांवों में लादी गई है उससे गांव का किसान सहकारिता को ज्यादा अच्छा समझेगा।

जैसा प्रेम सिंह जी ने कहा चकबन्दी बला है। सहकारिता को आप कुंठित न कीजिये। सहकारिता पर सदन में और बाहर भी पी० एस० पी० ने कहा था कांग्रेस से हमारा इस काम में पूर्णतः सहयोग रहेगा। कुछ प्रतिक्रियावदी तत्वों ने इस सहकारिता के संबंध में तरह तरह की आवाजें भी उठायीं थीं लेकिन मैं कहता हूं आप सहकारिता पर प्रतिक्रियावादी तत्वों के दबाव के नाते उसको कुंठित न कीजिये, उन भावनाओं को जगाते रहें जिनके आधार पर आप कहते हैं कि आबादी कांग्रेस के बाद हम ओवर नाइट सोशलिस्ट हो गये। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में इतने दिन बैठने के बाद उधर के माननीय सदस्य के मुंह से मैंने यह नहीं सुना कि सहकारिता का प्रोग्राम थर्ड फाइव-ईयर प्लान में हमें पूरा करना है। यह एक ऐसा बिल है जिसमें आप अपने उस प्रोग्राम को पूरा करने की नीति, रीति को पूरी तरह से रक्षा कर सकते हैं। किसानों में एक नया जोश और लहर का वातावरण आप पैदा कर सकते हैं जिसमें आपका और हमारा सहयोग हो सकता है। लेकिन जिस तरह की चकबन्दी आप किसान पर लाद रहें हैं और सहकारिता में सरकारिता कर रहें ह तो निश्चय है कि इन सवालों पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का आपके साथ विरोध था, है और रहेगा।

*समाज कल्याण मन्त्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर जो संशोधन का प्रस्ताव है कल से मैंने उस पर बहस सुनी और उसके सुनने के बाद मेरे दिल में यह शंका पैदा हुई कि जो मेरी नियमावली है इसका नियम २८९ (१) रद्द तो नहीं कर दिया गया है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है "प्रत्येक भाषण का विषय विचाराधीन विषय से सर्वथा सुसंगत होना चाहिये।" इसकी जांच करने से पता चला कि यह नियम अभी है और यह नियम अगर है तो इसकी कोई पाबन्दी करे या न करे, मेरे ऊपर तो इसकी पाबन्दी लाजमी है।

श्री मैनेजर्रसिंह—एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। २८९ का हवाला माननीय मंत्री ने दिया तो माननीय भीखालाल, माननीय त्रिपाठी जी, माननीय हरिनाथ तिवारी और मैंने जो भाषण दिये उनमें आप कृपया बतलाने की कृपा करेंगे कि एक भी बात २८९ से परे है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मैं किसी की पर्सनल बात नहीं कह रहा हूं न किसी पर आक्षेप कर रहा हूं। जो व्याख्यान हुये हैं उनको उनके मेरिट्स पर देखना है और यह देखना है कि जो सुझाव ठीक हो उसे स्वीकार कर लिया जाय।

श्री कमलार्सिंह यादव—माननीय मंत्री ने सदन का ध्यान २८९ की ओर दिलाया है। २८९ के मातहत श्रीमन् को ही अधिकार है किसी के बारे में यह व्यवस्था देने का कोई बात कही जाती है तो वह विषय के अन्दर है या विषय से परे ह। २८९ से संबंधित जो बात कही जाती है उससे आप संबंधित हैं और अगर कोई अन्य उसके मुताल्लिक बात कहता है तो यह चेयर पर आक्षेप है।

श्री उपाध्यक्ष—यह बात ठीक है कि कुछ माननीय सदस्य इधर उधर चले जाते हैं। उस वक्त अगर कोई बात नहीं हुई तो इस वक्त उसका कोई महत्व नहीं है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इसमें चेयर पर कोई आक्षेप नहीं है। मैं अपने लिये यह कह रहा था कि मेरे ऊपर यह पाबन्दी है और मैं उसे मानने की कोशिश करूंगा। जो इस समय मसला पेश है वह नियम १६७ का है और नियम १६७ इस प्रकार है "कोई भी सदस्य। यदि विधेयक पहले ही संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट न कर दिया गया हो किन्तु अन्यथा नहीं। संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक एक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय...।" श्रीमन्, इस नियम के द्वारा यह संशोधन विधेयक प्रवर समिति में जायगा। अब यह मसला कि चकबन्दी ठीक है या नहीं, इसमें बहुत रिश्वत चलती है, चकबन्दी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव]

चीन का सा हमला है, चकबन्दी हैजे की बीमारी है, ये बातें प्रवर समिति के स्कोप के बाहर हैं । प्रवर समिति को केवल यह संशोधन विधेयक जायगा और जब तक यह न दिखाया जाय कि इन संशोधनों की वजह से रिश्वत बढ़ती है, हैजे की बीमारी जोर पकड़ जाती है तब तक वह दलीलें इस बात की दलीलें नहीं हो सकतीं कि यह प्रवर समिति से भेज दिया जाय । प्रवर समिति भेजने के बजाय अगर बहस के लिये हम इसे वापस ले लें तो उसका नतीजा यह होता है कि उससे न तो हैजे की बीमारी कम होगी न रिश्वतखोरी कम होगी । देखना तो यह है कि जो हम संशोधन करने जा रहें हैं, उनसे उन दोषों में, जो कि थोड़ी देर के वास्ते हम मान लेते हैं, कोई कमी होती है । तो सारे वाद विवाद में चार, पांच बातें निकलती हैं । एक तो यह कि सेकेंड अपील का अधिकार हम लिये ले रहें हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ता है । दूसरे यह कि हाई कोर्ट के अधिकार कुछ कम कर रहें हैं । तीसरी बात यह कि चकबन्दी का खर्चा किस से वसूल किया जाय । चौथी बात यह कि सी० ओ० और ए० सी० ओ० के लेविल पर परामर्श समितियां होनी चाहिये । पांचवीं बात यह कि धारा २२ न निकाली जाय । ये मुख्य-मुख्य बातें हैं । प्रवर समिति की नियुक्ति होगी वह नियम २५२ से २६० तक के नियमों की पाबन्दी होगी । इन नियमों के देखने से यह मालूम होता है कि प्रवर समिति की नियुक्ति तब होती ह जब ऐसे मसले हों जिन पर यह सदन विचार कर के निर्णय नहीं कर सकता, जिसमें एक्सपर्टस की राय लेनी हो, कुछ शहादत लेनी हो तब तो प्रवर समिति में भेजने की जरूरत है वरना महज इस खयाल से कि कोई माननीय सदस्य यह कहे कि जब से मैं चुन कर आया हूं कोई विधेयक प्रवर समिति में नहीं गया इसलिये यह भेज दिया जाय, तो यह तो कोई दलील नहीं है ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि कल से जो इस विधेयक के खंड हैं अगर न उन पर विचार किया जाता तो बहुत से सुझाव ऐसे आते कि शायद वे मन्जूर कर लिये जाते और खंड सुधर जाते ।

श्री भीखालाल---व्यवस्था का प्रश्न है । प्रवर समिति में भेजने का जो संशोधन है उसमें शायद मंत्री महोदय ने यह नहीं देखा कि इसमें विधेयक का अधिकार क्षेत्र भी बढ़ाने की बात कही गयी है । तो जब हम यह मांग करते हैं तो हम पूरे विधेयक की सीमाओं के अन्दर बात कर सकेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---विधेयक के एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स से उसकी बन्दिश हो, उसके बाहर तो नहीं जा सकते ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---इस नियम में तो यह नहीं है । अब, श्रीमन्, यह देखें कि जैसे एक प्वाइंट है सेकेंड अपील का इसमें जो हमारा अधिनियम है उसमें चैप्टर २, ३ और ४, ये तीन मुख्य अध्याय है । अध्याय २ में यह है कि कागजात दुरुस्त किये जायं, अध्याय ३ में चकबन्दी और अध्याय ४ में इसका निफाज है यानी कैसे इसका अमल किया जाय । अब अपील अध्याय २ में धारा ११(१) अपील ए० सी० के यहां होगी और इसी की (२) में डिप्टी डायरेक्टर आफ कंसोलिडेशन के यहां है और धारा ४८ में निगरानी है । अब आप देखेंगे कि जो संशोधन माननीय बैजनाथ सिंह जी ने रखा है और जैसा कि माननीय भीखालाल जी ने कहा, अगर यह मान लिया जाय तो हम डायरेक्टर को अधिकार देते हैं कि वह वाकआत के ऊपर सुन ले । अगर वह सुनता है तो जो भी अधिकार क्षेत्र उसका है जब ४८ में निगरानी आती है तो सैकिन्ड अपील का ही अधिकार है । अभी वह ९५ फीसदी मुकदमें निगरानी में खारिज कर देगा इसलिये कि अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, इर्रेगुलेरिटी की बात नहीं है । अब इस संशोधन से उस को अधिकार हो गया कि वाकआत के ऊपर वह निर्णय दें और जब निर्णय देता है तो सैकिन्ड अपील का अधिकार हो गया । इसलिये जो यह कहा जाता है कि सैकिन्ड अपील का अधिकार ले लिया गया है, वह बना हुआ है । केवल इतनी बात है कि सैकिन्ड अपील के बाद वह रिवीजन में जाय और समय नष्ट हो, वह नहीं है। मैंने देखा है कि कोई मुवक्किल आये और वकील कहे कि क्लीयर फाईंडिंग आफ फैक्ट्स है फिर भी वह कहता है कि अच्छा बाबूजी अपील तो दाखिल कर दीजिये

और अपील दाखिल करता है और बिला वजह खर्च होता है । इस प्रकार से सैकिन्ड अपील में ५ अपील प्रोवाइड कर दें और कोई तत्व न हो तब भी वह लड़ता चला जायगा । लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है । अगर संशोधन को मान लेते हैं तो सेकिन्ड अपील का हम पूरा अधिकार दे देते हैं । जब वह अधिकार है और रिवीजन देते हैं तो कोई हस्तक्षेप नहीं है ।

इसी प्रकार से धारा २२ के लिये कहा गया है कि इसको न निकाला जाय । अगर आप दफा ५३ (ब) को देखें तो इसमें लिमिटेशन ऐक्ट लागू है । इंडियन लिमिटेशन एक्ट की धारा ५ का उपबन्ध इस अधिनियम तथा तदान्तर बनी नियमावली के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों, अपीलों, पुनरीक्षणों तथा अन्य कार्यवाही पर लागू होगा । अब इस धारा के होते हुये धारा २२ बिल्कुल बेकार है । अगर हम निकाल देते हैं तो उसका यह अर्थ नहीं होता है कि कोई अपील या दरख्वास्त दाखिल नहीं हो सकेगी मियाद के बाद । अगर हम लिमिटेशन एक्ट की शर्तों को पूरी कर देते हैं तो ले ली जायगी । इस तरह से यह चीज इसमें रखी हुई है ।

चकबन्दी के खर्चे की बात कहीं गई । तो जैसा कि आपको बताया गया है कि आधा हम देते हैं और आधा काश्तकार देते हैं । इसके दो अंश हैं । एक कागजात का ठीक करना और दूसरा अंश चकबन्दी का । बन्दोबस्त मालगुजारी का होता था और सेटिलमेंट आफ रेवेन्यू से मालगुजारी बढ़ती थी लेकिन चकबन्दी से बढ़ती नहीं है । कहीं-कहीं पर मालगुजारी घट ही जाती है और घटती इस प्रकार है कि जो सार्वजनिक कार्य के लिये भूमि ले ली जाती है उसकी मालगुजारी घटानी पड़ती है । अगर बढ़ती है तो केवल उस हालत में जब कि लोग जमीन पर बिला लगान कब्जा किये हुये हैं, अगर उन पर लगान बंधता है तो मालगुजारी बढ़ जायगी । नहीं तो मालगुजारी बढ़ती नहीं है । अब जब मालगुजारी बढ़ती नहीं है और काश्तकार के हित की कार्यवाही होती है और उससे आधा खर्चा लिया जाता है तो कोई बड़े अन्याय की बात नहीं है ।

जहां तक हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का संबंध है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है । रिट इस वक्त भी होता है, बाद में भी होगा । उस वक्त बिल्कुल लाचार होते थे । रिट का फैसला हुआ, वह हमारे पास आता है, हाई कोर्ट का निर्णय है मानिये । हम कहते हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र से हर चीज बाहर हो गयी है । हम कुछ कर नहीं सकते । इसलिये हम यह अधिकार लेते हैं कि जो हाईकोर्ट का निर्णय है उसके अनुसार कार्यवाही कर देंगे और यह न कहा जा सका कि कुछ भी हाईकोर्ट का निर्णय हो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उनको जो कुछ करना हो, नम्बरी मुकदमा या दीवानी वह करें । चकबन्दी की अदालत कुछ नहीं कर सकती हमारे किसी आदेश की बिना पर । हाई कोर्ट जाना पड़ेगा । हाई कोर्ट से जो फैसला होता है, उसका लाभ नहीं दे सकते । यह बड़ी अन्याय की बात थी । इसलिये बढ़ा दिया ? हमने दरअस्ल हाई-कोर्ट का अधिकार नहीं लिया है ।

तीसरी बात यह है कि सी० ओ०, ए० सी० ओ० के लेविल पर कमेटियां होनी चाहिये । हमने ग्राम समाज के लेविल पर कमेटी बना दी । उनका उद्देश्य यह है कि उनको लोकल जानकारी होती है । आप यह देखेंगे कि अधिनियम में जगह जगह पर ग्राम कमेटी से सी०ओ०, ए० सी ओ०, सेटिलमेन्ट आफिसर को सलाह करने का अधिकार है । अगर सी० ओ० के लेविल पर कमेटी बनती है तो एक ग्राम का सदस्य दूसरे ग्राम की हालत जानता नहीं । वहां बैठ कर कानूनी मशविरा तो करना नहीं है । उसका उद्देश्य है कि उसके सदस्य मौके की निजी जानकारी रखते हैं, वह बता सकते हैं । उनसे हर स्टेज पर सहायता ली जा सकती है । तो यह कहना कि प्राविंशल लेविल पर एक कमेटी होनी चाहिये, एक डिस्ट्रिक्ट लेविल पर होनी चाहिये और एक तहसील लेविल पर होनी चाहिये, इसकी आवश्यकता नहीं है । तो जो बातें इस विधेयक से उठी हैं उनका निर्णय यह सदन भली प्रकार कर सकता है और मुझे इस बात की खुशी है कि कल जितने संशोधन थे आज उनसे कहीं ज्यादा आ गये हैं और हर संशोधन पर जब यह सदन विचार करेगा तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो विधेयक में खुद ही मौजूद हैं प्राविजन । इसकी जरूरत ही नहीं है कि प्रवर समिति में भेजा जाय । माननीय सदस्यों ने विधेयक को पढ़ कर संशोधन भेजे हैं । मैं प्रार्थना करूंगा कि यह सदन उन संशोधनों पर विचार करे और इस विधेयक को उन संशोधनों के साथ जो स्वीकार किये जायं, पास कर दे ।

[श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव]

यह बात सब लोगों ने कही कि इस वक्त मौजूदा कानून से कुछ अन्याय हो रहा है और वह ठीक नहीं है। अगर वह ठीक नहीं है तो उसमें संशोधन की आवश्यकता है। इसीलिये यह विधेयक पेश है। अगर कुछ लोग यह समझते हैं कि चकबन्दी स्थगित हो जानी चाहिये, तो प्रवर समिति इसको तय नहीं करेगी कि यह चकबन्दी कानून बहुत अन्यायपूर्ण है, इसको रद्द कर दिया जाय या चकबन्दी स्थगित कर दी जाय। वह तो जो संशोधन है उन्हीं को देखे भालेगी। मैं समझता हूं कि जो संशोधन आये हैं उन पर खंडवार विचार कर लिया जाय और जो दुरुस्ती करना जरूरी समझा जाय वह कर दिया जाय और यह संशोधन विधेयक पास कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं मूल प्रस्ताव को सदन के सामने रख रहा हूं। अगर वह पास हो जायगा तो संशोधन अपने आप गिर जायगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—एक ही संशोधन है तो उसी को क्यों नहीं पहले रख देते?

श्री उपाध्यक्ष—बात यह है कि वोटिंग बजाय दो बार के एक ही बार हो जायगी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि संशोधन न रखकर मूल प्रस्ताव पहले रख दिया जाय। नियम यही है कि संशोधन पर ही पहले वोट लिया जाय। संशोधन जब गिर जायगा तब आप उसे रख सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने ऐसा किया है। (व्यवधान) अच्छा लीजिये। मैं संशोधन ही रखता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन), विधेयक, १९६२ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक का अधिकार क्षेत्र भी बढ़ाने का अधिकार हो और वह एक माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh consolidation of Holdings (Amendment) Bill, 1962] पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा ३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ में—

(१) खंड (१) में शब्द "नियुक्त करे" और "पूर्ण विराम" के बीच में शब्द "और इसके अन्तर्गत सहायक समकोण अधिकारी (Assistant Rectangulation Officer) भी है" बढ़ा दिये जायें;

(२) खंड (१) के पश्चात् नये खंड (१-क) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये:—

"(१-क) 'चक' का तात्पर्य चकबन्दी होने पर खातेदार की प्रदिष्ट भूमि के खंड से है;"

(३) खंड (३) में शब्द "नियुक्त करे" तथा तत्पश्चात् आने वाले पूर्ण विराम के बीच में शब्द "और इसके अन्तर्गत समकोण अधिकारी (Rectangulation Officer) भी है" रख दिये जायें;

(४) खंड (३–क) में शब्द "नियुक्त करे" और तत्पश्चात् आने वाले पूर्ण विराम के बीच में शब्द "और इसके अन्तर्गत समकोणकार (Rectangulator) तथा चकबन्दी क्रियाओं के अधीन क्षेत्रों में यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अधीन उक्त क्षेत्र के लिये नियुक्त सुपरवाइजर कानूनगो भी है" बढ़ा दिये जायें ;

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१

(५) खंड (३–क) के पश्चात् नये खंड (३–ख) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये:—

"(३–ख) 'चकबन्दी योजना' का तात्पर्य किसी कटक में चकबन्दी की योजना से है;"

(६) खंड (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(५) 'भूमि' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यानकरण (horticulture) तथा पशुपालन (जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन और कुक्कुट पालन भी है) से संबद्ध प्रयोजनों के लिये हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(१) जोत का वह भाग, जो मकान या अन्य तत्सम रचना का स्थल हो; और

(२) ऐसे पेड़, कुएं और अन्य समुन्नतियां जो उन गाटों में हों जिनसे मिलकर जोत बनी हो ; "

(७) खंड (८) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "तथ्य की अलग-अलग" के स्थान पर शब्द "दिनांक की अग्रिम" रख दिये जायें; और

(८) खंड (८) के पश्चात् नये खंड (८–क) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये:—

"(८–क) 'समकोण-निर्माण' का तात्पर्य चकबन्दी के समय चकों के प्रदेशन को विनियमित करने के उद्देश्य से कटक के क्षेत्र को सुविधाजनक आकार के समकोण चतुर्भुजों तथा ऐसे चतुर्भुज के भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया से है ; "

***श्री कमलासिंह यादव**—उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री जी इसको क्लियर कर दें कि ऐसी जमीन या ऐसे खेत जिनमें कि किसी किसान ने अपना मकान बना लिया है, का मतलब कल्टीवेटेड लैंड से है तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूं, लेकिन अगर उसका मतलब उससे भी है कि जो आबादी के भीतर जमीन पर किसी ने मकान बना लिया है और वह आबादी में आ गया है, तो मैं अपना संशोधन पेश करूं ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मैं समझा नहीं माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं ?

श्री कमलासिंह यादव—जैसे यह है कि आबादी छोड़कर किसी चक के अपने खेत में किसी ने जाकर मकान बना लिया हो या पहले ही से मकान बना हो, चकबन्दी के पहले से, और ऐसे मकान से इसका संबंध है तो, फिर तो यह रहना चाहिये और अगर ऐसा न हो तो मैं अपना संशोधन पेश करूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव---जो संशोधन है खंड २ के उपखंड (६) का उपखंड (१) वह इस प्रकार है कि---जोत का वह भाग, जो मकान या अन्य तत्सम रचना का स्थल हो, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो जोत का भाग है। अगर जोत का भाग नहीं है, मकान अलग बना हुआ है जो जोत से संबंधित नहीं है तो वह नहीं आयेगा।

श्री कमलासिंह यादव---वही मैंने आपसे किल्यर करने की बात कही कि अगर कोई कल्टीवेटेड प्लाट हो और उसमें जाकर, किसी ने मकान बना लिया हो और वह चकबन्दी के दौर में आ जाय तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बहुत से मकानात बन गये हों और वह आबादी के रूप में आ गया हो, तो उस वक्त यह जो परिभाषा दी गई है वह उचित नहीं होगी।

इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (६) में मूल अधिनियम की धारा ३ के प्रस्तावित खंड ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---"(५) भूमि का तात्पर्य ऐसी भमि से है जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि से संबंधित प्रयोजन के लिये हो और जिसमें पेड़, कुएं और अन्य समुन्नतियां भी सम्मिलित हों।" श्रीमन्, यह जो प्रस्ताव मैंने रखा है संशोधन के रूप में उसका मतलब यह है कि चकबन्दी से संबंध केवल उन्हीं चीजों का होना चाहिये जो कि कृषि के कार्य से संबंधित हों। हमारा मंशा चकबन्दी का असल में यह है कि जितनी कृषि से संबंधित जमीन हो उसको हम एक जगह इकट्ठा कर दें ताकि जोतने में आसानी हो। जैसा कि अभी हमको जिले का तजुर्बा है, बहुत से चक ऐसे हैं कि जिसमें मकान भी अलाट कर दिया और जिसमें सहन भी अलाट कर दिया गया। ऐसी मेरी जानकारी है कि जिसमें मकान अलाट किया है उसके मूव करने पर चक अलग कर दिया गया। यह एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, चाहे माननीय मंत्री की जानकारी न हो, लेकिन वह अपने विभाग से पूछ सकते हैं कि बहुत मकान और सहन चक में अलाट कर दिये गये हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि पहले से इसकी परिभाषा साफ हो जाय ताकि मकान और सहन किसी चक के अन्दर अलाट न हों। इसलिये यह जरूरी है कि जो परिभाषा सदन के सामने मैंने रखी है वही रखी जाय, क्योंकि हम यह भी जानते हैं कि अगर कुक्कुटपालन या मत्स्यपालन के लिये लेता है तो उसको दिक्कत होगी। मैं ज्यादा डिटेल में न जाकर सिर्फ मंत्री जी को इशारा कर देना चाहता हूं कि जब सही माने में आप सारे खेतों को इकट्ठा करना चाहते हैं कि जिन खेतों में कृषि होती है उनको इकट्ठा करके रखें ताकि खेती हो सके। तो जो परिभाषा मैंने रखी है कि इसको स्वीकार किया जाय क्योंकि यह साफ परिभाषा है।

***श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी** (जिला बस्ती)---मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि इसका तात्पर्य ऐसे मकानों से है जो होल्डिंग में हैं। मेरा खयाल है कि एक बात ध्यान में रखने की है। जो परिभाषा इसमें दी गई है वह मुझे कुछ उचित नहीं मालूम होती, क्योंकि वैल्थ टैक्स ऐक्ट में जो लैंड की परिभाषा दी गई है वह इस प्रकार से दी गई है कि केवल वही लैंड एग्जेम्पट रहेगी जो उस वैल्थ टैक्स ऐक्ट के अन्दर परिभाषा में आती हो। अगर किसी टाउन में कोई जमीन है, उसमें मकान भी है और वह खेती भी करता है तो वह उसकी परिभाषा के अनुसार एग्जेम्पट है, लेकिन अगर खेती नहीं करता है तो वह एग्जेम्पट नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि "Land means land held or occupied for purposes connected with agriculture, horticulture and animal husbandry (including pisciculture and poultry farming) and includes"---अगर वह परिभाषा सही होती तो यहां पर इस तरह से उसकी परिभाषा करने की आवश्यकता न होती कि वह इन्क्लूड करता है। वह भी उसमें शामिल है यानी जो आबादी में होगी वह भी शामिल है और किसी होल्डिंग का पार्ट होगी। यह इन्टरप्रिटेशन हो सकता है और वकील लोग अदालतों में यह इण्टरप्रिटेशन कर सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---इसमें आप देखें कि इस तरह से यह क्लाज है कि "भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यानकरण (horticulture) तथा पशुपालन (जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन और कुक्कुट पालन भी है) से संबद्ध प्रयोजनों के लिये हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:---अब इसके पहले अभी तक जितनी जमीन ह वह तो यह एग्रीकल्चर या होल्डिंग की है, परन्तु इसके आगे हमने कहा कि इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी ह। अगर किसी खेत पर मकान बना हुआ है तो वहां तक नहीं आयेगा। जितना मैंने पढ़ा यहां तक वह नहीं आता है, क्योंकि यह कहा जायगा कि यह तो मकान बना हुआ है खेत पर लिहाजा इसमें न आये। इसीलिये यह कहा गया कि अन्तर्गत निम्नलिखित भी है। अगर आबादी में कोई मकान बना हो तो वह नहीं आयेगा। जोत के अन्दर निम्नलिखित भी है :---जोत का वह भाग जो मकान या अन्य तत्सम रचना का स्थल हो। अगर हम यह न करते तो हमको यह कठिनाई होती कि अगर किसी का मकान जोत में बना हुआ है तो उस मकान को हम नहीं एलाट कर सकते थे। अगर हम उसका खेत देना चाहते हैं तो भी हम उस मकान को टच नहीं कर सकते। इसलिये यह जरूरत हुई कि जब हम चक बनाने लगें तो यदि हम चाहें तो यदि किसी काश्तकार का मकान उस की जोत में बना हुआ हो, तो वह जमीन भी उसको दे सकें। इसलिये यह संशोधन किया जा रहा है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---अगर मंत्री जी यह कहते हैं तो कोई बात नहीं। अगर किसी की जोत में किसी का घर हो और उससे वह सारे काम करता हो तो उसे इनक्लूड नहीं किया जायगा, यह स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये। अगर यह स्पष्टीकरण हो जाय तो ठीक होगा। लेकिन अदालतें इस दृष्टि से इंटरप्रेट नहीं करेंगी।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---इसमें बहुत ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---आपका उद्देश्य कंसालिडेशन का है और दुर्भाग्यवश टेनेन्सी ऐक्ट में है कि किसान अपनी जोत में मकान बना सकता है और अगर उसने मकान बना लिया तो उसका मकान भी दे दिया जायगा। हमारे कमलासिंह जी ने पहले ही इस पर शंका प्रकट की थी और दूसरों को अच्छे मकान एलाट कर दिये गये थे। इस भ्रम को दूर करने के लिये ही आप स्पष्टीकरण करिये। आप स्पष्ट कहें कि मकान कंसालिडेशन से अलग कर दिया जायगा, इसकी आवश्यकता है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---जो अधिनियम है उसकी धारा २ के खंड ४ (ग) में जोत की परिभाषा दी गयी है कि जोत का तात्पर्य भूमि के ऐसे भाग अथवा भागों से है जो किसी खातेदार द्वारा अकेले अथवा अन्य खातदारों के साथ संयुक्त रूप में एक खाते के अधीन अधिकृत हो। तो इस प्रकार खाते की परिभाषा इसमें है।

श्री मैनेजरसिंह---मेरा भी एक संशोधन है। यदि आपकी आज्ञा हो तो प्रस्तुत कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है। रख दीजिये।

श्री मैनेजर सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो वकील नहीं हूं, कानून पढ़ा भी नहीं हूं, लेकिन अपने आदरणीय मंत्री जी, जो अच्छे वकील हैं, उनकी वकालत को सुनने की कोशिश की। मैंने समझने की कोशिश की। हमारे इस पक्ष के भी दो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, मैंने उनकी भी वकालत सुनी। मैंने देखा कि दोनों पक्ष के लोग अपने-अपने मालिकों की वकालत बहुत अच्छी करते हैं। उन्होंने मुस्तैदी के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजरसिंह]

साथ ऐसा किया। माननीय मंत्री जी की नियुक्ति माननीय गुप्ता जी ने की है जिनकी आज सरकार है। इधर से भी २-३ वकील बोले जो जनता के सेवक हैं और उन्होंने जनता की वकालत की है। इन्होंने जनता के दुख-दर्द को यहां पर रख दिया है। मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि अंग्रेजी और हिन्दी में आपको भेद मालूम हो रहा है। मैंने इसको देखा और इस पर बल दिया है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बहुत ही सीधा-साधा संशोधन मेरा और माननीय कमलासिंह जी का है जिसको मान लेना चाहिये।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि "खंड २ के उपखंड (६) में मूल अधिनियम की धारा ३ के प्रस्तावित खंड (५) का भाग (१) निकाल दिया जाय और भाग (२) को भाग (१) कर दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे एक बहुत बड़ा खतरा हुआ है और होगा। आप देखेंगे कि किसानों को कठिनाई बढ़ती है और भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। आप ऐसी भूमि को जिस पर किसान का मकान बना हुआ है चकबन्दी योजना में लेते हैं तो इससे मकान मालिक परेशान होता है और वह कोशिश करता है कि उसके सामने जो सहन की जमीन है वह मकान के नाम पर या किसी भी अन्य कार्य के नाम पर एस० ओ० सी० के यहां कोशिश करके चकबन्दी से निकाल लें ताकि वह न ली जाय। इस प्रकार से काफी पैसा किसान को व्यय करना पड़ता है। ए० सी० ओ०, सी० ओ० और उनके पेशकार को भी रिश्वत देना पड़ता है। वह फर्जी मंजूरी मकान बनाने के नाम पर प्राप्त करता है और मंजूरी में पैसा देना पड़ता है। जो किसान मंजूरी लेता है वही जमीन रख पाता है। कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ है कि मकान सहित भूमि चकबन्दी में आ गई है और वह दूसरों को एलाट कर दी गई है। कहीं पर मकान को छोड़कर सहन दूसरे को दिया गया है। इसलिये इस विधेयक से ऐसा प्राविधान किया जाय कि जहां किसानों के मकान बने हुये हैं वहीं उनको एक चक अवश्य दिया जाय। मैं इस संशोधन को वापस ले सकता हूं और अपने साथी माननीय कमला सिंह जी से भी कहूंगा कि वह भी इसको वापस ले लें। माननीय मंत्री सरकारी पक्ष की वकालत बहुत अच्छी करते हैं, परन्तु मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वह इस पर गौर करें कि इससे किसान की परेशानी बढ़ेगी। इसलिये आप कृपया मेरा संशोधन मंजूर करें। उससे मकान मालिक परेशान होगा। उसमें आप चाहें तो यह कर दें कि मकान के साथ निश्चित क्षेत्रफल (रकबा) छोड़ दिया जाय। वह रकबा आप कुछ भी रख दें, किन्तु उसको चकबन्दी से वंचित रखें। इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि मंत्री जी कृपया इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

*कुंवर श्रीपालसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक चीज निवेदन करना है और वह यह कि यदि इस विधेयक में इसको आप पढ़ें तो समझ में आ जाता है कि मतलब क्या है। इसमें लिखा यह है कि "जोत का वह भाग, जो मकान या अन्य तत्सम रचना का स्थल हो" यानी एक मकान भी जोत लिया गया, मकान को भी जोत में लेकर, उसको मुआवजा देना चाहते हैं। मुआवजा भी क्या देंगे? अगर किसी ने एक कुवां २ हजार रुपये की लागत का बनवाया, तो उसको ५०० रुपये दिये जाते हैं। अगर मकान ४,००० की लागत का बना तो उसको ४०० रुपये मिल जायेंगे। जो मुआवजा इनके कर्मचारी तय कर देते हैं वह उसको मिल जाता है। इसमें उसको बड़ा नुकसान होता है। उसमें न आप कुछ कह सकते हैं और न हम कुछ कह सकते हैं। इसमें बिलकुल क्लीयर लिखा हुआ है और उसके अनुसार सीधे-सीधे मकान जोत के अन्दर आ जाता है। जब भी ट्रान्सफर होगा तो मकान चला जायेगा। यह तो बहुत ही डिफेक्टिव मालूम होता है। इस पर तो बड़ा झगड़ा मच जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---उपाध्यक्ष महोदय, जो अधिनियम है उसकी धारा २ की उपधारा १२ में लिखा है कि जिन शब्दों की परिभाषा इसमें नहीं की गयी है उसकी परिभाषा वही होगी जो लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में दी हुई है। होल्डिंग की परिभाषा जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में दी हुई है। इसकी परिभाषा तो वह परिभाषा है जो यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट में है। यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट में आबादी में जो मकान है वह किसी भी तरह खींचतान करके नहीं आ सकता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---मतलब यह है कि जो जोत में नया मकान बनवा ले वह कैसे निकलेगा ?

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव---जोत में अगर किसी ने मकान बनाया है तो उसे हम कैसे दे सकते हैं ? उसको नहीं दे सकते हैं, इसीलिये उसको देने के लिये यह संशोधन रखा गया है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---अगर वह मकान उसके चक में रहे तब तो ठीक है, लेकिन अगर वह दूसरे के चक में चला गया तब क्या होगा, किस तरह से उसके पास रहेगा ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---अगर किसी का मकान किसी खेत में बना हुआ है तो उसके संबंध में हम कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। इसलिये जब तक कि वह हमारे अधिकार क्षेत्र में न हो तब तक किस प्रकार से हम उसे दे सकते हैं ? इसकी यह मंशा नहीं है कि वह दूसरे को दे दिया जायगा। दूसरे को देने के बारे में कोई प्रावीजन रूल्स में नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---फिर यह परिभाषा इसमें क्यों रखी गयी है ? जो परिभाषा आपने पढ़ी थी और जैसा कि यह संशोधन है, ये दोनों अगल-अलग परिभाषाएं क्यों हैं ?

कुंवर श्रीपालसिंह---श्रीमन्, इसमें जो परिभाषा दी गयी है, वह इस प्रकार है--'भूमि' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यानकरण तथा पशुपालन से संबद्ध प्रयोजनों के लिये हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं---

(१) जोत का वह भाग जो अन्य तत्सम रचना का स्थल हो।

अब मान लीजिये वह चक आपने किसी दूसरे को दे दिया तो वह मकान कहां जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष---ऐसा किया जाय कि थोड़ी देर के लिये इसको पोस्टपोन कर दिया जाय और आगे बढ़ा जाय। बहस तो इस पर हो ही गयी है।

श्री कमलासिंह यादव---माननीय मंत्रीजी यदि अपने लीगल रिमेंब्रेंसर से पूछ लें तो अच्छा होगा।

श्री रक्षपालसिंह---माननीय मंत्रीजी उस मकान को अगर उसके ही चक में ले लें तब तो ठीक है, लेकिन देखा यह जाता है कि जो काश्तकार की मूल भूमि होती है वह दूसरे के चक में चली जाती है, तो क्या उस हालत में उसका वह मकान भी न निकल जायगा ?

श्री महावीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो आपत्ति उठाई जा रही है कि मकान इसमें शामिल न किया जाय, यह तो पुराने ऐक्ट में ही दिया हुआ है--"भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यानकरण तथा पशुपालन से जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन और कुक्कुट पालन भी है, संबद्ध प्रयोजनों के लिये हो और इसके अन्तर्गत खातेदार की जोत का भाग, जो उसके मकान या अन्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महावीरसिंह]

तत्सम रचना का स्थल भी हो, भी है।"

इस वक्त विवाद भूमि के डेफिनिशन पर चल रहा है और यह तो पहले से ही भूमि के डेफिनिशन में मौजूद है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न तो यह है कि जो मकान बना हुआ है वह भूमि के डेफिनिशन में रहना चाहिये या नहीं। अगर वह भूमि के डेफिनिशन में रहता है तो वह कांसोलिडेशन में आ जाता है और वह दूसरे के चक में जा सकता है। तो यहां इसी को बचाने का प्रश्न है।

***श्री दयाराम शाक्य** (जिला फर्रुखाबाद)---जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, अगर ऐसा ही है तो इस संशोधन के लाने की क्या आवश्यकता थी? इसके लिये विशेष रूप से एक क्लाज रखा गया है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं, इस संशोधन के द्वारा हम केवल इतना चाहते हैं कि इसके आगे यह बढ़ा दिया जाय :---

"(i) the site being part of a holding, of a house or other similar structure and

(ii) trees, wells and other improvements existing on the plots forming the holding."

लेकिन जो हमारे सामने संशोधन आया है उसके अनुसार उन चीजों को निकाल देते हैं तो फिर सवाल ही क्या रह जाता है?

श्री दयाराम शाक्य---श्रीमन्, मैं अपनी बात समझा दूं कि यदि किसी होल्डिंग में कोई मकान हो और वह चकबन्दी के अन्तर्गत किसी दूसरे के चक में पड़ जाय तो इसके लिये इस संशोधन द्वारा कोई ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाय कि उसका जो मूल जोत है वह उसी के घर के चक में चला जाय, लेकिन यह संभव नहीं हो सकता और मान लीजिये कि ५० प्रतिशत का घर उसके जोत में चला भी जाय तो भी ५० प्रतिशत ऐसे रह जाते हैं जिनको मूल जोत नहीं मिला तो ऐसी हालत में उनका मकान दूसरे की जोत में चला जायगा। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि चकबन्दी की मंशा यह होनी चाहिये कि जहां जिसका घर हो वहीं उसका चक बनाया जाय।

श्री मैनेजरसिंह---मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जोत में किसी किसान का मकान हो, उस जमीन को छोड़ देने की व्यवस्था कर दें। इसके लिये किसी के नाम से एक संशोधन पेश करवा दें।

श्री रक्षपालसिंह---जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा, आप देखेंगे कि पूरा का पूरा डेफिनिशन सब्स्टीट्यूट हो रहा है। माननीय मंत्री जी के कथनानुसार संशोधन में कुछ ऐड करने की बात नहीं है। आप तो दूसरी परिभाषा ही दे रहे हैं। जहां तक मकानों का संबंध है, अगर दुर्भाग्य से किसी का पक्का मकान किसी के चक में चला गया तो कम्पेनसेशन के संबंध में अनेक प्रकार की कठिनाइयां पैदा होंगी। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वह इसे चकबन्दी के स्कोप में न लायें। अगर यह परिभाषा स्कोप के अन्दर न रहे, बाहर भी हो तो भी मकान को तो चकबन्दी के बाहर कर ही देना चाहिये। मेरी माननीय मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना है कि वे इसे मानने की कृपा करें।

(इस समय ४ बजकर ९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेंद्रसिंह विष्ट, पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कृष्णानन्द राय---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि माननीय कमला सिंह जी ने जो संशोधन रखा है कि जोत में कोई मकान बने हों, उसको निकालने के लिये उस के बारे में यह है कि मूल ऐक्ट के उसी हिस्से पर संशोधन लाया जा सकता है जिस में कि संशोधन विधेयक संशोधन लाया गया है। वह जोत जिस में मकान बने हों वह पहले से शामिल है और भूमि की वह परिभाषा....

श्री कमलासिंह यादव---मेरा भी एक प्वाइंट आफ आर्डर है कि पेश होने के बाद? फिर कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं हो सकता।

श्री कृष्णानन्द राय---मैं यह कह रहा था कि भूमि की व्याख्या में ऐसे पेड़, कुएं अगर अन्य समुन्नतियां जो उन गाटों में हों जिन से मिलकर जोत बनी हो, यह सब सम्मिलित किया जा रहा है, कुएं, पेड़ या समुन्नितयां की बात कहें तो इन आर्डर हो सकता है वरना नहीं।

कुंवर श्रीपाल सिंह---आप की व्याख्या पर मेरा भी प्वाइंट आफ आर्डर है। अगर वह कहते हैं कि यह पहले से मौजूद है तो जरा कृष्णा नन्द राय जी और मंत्री जी बतायें तो, इन शब्दों को यहां रखने की क्या जरूरत पड़ी ? इस के २ हिस्से हैं.....

श्री अधिष्ठाता---आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री कमलासिंह यादव---श्रीमन्, यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---आप जो कह रहे हैं वही मैं मान रहा हूं। आप बैठें।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो भूमि की परिभाषा दी हुई है उसके आगे हम इस संशोधन द्वारा केवल यह जोड़ना चाहते हैं कि "ऐसे पेड़, कुएं और अन्दर समुन्नतियां जो उन गाटों में हों जिनसे मिलकर जोत बनी हो," बजाय इस के कि दोनों एक साथ रख देते १-२ कर के कर दिया गया है, यह केवल शब्दों की बात है, अगर उन को यह पसन्द हो कि उसी के आगे यह बढ़ा दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह---मकान को एक्सक्लूड करने को आप क्या कह रहे हैं, यही सवाल है, सब उसका औचित्य मानते हैं तो उसका प्राविजन आप कर दें कि मकान एक्सक्लूड हो जाय।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---जो झंझट है वह तो पहले से ही है।

श्री मैनेजरसिंह---आप इसके औचित्य को मानते हैं तो हमारा संशोधन मान लें, केवल मकान को एक्सक्लूड कर दें और बाकी सब मान लें।

कुंवर श्रीपालसिंह---मकान बचा दें बाकी सब ले लें वरना बड़ा झंझट हो जायगा।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---मकान वाले को निकालने के लिये यह नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव---मेरे संशोधन में मकान नहीं आता है। इसलिये मैंने रखा है आपका जूरिस्डिक्शन मकान पर न हो।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---ऐसा है वह मकान आपका लिया नहीं जायगा, ऐसा रूल्स में है।

श्री हिम्मतसिंह---इसको छोड़ कर आगे बढ़ा जाय।

श्री अधिष्ठाता---मंत्री जी, कुछ समय चाहते हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---आगे ले लिया जाय, इसको अभी देखकर बता दूंगा।

श्री अधिष्ठाता---तो यह पोस्टपोन किया जाता है।

(श्री कमलासिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री महावीरसिंह---डेढ़ साल हुए मुरादाबाद में तहसील सम्भल में चकबन्दी हुई, एक काश्तकार का १४,००० रु० का एक कुंआ निकल गया और उसको मुआवजा मिला १,८०० रु०।

श्री अधिष्ठाता---आप अपना स्थान ग्रहण करें, मैंने माननीय कमला सिंह जी को बुलाया है।

***श्री कमलासिंह यादव**---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड २ का उप-खंड (७) निकाल दिया जाय।" इस खंड को आप ओरिजिनल ऐक्ट में देखें तो उसके प्रतिबन्ध में यह है "प्रतिबन्ध यह है कि यदि कटक के लिये चकबन्दी समिति संगठित हो गई हो तो उक्त समिति के प्रत्येक सदस्य को इस प्रकाशन के तथ्य की अलग-अलग सूचना भी दी जायगी।" लेकिन संशोधन जो किया जा रहा है उसमें है "दिनांक की अग्रिम" शब्द रखे जा रहे हैं "तथ्य की अलग-अलग" की जगह। यह इस प्रकार हो जायगा "प्रतिबन्ध यह है कि यदि कटक के लिये चकबन्दी समिति संगठित हो गई हो तो उक्त समिति के प्रत्येक सदस्य को इस प्रकाशन के दिनांक की अग्रिम सूचना भी दी जायगी।"

श्रीमन्, इस संशोधन की जरूरत इसलिये पड़ी कि इसमें तथ्य शब्द है, जब किसी गांव में आप डिक्लेरेशन करने जायेंगे या चकबन्दी शुरू करेंगे तो आपके लिये यह जरूरी होता है कि आपका साराँश क्या होगा चकबन्दी के सिलसिले में उसकी एक प्रति आप देंगे चकबन्दी के मेम्बरान को। इसी दिक्कत को बचाने के लिये कि आपको सारांश न बताना पड़े यह संशोधन लाया गया है। मैं समझता हूं यह संशोधन जो सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, वह उद्देश्य जो चकबन्दी का है उसके खिलाफ है और चकबन्दी समिति के सदस्य यह न जानेंगे कि चकबन्दी का काम क्या-क्या होगा। तो यह दिक्कत होगी। इसलिये किसी गांव में चकबन्दी करने के लिये आवश्यक हो जाता है, कम से कम वह आदमी जो समिति को के सदस्य हैं उनको बता दिया जाय कि चकबन्दी समिति या चकबन्दी का तथ्य क्या है और क्या-क्या चकबन्दी के जरिये उस गांव में सरकार करेगी। इसी मकसद से शब्द "तथ्य" रखा गया है और इसी को निकालने के लिये सारा बावेला किया गया है। बहुत सोच समझ कर रखा गया और मैं समझता हूं अगर यह निकल जायगा तो बड़ा घातक होगा चकबन्दी के लिये। हमारे चकबन्दी के सदस्यों की अभी तक हालत यह है कि समिति जब बना दी जाती है तो चकबन्दी समिति के मेम्बरों से दस्तखस्त लिये जाते हैं, उन बेचारों को जानकारी तक नहीं होती कि क्या है। अगर आप यह नहीं बतला सकेंगे कि चकबन्दी के तथ्य क्या होंगे तो फिर क्या फायदा होगा? मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो वर्ड है "तथ्य" इसे नहीं निकाला जायगा और इसे अवश्य रखा जायगा।

***श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट**---जो संशोधन माननीय कमला सिंह जी ने रखा है वह उचित है। मूल ऐक्ट में इसका प्राविजन है कि अलग-अलग सूचना दी जाय और अब उसमें बदलाव कर रहे हैं। मंत्री जी को हाई कोट का अनुभव है और हम लोग देहाती क्षेत्रों में रहते हैं। थ्योरी और प्रेक्टिस में बड़ा अन्तर होता है। कार्यवाही हो जाय और किसी को उसकी सूचना तक न मिले यह उचित नहीं है। इसमें कौन सी देर लग रही है कि चकबन्दी कमेटी के सदस्यों को हरएक को अलग-अलग सूचना दे दी जाय ताकि उस गांव में पता चल जाय कि किस तथ्य पर हमारे गांव में चकबन्दी होने जा रही है। इसमें कौन सी देरी लग जायगी और खर्चा बढ़ जायगा? गांव वालों को पता ही नहीं चलेगा अपने यहां की स्कीम का। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो संशोधन रखा गया है उसे हटा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—खंड ८ इस समय इस प्रकार है:—"किसी लेख्य के संबंध में 'कटक में प्रकाशन के' या 'कटक में प्रकाशित करना' का तात्पर्य डुग्गी पीटकर पूर्व सूचित दिनांक पर किसी कटक में उस लेख्य को पढ़ कर सुनाने तथा कटक में डुग्गी पीटकर अथवा अन्य किसी रूढ़िगत ढंग से इस तथ्य की घोषणा करने से है कि किसी निश्चित स्थान पर तथा समय पर वह लेख्य सार्वजनिक निरीक्षण के लिये उपलब्ध है ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कटक के लिये चकबन्दी समिति संघटित हो गई हो तो उक्त समिति के प्रत्येक सदस्य को इस प्रकाशन के तथ्य की अलग-अलग सूचना भी दी जायगी ।"

अब "तथ्य" की जगह हमने यह कहा है कि "तिथि की अग्रिम सूचना" दे दी जायगी, तो इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री भोखालाल—"अलग-अलग" शब्द निकाल दिये गये हैं तो फिर किस को दी जायगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—प्रत्येक सदस्य को लिखा हुआ तो है।

*श्री कमलासिंह यादव—अंग्रेजी का आप पढ़ लें तो उसमें साफ दिया हुआ है और उससे समझ में आ जायगा कि मैंने तो "तथ्य" शब्द दिया है और माननीय मंत्री समझ रहे हैं "तिथि"। "तथ्य" का मतलब है जब जब कंसोलिडेशन होगा हर कमेटी के मेम्बर को लिख कर दिया जायगा। चकबन्दी कमेटी जहां-जहां है और जो भी चकबन्दी कमेटी के मेम्बरान हैं उनको सूचना दे दी जायेगी। लेकिन इसके मुताबिक उनको सूचना नहीं दी जायेंगी केवल दस्तखत करा लिये जायेंगे और जानकारी नहीं हो सकेगी कि क्या हो रहा है। इसलिये मेरा कहना यह है कि लिखित उन्हें देने की व्यवस्था की जाय ताकि खुद पढ़ लें या पढ़े हुये नहीं हैं तो जो गांव के पढ़े-लिखे हैं उनसे पढ़वा लें।

यहां यह कहा जाता है कि वहां तो निरीक्षण के लिये सब चीजें रख दी जाती है, लेकिन गांवों में कोई भी लेख नहीं रखा जाता और न कोई देखता है, देखने के भी पैसे लगते हैं। इसलिये इस चीज को एवायड करने के लिये यह जरूरी होता है कि चकबन्दी के मेम्बर के पास एक ऐसा डिक्लेरेशन या फैक्ट्स अवश्य रहें ताकि उसे जानकारी हो जाय कि गांव की चकबन्दी में हम क्या करेंगे। इसलिये यह चीज दी गयी है और उसमें भी है कि फैक्ट्स आफ पब्लिकेशन मेंशन्ड होंगे। अगर अंग्रेजी वाला मंत्री जी पढ़ लें तो बिल्कुल साफ हो जायगा। तिथि की सूचना हम नहीं चाहते, वह तो बीट आफ ड्रम से आप करेंगे ही। चकबन्दी का जो आब्जेक्ट है उससे सूचित कीजिये। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इस अमेंडमेंट के बाद चकबन्दी और भी हास्यास्पद हो जायगी।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—अधिष्ठाता महोदय, जो अंग्रेजी का प्राविजो है उसमें यह है—

"Provided that where a Consolidation Committee has been constituted for the unit each member of the committee shall be informed of the fact of publication."

जो अंग्रेजी का हमारा अमेंडमेंट है उसमें हमने यह लिखा है कि बजाय "of the fact" के यह कर दिया जाय कि "in advance of the date", इसमें यह है कि—

"Each member of the said committee shall also be informed in advance of the date."

तो फैक्ट आफ पब्लिकेशन और डेट आफ पब्लिकेशन में क्या अन्तर है ?

श्री कमलासिंह यादव—फैक्ट से मतलब यह है कि सबस्टैंस उसका क्या होगा, किस तरह से उसे चकबन्दी करनी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---अगर आप इन ऐडवांस नहीं चाहते तो रहने दीजिये, कोई हर्ज नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---तो आप इस अमेंडमेंट को ऐक्सेप्ट कर रहे हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---जो हमारा क्लाज है वह मैं नहीं चाहता, वह ड्राप कर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---तो आप अमेंडमेंट को ऐक्सेप्ट कर रहे हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---जी हां ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड २ का उपखंड (७) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३---मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:---

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ४ का संशोधन

चकबन्दी के संबंध में प्रख्यापन तथा विज्ञप्ति

"४---(१) (क) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि कोई जिला या उसका भाग चकबन्दी क्रियाओं के अधीन लाया जाये तो वह गजट में इस आशय का प्रख्यापन कर सकती है। तदुपरान्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी के लिये, जो जिला उप-संचालक चकबन्दी द्वारा तदर्थ अधिकृत किया जाये, यह विधिसंगत होगा कि वह---

(१) उक्त क्षेत्र की किसी भूमि में, समकोण-निर्माण के संबंध में या अन्यथा प्रवेश करे तथा उसका सर्वेक्षण करे और स्तर (level) मालूम करे।

(२) समकोण-निर्माण के संबंध में खम्भे लगाये, और

(३) चकबन्दी क्रियाओं के लिये क्षेत्र की उपयुक्तता का निश्चय करने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही करे ।

(ख) जिला उप-संचालक चकबन्दी खंड (क) के अधीन जारी किये गये प्रख्यापन की सार्वजनिक सूचना उक्त जिले या उसके भाग में सुविधापूर्ण स्थान पर दिलवायेगा ।

(२) (क) जब राज्य सरकार, उपधारा (१) के अधीन जारी किये गये प्रख्यापन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में चकबन्दी क्रियायें आरम्भ करने का निश्चय करे तो वह इस आशय की विज्ञप्ति जारी कर सकती है।

(ख) इस प्रकार की प्रत्येक विज्ञप्ति सरकारी गजट और उक्त क्षेत्र के प्रत्येक कटक में प्रकाशित की जायेगी।"

***श्री कमलासिंह यादव**---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ४ की उपधारा (२) (क) के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं---

"और डुग्गी द्वारा (beat of drums) गांव में सूचना भी दी जायगी जिसकी पुष्टि चकबन्दी कमेटी के मेम्बरान करेंगे।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि वे ओपेन हार्ट और ओपेन माइंड से हमारे संशोधनों को सुन रहे हैं और हर चीज पर विचार कर रहे हैं और जो उन्होंने हमारा संशोधन स्वीकार किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मैंने जो संशोधन रखा है यदि उस धारा के शेष अंश को पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि "जब राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन जारी किये गये, प्रख्यापन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में चकबन्दी क्रियाएं आरम्भ करने का निश्चय करे तो वह इस आशय की विज्ञप्ति जारी कर सकती है।" श्रीमन्, जब हम विज्ञप्ति या डिक्लेरेशन करते हैं तो उस गांव की चकबन्दी करना चाहते हैं, इसके लिये विज्ञप्ति शब्द रखा गया है। इसमें दिक्कत यह होती है कि कागजात में हम सब कुछ कर लेते हैं, पब्लिकेशन कर लेते हैं और छाप लेते हैं, लेकिन किसान को कोई भी कागज नहीं मिलता है जिससे उसे जानकारी हासिल हो सके। बहुत से लोग गांव के बाहर रहते हैं और ऐसे लोग गांव में ज्यादातर होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इसलिये आपके डिक्लरेशन को पढ़े लिखे आदमी तो पढ़ लेते हैं लेकिन बगैर पढ़ा लिखा किसान नहीं जान पाता है कि उसके गांव में चकबन्दी की कार्यवाही होगी। अगर आपके अधिकारी जो गांवों में रहते हैं वे डुग्गी पिटवाकर जानकारी करा दें तो कोई नुकसान नहीं है और न खर्चा ही पड़ता है। केवल यह है कि जहां चकबन्दी करेंगे वहां का बच्चा-बच्चा डुग्गी पिटने से जान जायगा और वहां के लोग फिर नहीं कह सकते हैं कि हमको मालूम नहीं था। इसलिये जानकारी कराने के लिये यह जरूरी है। मंत्री जी चाहे पब्लिकेशन रखें या डिक्लेरेशन रखें हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जानकारी कराने के लिये डुग्गी अवश्य पिटवाई जाय। पहले डुग्गी पिटवाकर जानकारी करादें तब चकबन्दी करायें। इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है इसमें, कोई गूढ़ बात नहीं है और न कोई दूसरा इंटेंशन है।

***श्री हिम्मतसिंह**---माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन का एक ही मतलब है और वह यह है कि गांव वालों को भी जानकारी हो जाय कि यहां चकबन्दी होगी और उसका विज्ञापन हो गया है। गजट अधिकारी वर्ग के पास ही जायगा, किसान को उससे पता नहीं चलेगा। इस संशोधन से जो काश्तकार है, जो मारा-मारा कचहरियों में डोलता है, उस को भी पता चल जाय कि चकबन्दी होने जा रही है लिहाजा कचहरियों में नहीं जाना चाहिए। कमला सिंह जी ने जो संशोधन रखा है वह बहुत बढ़िया है, क्योंकि गांव का आदमी बेचारा वकीलों को पैसा देता है, वह भी बच जायगा। इसको (क) या (ख) में कहीं जोड़ दें ताकि गांव वालों को पता चल जाय कि अब हमको कचहरी नहीं जाना चाहिए, चकबन्दी शुरू होने जा रही है।

***श्री दयाराम शाक्य**---अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन द्वारा जैसा कि हिम्मत सिंह जी ने बताया सब पता चल जायगा और किसान अदालत में जाने से बच जायगा। एक बात मुझे और कहनी है। इससे अदालत का भी समय बचेगा। देखने में यह आता है, यह एक प्राब्लम हो गयी है, गलती से मुकदमे दायर हो जाते हैं, अदालत का पता नहीं है, जब ऐतराज आता है, गजट सामने लाया जाता है, तो मुकदमा स्थगित कर दिया जाता है। इस संशोधन से अदालत का समय भी बचेगा और सरकार का पैसा भी बचेगा। इसलिए यह संशोधन बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को मानने में कोई एतराज नहीं होगा।

***श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट**---माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन में न कोई लीगल डिफीकल्टी है, न पैसा ही खर्च होता है। सरकारी अधिकारी हैं, डुग्गी पीटने वाले भी हैं। उससे जनता को पता चल जायगा कि हमारे यहां चकबन्दी होने जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसको तो वह मान ही लें।

***श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव**---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान मौजूदा अधिनियम की धारा २ के खंड (८) की ओर दिलाऊंगा। उसमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव]

लिखा हुआ है कि डुग्गी द्वारा अनाउन्समेंट किया जायगा। "किसी लेख्य के सम्बन्ध में कटक में प्रकाशन" या 'कटक में प्रकाशित करना' का तात्पर्य डुग्गी पीट कर पूर्व सूचित दिनांक पर किसी कटक में उस लेख्य को पढ़ कर सुनाने तथा कटक में डुग्गी पीट कर अथवा अन्य किसी रूढ़िगत ढंग से इस तथ्य की घोषणा करने से है।" तो प्रकाशन होने के मानी हैं कि डुग्गी पीटकर प्रकाशन किया जायगा। इसलिये जब हम कहते हैं कि इसका प्रकाशन किया जायगा जैसा खंड ३ में प्रस्तावित धारा ४ में दिया है कि इस प्रकार की प्रत्येक विज्ञप्ति सरकारी गजट और उक्त क्षेत्र के प्रत्येक कटक में प्रकाशित की जायगी, तो उसका मतलब यह है कि डुग्गी पीटकर प्रकाशित की जायगी, इसलिए इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—माननीय मन्त्री जी, उसको देख लें, अगर उसमें है तो जैसे रीजनेबिल ढंग से वह चल रहे हैं, वैसे ही हम भी चलने को तैयार हैं, मैं उसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—मूल अधिनियम की धारा ६ में पार्श्व-शीर्षक तथा उपधारा (१) में आये हुए शब्द "प्रख्यापन" के स्थान पर शब्द "विज्ञप्ति" रख दिया जाये; और उपधारा (२) में आये हुए शब्द "प्रख्यापन रद्द कर दिया जाय" के स्थान पर शब्द "विज्ञप्ति रद्द कर दी जाय" रख दिये जायं।

श्री कमलासिंह यादव—माननीय मन्त्री जी इस को भी देख लें, अगर यह भी उसमें आ जाता है तो मैं इसे भी पेश नहीं करता हूं।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह भी उसमें है।

श्री कमलासिंह यादव—तो मैं पेश नहीं करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ७ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा ७ में शब्द "कटक की" तथा "चकबन्दी योजना" के बीच में शब्द "प्रारम्भिक" बढ़ा दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ८ का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

"८—(१) धारा ७ के अधीन नक्शों का पुनरीक्षण हो जाने पर जिला उप-संचालक चकबन्दी, आगे दिये हुए उपबन्धों के अधीन रहते हुए, और ऐसी रीति से जो नियत की जाय—

खसरा तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण संयुक्त जोतों के मूल्यों और अंशों का अवधारण।

(१) कटक के खसरे का, खेतवार पड़ताल के पश्चात् और चालू वार्षिक रजिस्टर का, उसके परीक्षण तथा उसकी जांच के पश्चात्, पुनरीक्षण करवायेगा;

(२) चकबन्दी समिति के परामर्श से—

(क) प्रत्येक गाटे का मूल्यांकन, उसकी उत्पादन-शक्ति और स्थिति पर और यदि सिंचाई की कोई सुविधाएं उपलब्ध हों तो उन पर भी विचार करने के पश्चात् करायेगा; और

(ख) गाटों के सभी पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्यांकन, उनका प्रतिकर आकलित करने के प्रयोजनार्थ करायेगा।

(३) यदि एक से अधिक स्वामी हों तो खंड (२) के उपखंड (ख) के अधीन अवधारित मूल्य में प्रत्येक स्वामी का, अंश निश्चित करवायेगा; और

(४) उचित चकबन्दी सुनिश्चित करने के निमित्त विभाजन करने के लिये संयुक्त जोतों में प्रत्येक खातेदार का अंश अवधारित करायेगा।

(२) जिला उप-संचालक, चकबन्दी कटक के अन्तर्गत आने वाले गाटों के सम्बन्ध में नियत आकार में, खसरा चकबन्दी तैयार करवायेगा और एक ऐसा विवरण भी तैयार करवायेगा, जिसमें वे अशुद्धियां तथा विवाद दिखाये जायेंगे जो वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण तथा उसकी जांच करते समय और खेतवार पड़ताल के दौरान में ज्ञात हुए हों।"

श्री शिवदान सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में मूल अधिनियम की धारा ८ (१) के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें :

"खसरे में नई पैमाइश के अनुसार प्रत्येक गाटे की लम्बाई चौड़ाई गट्ठों और कड़ियों में दर्ज की जायगी।"

[श्री शिवदानसिंह]

श्रीमन्, खेत की मेड़ के ऊपर किसानों में झगड़े आये दिन होते रहते हैं और इन झगड़ों में मामूली मारपीट नहीं होती, बड़ी संगीन फ़ौजदारियां हो जाती हैं और आदमी तक मारे जाते हैं। नतीजा यह होता है कि लम्बी लम्बी सजायें होती हैं, फांसी तक होती है और मुकदमे हाई कोर्ट तक जाते हैं। यहां तक होता है कि काश्तकार तबाह और बर्बाद हो जाता है एक मेड़ के मामले में और उस बीच में काश्तकार इतना परेशान रहता है कि वह खेत की तरफ तवज्जह भी नहीं दे सकता। इसलिए उसकी पैदावार भी कम हो जाती है और कभी-कभी तो किसान के खेत तक इस मुकदमेबाजी में बिक जाते हैं और किसान-किसान न रह कर मजदूर बन जाता है। इसलिए इसका रोकना बहुत जरूरी है और यह रोका जा सकता है, अगर इसके लिये कोई ऐसा तरीका निकाल दिया जाय। वह तरीका नापतौल का तरीका ही हो सकता है। उस नापतौल में यह जरूरी है कि हर गाटे की लम्बाई चौड़ाई, हर खेत की लम्बाई चौड़ाई दर्ज कर दी जाय। चकबन्दी में हर खेत की पड़ताल होती है, नक्शे और मौके का मुआयना होता है कि नक्शा मौके पर ठीक है या नहीं। तो उस वक्त यह करना जरूरी है। सन् १२८० फसली में जब पहला बन्दोबस्त हुआ था उस समय यह गट्ठे निश्चित किये गये थे और उसके बाद दो बन्दोबस्त और हुए उनमें गट्ठे नहीं लिखे गये। अब जब किसी को नकल लेनी होती है तो उसे तीनों बन्दोबस्त की नकल लेनी पड़ती है जिसमें बड़ा खर्चा होता है और बड़ी देर होती है। फिर भी मन्त्री महोदय देखेंगे कि सेक्शन २७ के अन्तर्गत चकबन्दी की जो एन्ट्रीज हैं वह कनफ्यूजिंग हैं। तो इसके लिये बड़ा जरूरी है और यह छोटा सा संशोधन मान लिया जाय। यह किसान के लिए बड़ा जरूरी है और जो मुकदमेबाजी और झगड़े होते हैं उस को रोकने के लिये भी जरूरी है कि हर गाटे की उसकी लम्बाई चौड़ाई गट्ठों में लिख दी जाय।

*श्री कमलासिंह यादव---श्रीमन्, जो संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत है वह प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य की सराहना करता हूं कि जिस विचार धारा और जिस भावना से उन्होंने सदन के सामने यह संशोधन पेश किया है वह बिलकुल सही है। हमारे जिले में मुझे प्रैक्टिकल तजुर्बा है और मैंने देखा है कि हमारे जिले की सैदपुर तहसील में आज भी कोई चक ऐसा नहीं है कि जिस चक का एरिया सही हो। अगर चक २ बीघा है तो वह मौके पर १।। बीघा ही होगा। इस तरीके की दिक्कत है। हर चक में कमी है। जब मैंने इस बात को अपने चकन्दी अधिकारियों से कहा तो यह बात कहा गई कि चूंकि बन्दोवस्त में जो रकबा है वह ठीक नहीं है तो इसलिये यह है कि नकशे में कुछ है और रकबे में कुछ दिखाया गया है। माननीय सदस्य ने जो सदन के सामने यह संशोधन रखा है उसका मतलब यह है कि जिस समय कोई कंसोलिडेटर मौके पर जाय वह इस बात को देखे कि जो किसान खेत जोतता है उस की लम्बाई और चौड़ाई क्या है। उनका मकसद यही है जब तक वह उस खेत को नापेगा नहीं तो उस को सही एरिया मालूम नहीं हो सकता कि कितना एरिया प्लाट का है और कितना एरिया वह कल्टीवेट करता है। उनका मंशा सिर्फ यह है कि कोई कंसोलिडेटर जो मौके पर जाय वह इस बात को देखे कि जितना प्लाट है और जिसको कोई किसान जोतता है उसका एरिया जितना खसरे में दर्ज है उतना मौके पर है या नहीं। उसके बाद अगर कोई डिफरेन्स है कागज से और मौके से तो उसको कागज में दुरुस्त किया जाय। मैं समझता हूं कि यह उनका मकसद-अच्छा है। अगर कोई अन्तर निकलता है तो उसके विषय में डाइरेक्टर मौके पर कंसोलिडेटर को हिदायत कर सकता है कि इस तरीके पर यह किया जाय ताकि खेत के विषय में कोई ग़लती न हो। चकबन्दी के अन्दर पहला काम हदबन्दी करना था कि कंसोलिडेटर मौके पर जाकर हदबन्दी करे। वह पहले ऐसा करता था कि असल जगह पर है या नहीं। उसके बाद डाइरेक्टर के यहां से दूसरा आदेश गया जिसमें यह कहा गया कि हदबन्दी की कोई जरूरत नहीं है, वैरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। नतीजा यह हुआ कि जब ट्रान्सफर करने का वक्त आया उस वक्त यह आदेश दिया गया कि फलां-फलां नम्बर तुमको दिया जाता है, लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसका रकबा जो था वही बतलाया। यह नहीं किया गया कि उसका रकबा सही है या नहीं। वह रकबा न नापने की वजह से आज गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में मैंने देखा कि एक भी चक ऐसा नहीं है कि जिसका रकबा पूरा हो। यह दिक्कत हम लोगों के सामने है और लोगों के सामने भी होगी।

मैं समझता हूं जो दिक्कत हमारे सामने आयी है जिसकी वजह से हमारे जिले के किसानों को परेशानी है उस को मन्त्री जी दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस विषय में अपने विभाग से कंसल्ट करें। हमारे यहां ये चक इतने बिगड़ी हालत में हैं जिनकी वजह से किसानों की हालत खराब है। आज एक चक १० एकड़ के स्थान पर ८ एकड़ से भी कम है। यह दिक्कत हमारे सामने है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इस दिक्कत को दूर करने के लिए कोई हल जरूर निकालें जिससे किसानों को राहत मिल सके।

*श्री हिम्मतसिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक नया प्रश्न हमारे सामने आ कर खड़ा हो गया है कि हम खेतों की पैमाइश करायें अथवा नहीं। इसके दो माने हैं। जिन चकों को हम बना कर देंगे उनकी भी पैमाइश होना जरूरी है। एक बात तो यह है कि हमने कह दिया कि यह खेत इतने-इतने हैं। अब वह इतने हैं या नहीं यह दूसरी बात है और उसे लेकर ही बाद में झगड़े होते हैं। तो अगर इस वक्त पैमाइश हो जाती है तो आगे के झगड़े वह बचा लेगी। इसके अलावा जो इस वक्त के खेत हैं उनकी भी पैमाइश जरूरी है। मेरे जिले में करीब सवा सौ साल से कोई पैमाइश नहीं हुई। उसके पहले हुई थी। अब चकबन्दी हो रही है और यह मौका है कि इस समय खेत नप सकते हैं। इसमें यह ठीक है कि देर लग सकती है, लेकिन इस काम में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिये। इसलिये मेरा सुझाव है कि पैमाइश कहीं न कहीं जरूर की जाय ताकि आगे मुकदमेबाजी न हो।

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बात साफ़ है और वह यह कि यह संशोधन अव्यावहारिक है और इसलिये इसे अधिनियम में लाना उचित न होगा। आप देखें कि खसरे में रकबा दिया होता है और उसके संबंध में जब कोई बाउण्डरी डिस्प्यूट हो तो मालगुजारी ऐक्ट में लिखा हुआ है कि उसका निर्णय किया जायगा मौजूदा सर्वे मैप के आधार पर। तो अगर कोई झगड़ा होता है तो उस आधार पर वह निर्णय किया जायगा। जब हम नया चक बनावेंगे तो उसके लिये यह प्राविजन अधिनियम में कर देना कि चक की लम्बाई चौड़ाई भी लिख दी जाय, उचित न होगा और उसे यहां रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई माननीय सदस्य बतलावेंगे कि कठिनाई होती है तो यह बात नियमों में रख दी जा सकती है, लेकिन इसमें यह रखना अव्यावहारिक होगा।

श्री कमलासिंह यादव---अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहां की चकबन्दी में जो खामी है उसे तो अवश्य माननीय मंत्री जी ठीक करवा दें।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---आप जब हमको बतलायेंगे तो हम और आप बैठ कर उस पर विचार कर लेंगे और उसे ठीक कर लिया जायगा।

श्री शिवदानसिंह---मंत्री जी के इस आश्वासन के बाद मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री भोखालाल---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ६ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ८ की उपधारा (२) की द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "आकार" के स्थान पर "आकार पत्र" रख दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भीखालाल]

मान्यवर, मेरा यह शाब्दिक संशोधन है जो भाषा को दुरुस्त करने के लिये है और यह काम वैसे कृष्णानन्द राय जी का था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसलिये मैं यह संशोधन कर रहा हूं। इसमें दिया हुआ है "जिला उप-संचालक चकबन्दी, कटक के अन्तर्गत आने वाले गाटों के सम्बन्ध में नियत आकार में, खसरा चकबन्दी तैयार करवायेगा..." तो आकार से मतलब लम्बाई चौड़ाई से है जहां तक मैं समझता हूं। माननीय मन्त्री जी का मतलब शायद आकार पत्र से है और उसे रख देने से भाषा दुरुस्त हो जायगी। इसी प्रकार अन्य धाराओं में भी है, उसे भी ठीक कर लेना चाहिये।

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे तो हिन्दी का ज्यादा ज्ञान नहीं है मगर अंग्रेजी के हिसाब स म यह समझता हूं कि आकार के माने फार्म के हैं। जो प्रिन्टेड फार्म होगा वह तो पत्र हो जायगा, अगर वह पत्र छपा हो किसी किताब में तभी वह फार्म माना जायगा। अगर हम रूल में यह छापें कि नक्शा या फार्म तो उसके माने यह पेपर के नहीं होंगे। आकार पत्र के माने यह प्रिन्टेड फार्म और मेरा मतलब यह है कि इस स्केल में होना चाहिए। इसको अंग्रेजी में फार्म कहते हैं। आकार पत्र लिखने से कोई माने पूरे नहीं होते हैं।

श्री भीखालाल---अगर आप की समझ में भाषा ठीक है तो मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५ १९५४ ई० में, नयी धारा ८-क का बढ़ाया जाना

७---मूल अधिनियम की धारा ८ के पश्चात् नयी धारा ८-क के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये :---

"८-क---(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति के सिद्धान्तों का परामर्श से, चकबन्दी क्रियाओं के अधीन प्रत्येक कटक के सम्बन्ध में एक विवरण (जिसे यहां आगे सिद्धान्तों का विवरण कहा गया है) नियत आकार में, तैयार करेगा जिसमें वे सिद्धान्त दिये हुए होंगे जिनका अनुसरण कटक में चकबन्दी-क्रियाओं के करने में किया जायेगा।

विवरण तैयार करना

(२) सिद्धान्तों के विवरण में निम्नलिखित बातें भी होंगी---

(क) उन क्षेत्रों के ब्योरे (जहां तक वे उस समय अवधारित किये जा सकें) जो आबादी के प्रसार (जिसके अन्तर्गत कटक के हरिजनों तथा भूमिहीन व्यक्तियों की आबादी के लिये क्षेत्र भी हैं) तथा ऐसे अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायं, विनिर्दिष्ट किये जायेंगे,

(ख) वह आधार जिस पर खातेदार आबादी के प्रसार और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि देंगे, और

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १, १९५१।

(ग) उस भूमि के ब्योरे जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११७ या ११७-क के अधीन गांव समाज या स्थानिक अधिकारिकी (स्थानीय प्राधिकारी) में निहित भूमि में से सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त विनिर्दिष्ट की जायेगी।"

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री भीखालाल——श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ७ में मूल अधिनियम में प्रस्तावित नयी धारा ८-क की उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (२) के रूप में रख दी जाय और प्रस्तावित उपधारा (२) की क्रम संख्या (२) के बजाय (३) कर दी जाय :——

"(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी उपरोक्त विवरण की तैयारी के लिये प्रत्येक कटक का कार्यक्रम बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा जिला नियोजन अधिकारी व अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग को भेजेगा जिनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने प्रतिनिधि भेज कर सहायक चकबन्दी अधिकारी को उपरोक्त विवरण में सार्वजनिक प्रयोजनों व सिंचाई सम्बन्धी क्षेत्र निश्चित करने में परामर्श व सहयोग दें।"

मान्यवर, जैसे मैंने वाद-विवाद के समय में कहा था कि जब सिद्धान्तों के विवरण चकबन्दी के कर्मचारी गांवों में तैयार करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी बातें विवरण में आने से छूट जाती है जिनका आना आवश्यक होता है । चकबन्दी के कर्मचारी आमतौर से सार्वजनिक प्रयोजनों का मतलब खलिहान या स्कूल की इमारत या गलियारा या खाद के गड्ढे, इसी किस्म के प्रयोजन के लिये जमीन छोड़ देता है, लेकिन गांवों में कुछ और भी सार्वजनिक प्रयोग के लिये जरूरी चीजें हैं जिससे कि चकबन्दी में सिद्धांतों के विवरण में स्थान नहीं मिलता । मेरा संशोधन रखने का मतलब यह है कि गांवों की प्रगति एक निश्चित योजना से हो। आप देखें कि वह ब्लाक के अन्दर मौजूद है। जहां पर ब्लाक के अधिकारियों ने गांव के पंचायत से और लोगों के परामर्श से तैयार किया है पाठशाला, पंचायतघर के लिये और सड़कों के लिए और एक गांव से दूसरे गांव को मिलाने के लिए सड़क के लिये स्थान हो, तो उसके लिये भी उनकी एक निश्चित योजना है जिसका ज्ञान चकबन्दी कर्मचारियों को नहीं होता है। जिस समय किसी गांव विशेष के सिद्धांतों का विवरण तैयार हो उस समय अगर प्लानिंग विभाग और ब्लाक के कोई प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहें तो उनको बता सकेंगे कि हमारी योजना यहां पर यह २ सार्वजनिक उपयोग के कार्य करने की है और उसमें इतनी-इतनी जमीन निश्चित करनी है। तब चकबन्दी कर्मचारियों के लिये यह मुमकिन होगा कि वह उन प्रयोजनों की जमीनों को छोड़ सकें। इसलिये हमने यह रखा है कि जब चकबन्दी का नक्शा तैयार हो और एक पूरा प्रोग्राम निश्चित किया जाय और जिले के नियोजन अधिकारी के पास भेजा जाय, उस संबंधित अधिकारी को सोचना चाहिए कि वह सिद्धांत और उनको परामर्श दें। चकबन्दी के दौर में यह देखा गया है कि नहरी सिंचाई और जो नालियां हैं वह आमतौर से बंद हो जाती हैं और चकों में एलाट कर दी जाती हैं। मैंने यह सवाल अपने जिले की कमेटियों में भी उठाया है। जो चकबन्दी अधिकारी उन कमेटियों में मौजूद थे उन्होंने भी यह कठिनाई सामने रखी । यह कठिनाई जरूर पड़ती है ।

जिस समय सिद्धान्तों का नक्शा बनता है वह भेज दिया करें तो अच्छा हो, लेकिन वह भेजते नहीं हैं । अगर आप इसमें यह संशोधन कर देते हैं तो वह प्रोग्राम उनके पास चला जाया करेगा और फिर उनके लिये यह अनिवार्य हो जायेगा कि वे उसको भेजें । चकबन्दी के कर्मचारी तो अपने आकार को देख कर चक बना देते हैं, लेकिन जब बाद को सिंचाई विभाग वाले अपनी गूल आदि बनाते हैं तो वह चक कट जाता है । वह तो पानी के बहाव और ढाल आदि के हिसाब से उसको बनाते हैं । तो अगर सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी उसमें रहें तो कोई दिक्कत नहीं पैदा होगी । उनका परामर्श मिल जायेगा कि कहां पर वे अपनी गूल आदि बनाना चाहते हैं। इसलिये उसका नियमों में कोई प्राविधान होना चाहिये । जब भी सिद्धान्तों का नक्शा तैयार हो तो दोनों विभागों के कर्मचारी उस समय मौजूद रहें । अगर माननीय मंत्री जी इसको मान लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ।

श्री मैनेजरसिंह——माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो माननीय भीखालाल जी ने पेश किया है उसको मैंने देखा है और उनकी एक एक बात से अपनी सहमति प्रकट करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मैनेजरसिंह]

जो भावनाएं उन्होंने व्यक्त की हैं उससे मैं सहमत हूं । मैं यह निवेदन करूंगा कि जब आप नियम बनायें तो उसमें इसका प्राविधान कर दें या कोई आदेश ऐसा दें कि जब स्टेटमेन्ट और प्रिंसिपिल बनाये जायें तो उसमें दोनों विभागों के कर्मचारी हों । ऐसा आश्वासन मंत्री जी दे दें तो ठीक रहेगा ।

(इस समय ४ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

(श्री हरिनाथ तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कमलासिंह यादव---यहां तो एक दूसरी भावना पैदा हो गई है, जो सही है उसको हम मान लेते हैं और उसको वापस ले लेते हैं । तो इसमें आप इन्टरफीयर न करें ।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट---यह जो संशोधन रखा गया है इसमें औचित्य है और इससे दोनों विभागों का कोआपरेशन और कोआर्डिनेशन भी मिल जायेगा । जब चक बन जाता है तो उसके बाद अगर गूल आदि बनती है तो वह चक कट जाता है और उससे दिक्कत पैदा हो जाती है । इसके मानने से दिक्कत नहीं होगी, मैं इसका समर्थन करता हूं ।

***श्री कमलासिंह यादव**---एक बात मैं कहना चाहता हूं । जहां तक इस संशोधन का संबंध है, यह प्रैक्टिकेबिल नहीं है । मैं यह सही बात कहना चाहता हूं । एक ही चीज प्रैक्टिकेबिल हो सकती है और वह यह कि जिस ग्राम में चकबन्दी हो वहां के बारे में वे सिंचाई विभाग से यह पूछ लें कि उनको कहां कहां नलकूप बनाने हैं, कहां नालियां खोदनी हैं आदि । जब वह डिमार्केशन हो जाये तो यह प्रैक्टिकेबिल हो जायेगा, अन्यथा नहीं । मैं इस डिफीकल्टी को जानता हूं, मैंने देखा है, छोटे-छोटे चक हैं और गूल बन जाने से वे दो चकों में बंट गये हैं और उनमें मुश्किल से जुताई आदि हो पाती है । मैंने कोशिश भी की, चकबन्दी विभाग के लोगों से बात की, लेकिन वे भी इस प्रैक्टिकल कठिनाई को बताते हैं । या तो सरकार मान ले कि उन्हीं गांवों में चकबन्दी होगी जहां सिंचाई का प्रबन्ध हो चुका है या गूल वगैरह का डिमार्केशन हो चुका है । तब तो यह होना चाहिये । लेकिन अगर सरकार यह तय नहीं करती है तो देर होगी, और यह भी मैं नहीं कह सकता कि कोई नलकूप किसी गांव में मिलेगा या नहीं । जब तक नलकूप और नालियां निश्चित रूप से न मालूम हो जायं तब तक हम कैसे इसे करें ? सिंचाई विभाग के इंजीनियर को जब तक यह पता नहीं होगा कि नलकूप गांव में लगेगा या नहीं, वह कैसे करेगा ? नियोजन के बारे में यह कहा जा सकता है कि नियोजन के आदमी को कनसल्ट कर सकते हैं । चकबन्दी विभाग के अधिकारियों ने जैसे चक काटे हैं मैंने स्वंय देखा है । अगर सिंचाई विभाग के ऊपर डाल देंगे तो चकबन्दी नहीं चल सकती है और समय की भी कमी नहीं होगी । भीखालाल जी ने कहा है कि मौजूदा गूलों का तो चकबन्दी वाले खुद ही लिहाज करेंगे कि गूल के एक ओर ही चक दिया जाय ।

***श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव**---२८-९-६१ को एक ७ सफे का सर्कयूलर हमने जारी किया, जिसमें लिखा है कि

"I have the honour to say that, as you are aware, the question of co-ordination during consolidation operations between the Planning, Irrigation and Consolidation Departments has been under consideration for some time. The matter has now been examined in all its aspects. The lines on which necessary action to secure such co-ordination has been taken, are indicated below."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अब इसमें यह दिक्कत हो सकती है कि अगर इसे हम अधिनियम का अंग बना दें और यह जरूरी और इम्पैरेटिव हो जाय और वे नहीं आते हैं, जैसा कि अभी भी बावजूद इन हिदायतों के होता है, तो हम आगे नहीं चल सकेंगे क्योंकि हमारी वह शर्त पूरी नहीं होगी। यदि और कोई बात हो और उसके रूल्स में रखने से काम चले तो वह करेंगे।

*श्री भीखालाल---अध्यक्ष महोदय, मेरी मंशा यह नहीं है कि काम में कोई रुकावट पड़े। मैं चाहता था कि व्यवहारिक दिक्कतों का किसी प्रकार निराकरण हो जाय। सरक्यूलर से हो जाय, या नियमों से हो जाय, तो मुझे खुशी है। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, सरक्यूलर जारी होने के बावजूद भी उसका पालन नहीं होता है। कई गांवों में मैंने देखा कि वहां प्रस्ताव है कि सन् ६४ में स्कूल बनेगा, लेकिन उसके लिये जगह नहीं छोड़ी गई है। चकबन्दी के अधिकारियों को मालूम नहीं है। यह ब्लाक के अधिकारी बतलावेंगे। अगर ऐक्ट में इसके रखने से कोई कठिनाई होती है तो अधिनियम में इसे स्थान न दिया जाय लेकिन इस कठिनाई को दूर करने के लिये जो सरक्यूलर जारी किया गया है उस पर जोर दिया जाना चाहिये। मेरा तो तात्पर्य ही है कि सार्वजनिक प्रयोग के लिये जो चीजें हैं, उनमें किसी प्रकार से कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मेरे क्षेत्र में ४ महीने पहले कब्जा ट्रान्सफर किया गया लेकिन वहां गूलें बन्द पड़ी हैं क्योंकि वे चकों में आ गयी हैं। इसकी वजह से रबी की बुवाई में भी रुकावट हुई है। इस दिक्कत को दूर करने के लिये आप कोई भी रास्ता अपनाइये, इसका निराकरण अवश्य होना चाहिये। अधिनियम के द्वारा, नियम के द्वारा अथवा सरक्यूलर के द्वारा जिस भी प्रकार से आप इस कठिनाई को दूर कर सकें, करने की कृपा करें। इसलिये अगर इस संशोधन से कोई वैधानिक रुकावट पड़ती है तो इसको वापस लिये लेता हूं लेकिन इसका निराकरण अवश्य हो जाना चाहिये।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---खंड ७ के संबंध में आखिर में एक संशोधन है उसकी वजह से मैं अर्ज करुंगा कि उसको यहां वापस ले लिया जाय।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---श्रीमन्, खंड ७ में मेरा एक संशोधन है।

श्री अध्यक्ष---आखिर में जो सामान्य संशोधन आया है, यह उससे कवर हो जाता है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

८---मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये---

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ९ का संशोधन

अभिलेखों तथा विवरणों के उद्धरण जारी करना और धारा ८ तथा ८-क में उल्लिखित अभिलेखों को प्रकाशित करना और आपत्तियां आमन्त्रित करने के लिये नोटिस जारी करना

"९---(१) धारा ८ तथा ८-क में उल्लिखित अभिलेखों तथा विवरणों के तैयार हो जाने पर, सहायक चकबन्दी अधिकारी---

(क) यदि कोई लिपिक अशुद्धियां हों तो उन्हें सही करेगा और संबद्ध खातेदारों तथा स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्तियों को नोटिस भेजेगा या भिजवायेगा जिनमें चालू वार्षिक रजिस्टर और अन्य ऐसे अभिलेखों के जो नियत किये जायें, सम्बद्ध उद्धरण होंगे और जिनसे निम्नलिखित बातें प्रकट हों---

(१) उनके भूमि में अधिकार और उस के संबंध में दायित्व ;

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(२) उसके सबंध में धारा ८ के अन्तर्गत पायी गयी अशुद्धियां और विवाद ;

(३) उचित चकबन्दी सुनिश्चित करने के निमित्त विभाजन आवश्यक होने पर उसके प्रयोजनार्थ संयुक्त जोतों में प्रत्येक खातेदार का विशिष्ट अंश ;

(४) गाटों का मूल्यांकन ; और

(५) पेड़ों, कुओं और अन्य समुन्नतियों का प्रतिकर आकलित करने के लिये उनका मूल्यांकन तथा यदि उनके एक से अधिक स्वामी हों, तो उसका अभिभाजन ;

(ख) चालू खसरा, और चालू वार्षिक रजिस्टर, खसरा चकबन्दी, धारा ८-क के अधीन तैयार किया गया सिद्धान्तों का विवरण तथा कोई अन्य अभिलेख, जो अन्य बातों के साथ-साथ खंड (क) में उल्लिखित अन्य ब्योरे दिखाने के लिये नियत किये जायें, कटक में प्रकाशित करेगा ।

(२) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (१) के अधीन नोटिस भेजा गया हो, या स्वत्व रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, नोटिस प्राप्त होने के या उपधारा (१)के अधीन प्रकाशन के, १५ दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है, जिनमें अभिलेखों या उसमें से लिये गये उद्धरण के इन्दराजों की शुद्धता अथवा उनके प्रकार के संबंध में, या सिद्धान्तों के विवरण के संबंध में, या विभाजन की आवश्यकता के संबंध में आपत्ति की गयी हो ।"

*श्री **हरिनाथतिवारी एडवोकेट**—श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है—

खंड ८ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (२) में '१५ दिन' के स्थान पर '३० दिन' रख दिया जाय ।

माननीय मंत्री जी, इस पर ज्यादा विवाद पसन्द नहीं करेंगे क्योंकि आप देखेंगे कि इस धारा में १२-बी, १३-सी,, १३-डी०, और १४ धाराओं को मिला दिया गया है । उनमें हर जगह २१-२१ दिन का समय दिया गया है । इस प्रकार से ८४ दिन का समय है, वह इस काराज से रखा गया था कि किसी के हक पर कुठाराघात न हो । इसलिये यह बहुत ही उचित होगा कि बजाय १५ दिन के कम से कम ८४ दिन के स्थान में ३० दिन तो रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी, क्या आप ८४ दिन के स्थान पर ३० दिन रखने की बात को मानते हैं ? इसे मान लीजिये ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—श्रीमन्, यहां यह कहा गया है कि जितने दिन चकबन्दी चलती है उतने दिन एक मुसीबत सी रहती है । और उसकी मिसाल दी गयी हैजे से, तो स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से मैं चाहता हूं कि एपेडेमिक बीमारी जितनी जल्दी खतम हो जाय उतना ही अच्छा है । इसलिये १५ दिन का जो समय दिया गया है काफी है ।

श्री हरिनाथतिवारी एडवोकेट—यह समय बहुत कम है ।

श्री मैनेजरसिंह—अगर माननीय मंत्री जी इसे हैजे की बीमारी मानते हैं तो हमारे सामने दिक्कत यह है कि अगर एक दिन में ज्यादा लोग मर जायेंगे तो उनकी दाह क्रिया भी हम नहीं कर पायेंगे । (हंसी)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (२) में "१५ दिन" के स्थान पर "३० दिन" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलासिंह यादव---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (२) में "१५ दिन" के स्थान पर "२१ दिन" कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---उसको तो आप स्वीकार कर लें ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---मुझे यह स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (२) में "१५ दिन" के स्थान पर "२१ दिन" कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ९

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० में नयी धारा ९-क, ९-ख तथा ९-ग का बढ़ाया जाना

९---मूल अधिनियम की धारा ९ के पश्चात् नयी धारा ९-क, ९-ख, तथा ९-ग, के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिये जायें :---

भूमि पर दावों तथा संयुक्त जोतों के विभाजन से संबंधित मामलों का निस्तारण

"९-क---(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी, उस दशा में---

(१) जब भूमि पर दावों या संयुक्त जोतों के विभाजन के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत की गयी हों तो सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात्, और

(२) जब ऐसी कोई आपत्तियां प्रस्तुत न की गयीं हों तो ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे,

अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षों में समझौता करा कर, जहां तक सम्भव हो, विवाद का निपटारा करेगा, अशुद्धियों को ठीक करेगा तथा विभाजन करेगा और ऐसे समझौते के आधार पर आज्ञाएं पारित करेगा ।

(२) सभी मामले जो उपधारा (१) के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा निस्तारित न किये गये हों, तथा गावों के मूल्यांकन से संबद्ध सभी मामले और वे सभी मामले जिनका संबंध पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का प्रतिकर आकलित करने के लिये उनके मूल्यांकन तथा यदि एक से अधिक स्वामी हों तो उसको सह-स्वामियों में अभिभाजित करने से हो, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा, चकबन्दी अधिकारी को भेजे जायेंगे, जो उनका निस्तारण नियत रीति से करेगा ।

(३) उपधारा (१) के अधीन कार्य करता हुआ सहायक चकबन्दी अधिकारी और उपधारा (२) के अधीन कार्य करता हुआ चकबन्दी अधिकारी, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के होते हुये भी, सक्षम न्यायलय माना जायगा ।

सिद्धान्तों के विवरण पर की गयी आपत्तियों का निस्तारण

९-ख---(१) जब धारा ९ के अधीन सिद्धान्तों के विवरण के विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत की गयी हों तो सहायक चकबन्दी अधिकारी सम्बद्ध पक्षों को सुनवायी का अवसर देने और चकबन्दी समिति के दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात, अपनी रिपोर्ट चकबन्दी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो आपत्तियों का निस्तारण नियत रीति से करेगा ।

(२) यदि सिद्धान्तों के विवरण के विरुद्ध, धारा ८ में नियत समय के भीतर, कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गयी हो, तो उसकी शुद्धता की परीक्षा करने की दृष्टि से चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी समिति को उचित सूचना देने के पश्चात, कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा और तत्पश्चात वह सिद्धान्तों के विवरण में ऐसे परिष्कार या परिवर्तन कर सकता है जो वह आवश्यक समझे ।

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उक्त आज्ञा के दिनांक से १५ दिन के भीतर, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिस का निर्णय, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा ।

(४) आपत्ति या अपील पर निर्णय देने से पहिले चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी सम्बद्ध पक्षों तथा चकबन्दी समिति को उचित पूर्व सूचना देने के पश्चात कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा ।

संयुक्त जोतों का विभाजन

९-ग---(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी, धारा ९-क के अधीन संयुक्त जोतों का विभाजन कर सकता है, भले ही १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदरी विनाश और भूमि-व्वयस्था अधिनियम की धारा १७८ में, या किसी अन्य विधि में, कोई विपरीत बात दी गयी हो, और वे उसका विभाजन स्वतः भी कर सकते हैं ।

(२) संयुक्त जोतों का विभाजन अंशों के आधार पर किया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है यदि सम्बद्ध खातेदार सहमत हों तो यह विभाजन विशिष्ट गाटों के आधार पर किया जा सकता है ।

श्री मैनेजरसिंह---श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९-क को निकाल दिया जाय । मैं बिल्कुल ही इस खंड के जोड़ने के खिलाफ रहा हूं । अभी चन्द मिनट पहले मुझे एक अधिकारी द्वारा बतलाया गया कि जो विवाद समझौते से तय होगा, उसके संबंध में ए० सी० ओ० को न्यायालय का अधिकार प्रदान किया जा रहा है । इससे मुझे कुछ राहत मिली । यदि यह भावना है कि समझौते के मामले में ही यह अधिकार दिया जा रहा है और उसे न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया है तो मैं अपने संशोधन को प्रेस नहीं कर रहा हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

***श्री कमलासिंह यादव**---श्रीमन् मेरा संशोधन यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की नयी धारा ९-ख के भाग (३) में "१५ दिन" के स्थान पर "३० " कर दिया जाय । श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि यहां भी "३०" की जगह "२१" कर दिया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की नयी धारा ९-ख के भाग (३) में "१५" के स्थान पर "२१" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री कमला सिंह यादव**---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हुं कि खंड ९ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की नयी धारा ९-ख के भाग (३) के अन्त में शब्द "जिसका निर्णय" से लेकर "अन्तिम होगा" तक निकाल दिये जांय।

***श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव**---जब धारा ४८ वाला संशोधन मान लिया जायगा जो आगे श्री बैजनार्थसिंह वैद्य ने दिया है, तो क्या उसके बाद भी यह रह जायगा ?

श्री बैजनार्थसिंह वैद्य---फिर यह नहीं रह जायगा।

श्री कमलासिंह यादव---धारा ४८ में अमेंडमेंट के बाद आपने एस० ओ० सी० के यहां अन्तिम रूप से रिवीजन की बात ओपेन शायद नहीं रखी है।

***श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव**---"धारा ४८(१) चकबन्दी संचालक, किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी मामले या की गई किसी कार्यवाही का अभिलेख उस कार्यवाही की नियमितता के विषय में, या उस मामले अथवा कार्यवाही में उस प्राधिकारी द्वारा दी गई किसी आज्ञा की शुद्धता, वैधता या औचित्य के विषय में, अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है और सम्बद्ध फरीकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस मामले या कार्यवाही में ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे"।

श्री अध्यक्ष---यह आप कहां से पढ़ रहें हैं ? वह तो रिवीजन के बारे में है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---उसमें फैक्टस भी आ जाते हैं। अन्तिम होने पर सेकन्ड अपील नहीं रिवीजन हो सकेगा, उसमे काफी पावर आ जाती है।

***श्री हरिनाथतिवारी एडवोकेट**---मंत्री जी हमारी प्रैक्टिकल दिक्कत को नहीं जानते इससे वहां तो केवल 'रिवीजन' का ही शब्द रहेगा और डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर यहां की बात पर, आश्वासन पर तो ध्यान नहीं देंगे। अगर वाकयात पर गौर करना है तो सेकेन्ड अपील कर दें। वह यहां से 'अन्तिम' हटा दें।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---अध्यक्ष महोदय, माननीय बैजनार्थसिंह के संशोधन के हिसाब से जिस तरह से कि धारा ४८ अब है उसमें है कि वह अपना समाधान कर सकते हैं और मंगाकर जांच कर सकते हैं।

श्री हरिनाथतिवारी एडवोकेट---वह कहेगा कि हमारा डिसक्रिशन है हम नहीं सुनते तो क्या होगा।

श्री कमलासिंह यादव---श्रीमन्, यहां पर राय का इत्तफाक है, लेकिन कोर्ट में तो बात और होगी, अपील के संबंध में अन्तिम होगा, यह हो जाय तो ठीक है।

श्री हरिनाथतिवारी एडवोकेट---'सब्जेक्ट टु सेक्शन ४८' कर दिया जाय यह मेरा सुझाव है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---वह नहीं हो सकता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---तो उस को छोड़िये, इसको वापस कर दिया जाय ?

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १०

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा १० का संशोधन

१०---मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:---

पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर तैयार करना और रखना

"१०---(१) वार्षिक रजिस्टर, धारा ९---क की उपधारा (१) और उपधारा (२) के अधीन दी गयी आज्ञा के आधार पर पुनरीक्षित किया जायेगा । तत्पश्चात् वह नियत आकार में तैयार किया जायेगा तथा कटक में प्रकाशित किया जायेगा ।

(२) जब उपधारा (१) के अधीन प्रकाशित वार्षिक रजिस्टर के किसी इन्दराज का इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन दी गयी आज्ञा के अनुसरण में, परिष्कार किया जाये तो उस आज्ञा का निर्देश और उसके प्रवर्ती भाग का उद्धरण उक्त इन्दराज के सामने दर्ज किया जायेगा ।"

***श्री भीखालाल**---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (१) की द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द व अंक "उपधारा (२)" व "के अधीन" के बीच शब्द व अंक "व धारा ११ की उपधारा (१)" रख दिये जायं ।

मान्यवर, इस संशोधन के रखने में मंशा यह है कि अधिनियम की धारा १० के मातहत जो वार्षिक रजिस्टर हैं वह पुनरीक्षित हो कर उनका प्रकाशन किया जाय । यह रजिस्टर धारा ८ के अन्दर तैयार किये जायंगे जिसके बाद फिर आपत्तियां इनवाइट की जायेगी और धारा ९ के मातहत उन आपत्तियों का सी० ओ० और ए० सी० ओ० फैसला करेंगे उन फैसलों के आधार पर वह रजिस्टर फिर से पुनरीक्षित किया जायगा और धारा १० के अधीन प्रकाशन किया जायगा गांव में । और इसी के साथ-साथ धारा ११ में जो धारा ९ के अधीन सी० ओ०, ए० सी० ओ० के फैसले हैं उनके खिलाफ अगर कोई काश्तकार अपील करना चाहता है तो एस० ओ० सी० को धारा ११ के अधीन अपील करेगा । मेरे संशोधन की मंशा यह है जो रिवीजन के कागजात गांव में प्रकाशित किये जायं तो सी० ओ०, ए० सी० ओ० के फैसले ही इनकारपोरेट न हों बल्कि एस० ओ० सी० का फैसला भी इनकारपोरेट हो जाय । उद्देश्य में कोई अन्तर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---धारा १० में तो रजिस्टर में सब दर्ज करना है । धारा ११ में अपील है तब तक धारा १० की कार्यवाही रुकी रहेगी । अतः इसको इस प्रकार कर दीजिये कि यदि धारा ११ में प्रस्तावित अपील के पश्चात् जो फैसला हो उसमें अंकित कर दिया जाय तो ठीक होता ।

श्री भीखालाल---धारा १० में प्रकाशन किया । जो हमारा संशोधन है उसके स्वीकार होने से यह हो जायगा कि धारा ११ की जब कार्यवाही हो जायगी उसके बाद प्रकाशन होगा ।

***श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव**---श्रीमन्, खंड १० इस प्रकार है :

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

"१०—(१) वार्षिक रजिस्टर, धारा ९-क की उपधारा (१) और उपधारा (२) के अधीन दी गयी आज्ञाओं के आधार पर पुनरीक्षित किया जायेगा। तत्पश्चात् वह नियत आकार में तैयार किया जायेगा तथा कटक में प्रकाशित किया जावेगा।

(२) जब उपधारा (१) के अधीन प्रकाशित वार्षिक रजिस्टर के किसी इन्दराज का इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन दी गई आज्ञा के अनुसरण में, परिष्कार किया जाये तो उस आज्ञा का निदश और उसके प्रवर्ती भाग का उद्धरण उक्त इन्दराज के सामने दर्ज किया जायेगा।"

इसके बाद क्या आवश्यकता रह जाती है।

श्री अध्यक्ष—तो यह तो आ जाता है।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय आध घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—सब राजी हैं। समय बढ़ गया।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

११—मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ११ का संशोधन

"११—(१) धारा ९-क के अधीन होने वाली कार्यवाहियों का कोई पक्ष, जो उस धारा के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, उस आज्ञा के दिनांक से १५ दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। उक्त अधिकारी सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर अपना निर्णय देगा, जो कि, इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

अपील

(२) उपधारा (१) के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, सक्षम न्यायालय समझा जायेगा, भले ही तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि में कोई विपरीत बात दी हो।"

श्री कमलासिंह यादव—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के उपखंड (१) के अन्त के शब्द "जो कि इस अधिनियम" से ले कर "की जा सकेगी" तक निकाल दिये जायं। अब श्रीमन्, "आपत्ति" की जगह अपील हो जाता तो कोई एतराज नहीं था लेकिन अगर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी तो यह तो बिलकुल फायनल हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—"उस पर अपना निर्णय देगा, जो निर्णय, इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की गई व्यवस्था को छोड़ कर अन्तिम होगा" इसका मतलब यह है कि अपील हो सकती है तो अपील होगी और रिवीजन हो सकता है तो रिवीजन होगा लेकिन सिविल कोर्ट में रिवीजन नहीं होगा। यही मतलब है न?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव––जी हां, यही मतलब है ।

श्री कमलासिंह यादव––विधि में यह तो नहीं होगा कि हाई कोर्ट में रिट भी न हो सके ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव––रिट का अधिकार नहीं छीना जा सकता चाहे कितने भी ऐक्ट्स हम पास कर दें ।

श्री कमलासिंह यादव––तो फिर मैं वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री मैनेजरसिंह––अध्यक्ष महोदय, इसमें संशोधन रह गया है तो उसको भी कर लिया जाय ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव––मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि खंड ११ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ११ की उपधारा (१) की पंक्ति ४ में संख्या '१५' के स्थान पर संख्या '२१' रख दी जाय ।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ११ में मूल अधिनिमम की प्रस्तावित धारा ११ की उपधारा (१) की पंक्ति ४ में संख्या '१५' के स्थान पर संख्या '२१' रख दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १२

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ११–क का संशोधन

१२––मूल अधिनियम की धारा ११–क के स्थान पर निम्नलिखित लिख दिया जाये:––

"११-क––चकबन्दी क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध आपत्तियों पर रोक में किसी भी ऐसे प्रश्न को, जो धारा ९ के अधीन उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिये था, परन्तु उठाया नहीं गया हो, चकबन्दी कार्यवाहियों की किसी वाद की अवस्था में न तो उठाया जायेगा और न उसकी सुनवायी की जायेगी :––

(१) भूमि को दावे,

(२) संयुक्त जोतों का विभाजन, और

(३) यदि प्रश्न १० के अधीन वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित गाटे के खातेदार या पेड़, या कुंआ अन्य समुन्नतियों के स्वामी द्वारा उठाया जाये, तो गाटों, पेड़ों , कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्यांकन ।"

***श्री कमलासिंह यादव**––मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :––

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम की कालावधि बीत जाने के पश्चात् भी सम्बन्धित अधिकारी इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में विपरीत बात के होते हुए भी गृहीत हो सकती है यदि आपत्तिकर्त्ता या अपीलकर्त्ता सम्बद्ध अधिकारी को सन्तुष्ट कर दें कि यदि आपत्ति या अपील गृहीत न होगी तो उसके साथ अन्याय होने की सम्भावना है ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मतलब यह है कि जल्दबाजी में हम यह विधेयक पास कर रहे हैं और हम यह चाहते हैं कि चकबन्दी में जल्दी से जल्दी काम हो जाय। साथ में यह भी रख दें कि वह आदमी किसी से अपना आबजेक्शन न कर सका हो, या अपनी बात न रख सका हो, अपने हक की मांग न कर सका हो तो उसके लिये एक रास्ता खुला रहे। चकबन्दी अधिकारियों के खिलाफ यह चीज नहीं है। उनको तो हम पावर दे रहे हैं। वह सेटिसफाई हो जायं कि जो रीजन वह शख्स दे रहा है वह सही है और उससे उसको क्षति पहुंचती है तो....

श्री अध्यक्ष---इसका मतलब यह होगा कि सारा क्वेश्चन ओपेन हो जायगा।

***श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव**---मैंने सुबह बतलाया था कि धारा ५३ का प्राविजो मूल अधिनियम उसमें यह है--

"The provisions of section 5 of the Indian Limitation Act shall apply to applications, appeals, revisions and other proceedings under this Act or the rules made thereunder." तो यह अधिकार तो दिया हुआ है। उसके बाद इसकी कोई आवश्यकता तो रह नहीं जाती।

***श्री कमलासिंह यादव**---श्रीमन्, मैंने देखा है कि एक खाते के अन्दर दस आदमियों के नाम हैं। दो के ऊपर नोटिस भी सर्व नहीं हुई और फाइनल आर्डर्स हो गये क्योंकि आप जानते हैं कि जितने लोग होते हैं हर एक को नोटिस नहीं भेजी जाती बाहर वाले के भाई वगैरह को बता दिया जाता है। और कभी कभी यह भी होता है कि वह आदमी जो कि बाहर है उसका ऐडवर्स इंटरेस्ट उसके दूसरे भाई से है तो उस हालत में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो श्रीमन् ने जो रस जुडिकेटा कहा, मैं चाहता हूं कि यह रहे, लेकिन उस आदमी का आप क्या करेंगे जिसके ऊपर नोटिस सर्व नहीं हुआ और उसे जानकारी भी नहीं है। तो ऐसे आदमियों के अधिकारों की रक्षा के लिये यह रखा गया है। ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट हो जायगा, लेकिन एक रास्ता तो खुला रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---यह बहुत वाइड है।

श्री कमलासिंह यादव---आप आखिरी शब्द देख लें, मैंने लिखा है कि "यदि आपत्ति या अपील गृहीत न होगी तो उसके साथ अन्याय होने की सम्भावना है"। यह थोड़ा सा मैंने जोड़ दिया है।

श्री अध्यक्ष---यह थोड़ा सा तो ऐसा है जिससे सारा मामला ओपेन हो जाता है।

श्री कमलासिंह यादव---आप सेकेंड अपील का हक ले रहे हैं, जल्दी में काम कर रहे हैं, अगर किसी का हक खत्म हो गया तो वह तो पुश्त दर पुश्त के लिये चला जायगा। लिमिटेशन ऐक्ट जहां तक मंत्री महोदय ने पढ़ कर सुनाया वह तो और वाइड है, हम तो उसको कन्फाइन कर रहे हैं।

***श्री दयाराम शाक्य**---जैसा कि अभी कहा गया कि एक नयी बात होगी और सारा मामला पुनः खुल जायगा परन्तु जो मौजूदा ऐक्ट है उसमें यह प्राविजन दिया हुआ है और इस संशोधन द्वारा उस अधिकार को छीना जा रहा है। तो जो संशोधन कमलासिंह जी ने रखा है उसके द्वारा वे केवल उसी अधिकार को रखना चाहते हैं जो मौजूदा ऐक्ट में है, कोई नयी बात नहीं रखने जा रहे हैं। सेक्शन २२ जो हटाया गया है उसी को रखना चाहते हैं और जरा सी बात और बढ़ा रहे हैं।

श्री मैनेजरसिंह---श्रीमन्, एक ही सवाल है कि माननीय कमलासिंह जी का संशोधन है और सेक्शन २२ डिलीट होने के लिये आया है। माननीय तिवारी जी बतला रहे हैं कि ५३ में वैसी व्यवस्था है। यह बतला दीजिये कि वैसी व्यवस्था है या नहीं। यदि है, तो हम लोग जिद्द नहीं करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ दिक्कत है माननीय मंत्री जी को इस समय वह यह है कि उनका मन्तव्य केवल इतना है कि चकबन्दी जल्दी समाप्त हो जाय। लेकिन आपको क्या परेशानी है कि चकबन्दी के बाद भी आप क्यों हक छीन रहे हैं। आप इस चीज को हमेशा के लिये समाप्त कर देना चाहते हैं। १५ दिन के नोटिस के बिना आप खत्म कर देना चाहते हैं। आप बताइयें कि बाद के लिये कौन सा प्रावीजन है।

श्री अध्यक्ष---माननीय हरिनाथ जी, मैं पढ़कर सुनाये देता हूं। वह इस प्रकार है कि---

"No question in respect of land lying in a consolidation area, which might and ought to have been raised under section 9 but has not been raised, shall be raisded or heared at any future stage of the consolidation proceedings." उसके स्थान पर यह रख रहे हैं। वह तो जो था उसको क्लीअर कर रहे हैं, जहां तक मैं समझा हूं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---श्रीमन्, वह तो भूमि के द्वारा या संयुक्त जोत के द्वारा यह नहीं था, इतना ही एड किया है और यह कह दिया कि बिलकुल समाप्त हो जायगा। हम कहते हैं कि जहां तक टाइटिल का प्रश्न है, एडौप्शन का प्रश्न है या गिफ्ट का प्रश्न है या सेल का प्रश्न है। आप पहले अपनी चकबन्दी कर लें फिर किसी के राइट को क्यों खत्म कर रहे हैं। हम आब्जेक्शन नहीं कर सकते इस हक को आप क्यों छीन रहे हैं। इस धारा से यह मालूम होता है कि आप आगे के राइट को खत्म कर देते हैं। आपकी दिक्कत तो यह है कि चकबन्दी जल्दी खत्म कर दी जाय, ठीक है कर दीजिये। मूल ऐक्ट की दफा ५३ में अंडर दिस ऐक्ट रखा है।

कुंवर श्रीपालसिंह---अध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम की धारा ५३-बी तो हमें और ज्यादा अधिकार देती है। उसे हटा नहीं रहे हैं। यह तो लिमिट करती है, लेकिन वह अनलिमिटेड है।

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---अध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम की धारा ५३-बी है उसमें जो अधिकार दिया हुआ है वह सैक्शन ५ का है। उसमें यह कि सफीशेंट काज हो और प्रिजूडिस हो। जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। इसमें दोनों चीजें जरूरी हो जाती हैं। यह तो वाइडर है इसलिये आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---श्रीमन्, हम चाहते हैं कि प्रोसीडिंग्स में भले ही रख लें लेकिन बाद में क्यों रख रहे हैं। यह बात हमारी समझ में नहीं आती है।

श्री कमलासिंह यादव---मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३-१७

१३---मूल अधिनियम की धारा ११-ख निकाल दी जाये।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ११-ख का निकाला जाना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१४---मूल अधिनियम की धारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये---

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा १२ का संशोधन

पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित अधिकारों अथवा स्वत्वों पर प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों तथा व्यवहारों से संबद्ध मामलों का निर्णय

"१२---(१) धारा १० की उपधारा (१) के अधीन प्रकाशित पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित किन्हीं अधिकारों या स्वत्वों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों तथा व्यवहारों से सम्बद्ध समस्त मामले, जिनके लिए वाद-कारण तब विद्यमान नहीं था जब धारा ७ से ९ तक की कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी थीं अथवा चल रही थीं, उसके उत्पन्न होने पर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष उठाये जा सकते हैं, किन्तु धारा ५२ अथवा धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् नहीं।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन कोई मामला उठाया जाये, तो उसकी सुनवाई तथा निर्णय पर धारा ७ से ११ तक के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह उपर्युक्त धाराओं के अधीन उठाया गया मामला हो।"

१५---मूल अधिनियम की धारा १२-क की उपधारा (१) के खण्ड (क) में से शब्द तथा अंक "की धारा ७ से ११ तक और धारा १२" निकाल दिये जायें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा १२ की उपधारा (१) का संशोधन

१६---मूल अधिनियम की धारा १२-ख तथा १२-ग निकाल दी जायें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा १२-ख और १२-ग का निकाला जाना

१७---मूल अधिनियम की धारा १२-घ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :---

जोतों का संयोजन

"१२-घ---धारा १० की उपधारा (१) के अधीन पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशित होने के पूर्व दो या अधिक खातेदार किसी भी समय चकबन्दी अधिकारी को समान भौमिक अधिकारों वाली अपनी जोतों को ऐसी शर्तों पर, जो उनमें आपस में तय हों, संयोजित करने के निमित्त प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं। यदि प्रस्तावित संयोजन चकबन्दी के हित में में हो तो चकबन्दी अधिकारी उसे कार्यान्वित करेगा।"

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १३, १४, १५, १६, और १७ इस विधेयक के अंग माने जांयं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा १३-क, १३-ख, १३-ग, १३-घ, १४, १६, १७ और १८ का निकाला जाना

१८--मूल अधिनियम की धारा १३-क, १३-ख, १३-ग, १३-घ, १४, १६, १७ तथा १८ निकाल दी जायें ।

(श्री कृष्णानन्दराय के खड़े होकर एजेन्डे में संशोधन ढूंढने पर)

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--यह संशोधन मैं स्वीकार करता हूं ।

एक सदस्य--वह पेश नहीं कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--विधेयक के खंड १८ में शब्द "मूल अधिनियम की धारा" तथा अंक "१३-क" के बीच में अंक "१३" बढ़ा दिया जाय।" इतना ही तो पढ़ना है। यह उनको स्वीकार है ।

श्री दयाराम शाक्य--उन्होंने रखा ही नहीं। स्वीकार होने की बात ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष--पढ़ा हुआ है प्रश्न यह है कि खंड १८ में शब्द "मूल अधिनियम की धारा" तथा अंक "१३-क" के बीच में अंक "१३" बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड १९

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा १९ का संशोधन

१९--मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :--

"१९--(१) चकबन्दी योजना निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगी, अर्थात्--

चकबन्दी योजना द्वारा शर्तों का पूरा किया जाना

(क) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये दिये गये अंशदानों के कारण की गयी कटौतियों यदि कोई हों, के अधीन रहते हुये, खातेदार के अधिकार तथा दायित्व, जैसे कि वे धारा १० के अधीन तैयार किये गये वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित हों, उसे (खातेदार को) प्रदिष्ट भूमियों में सुरक्षित रहें,

(ख) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये दिये गये अंशदानों के कारण की गयी कटौतियों, (यदि कोई हों) के अधीन रहते हुये, खातेदार को प्रदिष्ट गाटों का मूल्यांकन उसके द्वारा मूलतः धृत गाटों के मूल्यांकन के बराबर हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय उस दशा के जब चकबन्दी संचालक ने तदर्थ अनुज्ञा दे दी हो, खातेदार को प्रदिष्ट जोत या जोतों के क्षेत्रफल और उसकी मूल जोत या जोतों के क्षेत्रफल का अन्तर उपरोक्त क्षेत्रफल के २५ प्रतिशत से अधिक न होगा।

(ग) इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित प्रतिकर नीचे लिखे अनुसार दिया जाये—

(१) खातेदार को—

(i) उन पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के लिये जो उसके द्वारा मूलतः अधिकृत थे और जो दूसरे खातेदार को प्रदिष्ट कर दिये गये हों, और

(ii) सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उसके द्वारा दी गयी भूमि के लिये ;

(२) यथास्थिति, गांव समाज या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को, ऐसी समुन्नति के लिये, यदि कोई हो, जो उसने उस भूमि पर की हो जो उसकी हो और किसी खातेदार को प्रदिष्ट कर दी गयी हो ;

(घ) सिद्धान्तों के विवरण में दिये गये सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाये ;

(ङ) प्रत्येक खातेदार को, यथासम्भव, उस स्थान पर जहां उसके पास अपनी जोत का सबसे बड़ा भाग हो, संहत क्षेत्र प्रदिष्ट जाये :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उप-संचालक, चकबन्दी के लिखित अनुमोदन के बिना किसी खातेदार को तीन से अधिक चक प्रदिष्ट नहीं किये जा सकते :

प्रतिबन्ध यह भी है कि की गयी कोई भी चकबन्दी केवल इसलिये अवैध न मानी जायेगी कि किसी खातेदार को प्रदिष्ट चक तीन से अधिक हैं;

(च) प्रत्येक खातेदार को, यथासम्भव, वह गाटा प्रदिष्ट किया जाये, जिसमें उसका सिंचाई का निजी साधन अथवा अन्य कोई समुन्नति विद्यमान हो और साथ में उसके निकट का ऐसा क्षेत्र प्रदिष्ट किया जाये जिसका मूल्यांकन लगभग उतना ही हो जितना कि वहां पर उसके द्वारा मूलतः धृत गाटों का था; और

(छ) प्रत्येक खातेदार को, यथासम्भव, समकोण-निर्माण कटकों (rectangulaton units) में समकोण-निर्माण की प्रक्रिया के अनुकूल चक प्रदिष्ट किये जांय ।

(२) कोई भी चकबन्दी योजना, धारा २३ के अधीन उसे अन्तिम रूप दिये जाने के पूर्व, धारा १९-क के उपबन्धों के अनुसार प्रारम्भिक रूप से तैयार की जायगी ।"

श्री हिम्मतसिंह—खंड १९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १९ (१) में जहां प्रतिबन्ध में '२५' आया है उसके स्थान पर '२०' रख दिया जाय ऐसा मेरा संशोधन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे केवल एक ही प्रश्न है कि ओरिजनल खाते में १०० में २५ बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। कारण यह है कि २५ अधिक है। इस लिये मैंने २० रखा है। उसको मान लें तो अच्छा है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—२० में काम नहीं चल सकता है।

श्री मैनेजर सिंह---इसको मान लें। इससे पक्षपात कम हो जायगा।

श्री दयाराम शाक्य---इसमें मंशा यह है कि अधिकांश यह होता है भूमियों का मूल्यांकन करते समय एक भूमि का मूल्य ज्यादा लगा दिया जाता है दूसरी भूमि का मूल्य कम लगाया जाता है। नतीजा यह होता है कि जितनी जमीन होती है उससे ज्यादा जमीन मिल जाती है और अच्छी जमीन मिल जाती है। ऐसा होगा तो मूल जोत ही लोगों को अलाट की जायगी। इसलिये अन्तर कम रहे तो ज्यादा अच्छा है। इसको स्वीकार करने से लाभ होगा।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---इसमें परेशानी है इसलिये नहीं मानता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १९ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १९ (१) में जहां प्रतिबन्ध में "२५" आया है उसके स्थान पर "२०" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २०--२२

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० में नयी धारा १९-क का बढ़ाया जाना

२०---मूल अधिनियम की धारा १९ के पश्चात् नयी धारा १९-क के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये :---

"१९-क---(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी समिति के परामर्श सहायक चकबन्दी से, नियत आकार में, कटक के लिये एक अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक चकबन्दी योजना तैयार करेगा।

चकबन्दी योजना का तैयार किया जाना

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१

(२) इस अधिनियम में या १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, सहायक चकबन्दी अधिकारी के लिये, जहां उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर हो, यह विधि-संगत होगा कि वह मूल्यांकन करने के पश्चात् कोई भी भूमि, जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११७ या ११७-क के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति के फलस्वरूप गांव समाज या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित हों, किसी भी खातेदार की प्रदिष्ट करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी कोई भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये प्रयुक्त की जाती हो, तो वह भूमि सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में यह प्रख्यापन करने के पश्चात् ही प्रदिष्ट की जायेगी कि सार्वजनिक तथा समस्त व्यक्ति-विशेषों के उस भूमि में या उस पर अधिकारों को किसी अन्य भूमि में जो प्रख्यापन में निर्दिष्ट हो और जो उक्त प्रयोजन के लिये प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में विनिर्दिष्ट हो, संक्रमित करने का प्रस्ताव है।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा २१ का संशोधन

२१---मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :---

प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का प्रकाशित किया जाना और उसके संबंध में आपत्तियां प्राप्त करना

"२०---(१) प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के तैयार हो जाने पर, सहायक चकबन्दी अधिकारी, सम्बद्ध खातेदारों और स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को नोटिस भेजेगा या भिजवायेगा जिनमें उक्त योजना से लिये गये सम्बद्ध उद्धरण दिये होंगे। तत्पश्चात् प्रारम्भिक चकबन्दी योजना कटक में प्रकाशित की जायेगी।

(२) धारा ११-क में दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (१) के अधीन नोटिस भेजा गया हो, और प्रारम्भिक चकबन्दी योजना से प्रभावित कोई अन्य व्यक्ति, जो प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के इन्दराजों या उससे लिये गये उद्धरणों के औचित्य या शुद्धता पर आपत्ति करे, यथास्थिति नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से या प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के प्रकाशन के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

(३) कोई भी प्रभावित व्यक्ति अथवा कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी सार्वजनिक भूमि में या उस पर सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के अतिरिक्त कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो, या ऐसा अन्य स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो जिस पर धारा १९-क की उपधारा (२) के अधीन किये गये प्रख्यापन से तत्वत: प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के प्रकाशित होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी के समक्ष, यह बताते हुये अपील प्रस्तुत कर सकता है कि उक्त स्वत्व या अधिकार किस प्रकार का है ।"

२२—मूल अधिनियम की धारा २१ में—

(१) उपधारा (२) में अंक "२१" के स्थान पर अंक "१५" रख दिये जायें ;

(२) उपधारा (३) तथा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा २० का संशोधन

"(३) आपत्तियां निर्णीत करने से पहले चकबन्दी अधिकारी संबद्ध पक्षों तथा चकबन्दी समिति को नोटिस देने के पश्चात् विवादग्रस्त गाटों का स्थानीय निरीक्षण करेगा तथा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी भी अपील निर्णीत करने से पहले ऐसा कर सकता है ।

प्रारम्भिक चकबन्दी योजना पर की गयी आपत्तियों का निस्तारण

(४) यदि किसी आपत्ति के निस्तारण अथवा अपील की सुनवाई के दौरान में, यथास्थिति, चकबन्दी अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी की यह राय हो कि, यथास्थिति, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा तैयार की गयी या बाद में चकबन्दी अधिकारी द्वारा परिष्कृत की गयी प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के कार्यान्वय से बहुत से खातेदारों के साथ सारत: अन्याय होने की संभावना है, और प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का पुनरीक्षण किये बिना अथवा नयी प्रारम्भिक चकबन्दी योजना तैयार किये बिना कटकों के खातेदारों को भूमि का ठीक और उचित प्रदेशन संभव नहीं है, तो उन कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा,

(१) चकबन्दी अधिकारी के लिये यह वैध होगा कि वह सम्बद्ध खातेदारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का पुनरीक्षण करे अथवा उसे ऐसे निदेशों सहित, जिन्हें चकबन्दी अधिकारी आवश्यक समझें, सहायक चकबन्दी अधिकारी को वापस कर दे ; और

(२) बन्दोस्बत अधिकारी चकबन्दी के लिये यह वैध होगा कि वह सम्बद्ध खातेदारों की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का पुनरीक्षण करे अथवा उसे सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारों को, जैसा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी उचित समझें, ऐसे निदेशों के साथ वापस कर दे जिन्हें वह आवश्यक समझे ।" ; और

(३) उपधारा (५) तथा (६) निकाल दी जायें ;

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २०, २१ और २२ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २३—२६

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा २२ का निकाला जाना

२३—मूल अधिनियम की धारा २२ निकाल दी जाये ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा २३ का संशोधन

२४—मूल अधिनियम की धारा २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

प्रारम्भिक चकबन्दी योजना की पुष्टि तथा प्रदेशन आज्ञाओं का जारी किया जाना

" २३—(१) (क) यदि धारा २० में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत न की गयी हों ; या

(ख) यदि उक्त आपत्तियां प्रस्तुत की गयी हों, तो ऐसे परिष्कारों या परिवर्तनों के पश्चात् जो धारा २१ की उपधारा (१) से (४) तक के अधीन दी गयी आज्ञाओं को दृष्टि में रखते हुये आवश्यक हों; बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, प्रारम्भिक चकबन्दी योजना की पुष्टि करेगा ।

(२) इस प्रकार पुष्टीकृत प्रारम्भिक चकबन्दी योजना कटक में प्रकाशित की जायेगी तथा, इस अधिनियम में अथवा इसके अधीन की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, अंतिम होगी ।

(३) (१) यदि धारा १९–क के अधीन किये गये प्रदेशनों को धारा २१ के अधीन परिष्कृत न किया जाये और उपधारा (१) के अधीन उनकी पुष्टि कर दी जाये, तो धारा २० के अधीन जारी किये गये नोटिस में दिये गये उद्धरणों को संबंध खातेदारों के लिये अंतिम प्रदेशन-आज्ञाएं समझा जायेगा ।

(२) खंड (१) के अधीन न आने वाले मामलों में पुनरीक्षित उद्धरण, जिनमें उपधारा (१) के अधीन यथा पुष्टीकृत परिष्कृत प्रदेशन उल्लिखित होंगे—

(क) यदि प्रदेशन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा परिष्कृत न किये गये हों, तो चकबन्दी अधिकारी द्वारा ; और

(ख) यदि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने प्रदेशनों का परिष्कार किया हो, तो उसके द्वारा,

जारी किये जायेंगे, और वे संबंध खातेदारों के लिये अंतिम प्रदेशन आज्ञाएं होंगे ।"

२५--मूल अधिनियम की धारा २४ में--

(१) उपधारा (१) में शब्द "चकबन्दी योजना" के स्थान पर शब्द "अंतिम चकबन्दी योजना" रख दिये जायें, और

(२) उपधारा (२) में शब्द " चकबन्दी की योजना" के स्थान पर शब्द " अंतिम चकबन्दी योजना" रख दिये जायें, तथा अन्त में शब्द " और देगा" बढ़ा दिये जायें ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा २४ का संशोधन

२६--मूल अधिनियम की धारा २७ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :--

"(१) अंतिम चकबन्दी योजना के प्रचलित होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, जिला उपसंचालक चकबन्दी, धारा ७ के अधीन यथासंशोधित, नक्शों, खसरा चकबन्दी तथा धारा १० के अधीन तैयार किये गये वार्षिक रजिस्टर के इन्दराजों और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अंतिम रूप से दी गयी तथा जारी की गयी प्रदेशन आज्ञाओं के आधार पर प्रत्येक गांव के लिये चकबन्दी क्षेत्र का नया नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख तैयार करायेगा । उक्त नक्शों और अभिलेखों को तैयार करने में यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू, ऐक्ट, १९०१ के उपबन्धों का, ऐसे परिष्कारों तथा परिवर्तनों के अधीन रहते हुये, जो नियत किये जायें, अनुसरण किया जायेगा ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५ १९५४ ई० की धारा २७ की उपधारा (१) का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३,१९०१

श्री मैनेजरसिंह--अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मूल अधिनियम की धारा ५३ में दिया गया है, यदि वह अधिकार वहां है तो मैं इसको प्रेस नहीं करूंगा ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २३, २४, २५, तथा २६ इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २७-३८

२७--मूल अधिनियम की धारा २८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :--

"२८--(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी, ऐसे खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति के प्रार्थना-पत्र पर, जिसे अंतिम चकबन्दी योजना के अन्तर्गत चक या भूमियां प्रदिष्ट की गयी हों, उस दिनांक के, जब उक्त योजना प्रचलित हुई हो, छः मास के भीतर, प्रार्थी को प्रदृष्टि चक या भूमि का वास्तविक कब्जा, उसे दिलायेगा और ऐसा करने में उसे वे सभी अधिकार जिनमें अवमान, प्रतिरोध तथा ऐसी ही अन्य बातों के संबंध में अधिकार भी हैं, प्राप्त होंगे जिनका प्रयोग अचल सम्पत्ति पर कब्जा दिलाने की डिक्री के निष्पादन में दीवानी न्यायालय कर सकते हैं--

कब्जा दिलाना

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि सहायक चकबन्दी अधिकारी उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, यह निर्णय न करे कि फसल पर भी

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा २८ का संशोधन

कब्जा दिलाया जायेगा, उपर्युक्त प्रकार से कब्जे का दिलाया जाना उस व्यक्ति के, जिससे कब्जा संक्रामित किया गया हो, कब्जा दिलाने के दिनांक पर उक्त चक या भूमियों या उनके भाग पर खड़ी फसलों को पालने-पोषने और उन्हें एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब कोई व्यक्ति प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अनुसार खड़ी फसलों का पालन-पोषण करे तथा उन्हें एकत्र करे तो वह उस व्यक्ति को, जिसे चक या भूमियां प्रदिष्ट की गयी हों, भूमि के प्रयोग के लिये ऐसी दर पर और ऐसी रीति से प्रतिकर देगा जो नियत की जाये ।

(२) जिस दिनांक को खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति, प्रदिष्ट चक या भूमियों पर कब्जा करने की हकदार हो गयी हो [चाहे ऐसा उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९६२ के प्रचलित होने के पूर्व हो या उसके पश्चात्] उससे छः मास समाप्त हो जाने पर या उक्त अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से छः मास समाप्त होने पर, जो भी दिनांक बाद में पड़े, यथा स्थिति, खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति के संबंध में, जब तक कब्जा पहले ही न कर लिया गया हो, यह समझा जायेगा कि उसने प्रदिष्ट चक या भूमियों पर वास्तविक रूप से कब्जा कर लिया है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह तथ्य कि खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति ने इस प्रकार कब्जा कर लिया है, उस व्यक्ति के, जिससे कब्जा संक्रामित किया गया समझा जाये, उपर्युक्त छः मास की अवधि समाप्त हो जाने के दिनांक को ऐसे चक या भूमियों अथवा उनके भाग पर खड़ी फसल को पालने-पोषने और उसे एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगा ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा २९ में नयी उपधारा (१-क) का बढ़ाया जाना

२८--मूल अधिनियम की धारा २९ में उसकी उपधारा (१) के पश्चात् नयी उपधारा (१-क) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये :--

"(१-क) उपधारा (१) के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आज्ञा के दिनांक से पंद्रह दिन के भीतर, चकबन्दी अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० में नयी धारा २९-कक का बढ़ाया जाना

२९--मूल अधिनियम की धारा २९-क के पश्चात् नयी उपधारा २९-कक के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये--

सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त भूमि दिये जाने के कारण मालगुजारी में कमी

"२९-कक(१) यदि धारा ८-क के उपबन्धों के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त अंशदान में भूमि दिये जाने के फलस्वरूप खातेदार की मूल जोत का क्षेत्रफल कम हो जाये तो उक्त जोत के लिये देय मालगुजारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा उस अनुपात में कम कर दी जायेगी जो अंशदान के रूप में दिये गये क्षेत्र उक्त जोत के कुल क्षेत्रफल से हो और कम हुई मालगुजारी प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में दिखायी जायेगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन की गयी कमी से क्षुब्ध कोई खातेदार, धारा २० के अधीन प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के प्रकाशन के दिनांक से १५ दिन के भीतर, १९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मालगुजारी में कमी, अवधारित किये जाने के लिये सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।" उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१

३०—मूल अधिनियम की धारा २९-ख के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा २९-ख का संशोधन

"२९-ख-(१) (क) प्रत्येक खातेदार को जिसकी जोत का कोई भाग इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये दिया गया हो, इस प्रकार दी गयी भूमि के लिये प्रतिकर दिया जायेगा जो धारा २९-कक के अधीन कम की गयी मालगुजारी का (१) भूमिधर की भूमि के विषय में, चार गुना और (२) सीरदार की भूमि के विषय में, दो गुना होगा।

सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त खातेदारों द्वारा दी गयी भूमि के लिये प्रतिकर

(ख) इस प्रकार दी गयी भूमि के भीतर पड़ने वाले पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के विषय में, प्रतिकर की धनराशि धारा १९ के उपबन्धों के अनुसार अवधारित की जायगी।

(२) किसी खातेदार को देय प्रतिकर का भुगतान, इस अधिनियम के अधीन क्रिया संबंधी व्यय को, यदि कोई हो, काटने के पश्चात् नकदी में किया जायेगा।

(३) जब कोई भूमि, जिसके संबंध में उपधारा (१) के अधीन प्रतिकर का भुगतान किया जाये, किसी आसामी के कब्जे में हो, तो यथास्थिति भूमिधर, अथवा सीरदार को देय प्रतिकर में से उसका ५ प्रतिशत असामी को, उस भूमि में उसके अधिकार, आगम तथा स्वत्व के संबंध में दिया जायेगा।"

३१—मूल अधियिम की धारा २९-ग की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा २९-ग की उपधारा (१) का संशोधन

"(१) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गयी भूमि उस दिनांक से, जब खातेदार समय-समय पर यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उन्हें प्रदिष्ट चकों पर कब्जा करने के हकदार हुये हों, गांव समाज में निहित होगी और सदैव निहित हुई समझी जायेगी और उस प्रयोजन के लिये प्रयुक्त होगी जिसके लिये वह अंतिम चकबन्दी योजना में विनिर्दिष्ट की गयी थी अथवा उक्त प्रयोजन के न रहने की दशा में ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होगी, जो नियत किये जायें।"

सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गयी भूमि का निहित होना

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ३० का संशोधन

३२--मूल अधिनियम की धारा ३० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:--

"३०--उस दिनांक से जब इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कोई खातेदार अपने को प्रदिष्ट चक पर, कब्जा करे या उसके संबंध में यह समझा जाये कि उसने कब्जा कर लिया है निम्नलिखित परिणाम होंगे:--

वे परिणाम जो कब्जा बदलने पर होंगे ।

(क) निम्नलिखित के अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्व उनकी अपनी-अपनी मूल जोतों में समाप्त हो जायेंगे:--

(१) वह खातेदार जो कब्जा करे या जिसके संबंध में यह समझा जाये कि उसने कब्जा कर लिया है और,

(२) चक में सम्मिलित गाटों का पूर्ववर्ती खातेदार, और

(ख) उस खातेदार के जो कब्जा करे या जिसके संबंध में यह समझा जाये कि उसने कब्जा कर लिया है, अपने चक में वही अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्व होंगे जो उसकी अपनी मूल जोत में थे और उसे ऐसे निजी स्रोत से , जब तक कि वह स्रोत विद्यमान रहे, सिंचाई की वह अन्य सुविधायें भी प्राप्त रहेंगी जो चक में सम्मिलित गाटों के पूर्ववर्ती खातेदार को उन गाटों के संबंध में प्राप्त थीं ;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१

(ग) उन भूमियों के संबंध में जो गांव समाज या किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित हों और जो खातेदार को प्रदिष्ट की गयी हों, यह समझा जायेगा कि वे, राज्य सरकार द्वारा १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम की, यथास्थिति, धारा ११७ या ११७-क के उपबन्धों के अधीन, वापस ले ली गयी हैं, और उनका बन्दोबस्त खातेदार के साथ कर दिया गया है;

(घ) धारा १९-क की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन किये गये प्रख्यापन के बाद, चक में सम्मिलित भूमि में या भूमि पर जन-साधारण तथा सभी व्यक्ति-विशेषों के अधिकार समाप्त हो जायेंगे और वे अंतिम चकबन्दी योजना में इस प्रयोजन के लिये निर्दिष्ट भूमि में सृजित हो जायेंगे ; और

(ङ) उस खातेदार की, जो कब्जा करे या जिसके संबंध में यह समझा जाये कि उसने कब्जा कर लिया है, मूल जोत पर भार, यदि कोई हो, चाहे वह पट्टा या बन्धक के रूप में हो या अन्य प्रकार का हो, उस जोत के संबंध में समाप्त हो जायेगा और वह उन जोतों पर या उनके ऐसे भाग पर हो जायेगा जो अंतिम चकबन्दी योजना में निर्दिष्ट किया जाय ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ३१ का निकाला जाना

३३--मूल अधिनियम की धारा ३१ निकाल दी जाये ।

३४—मूल अधिनियम की धारा ३२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ३२ का संशोधन

"३२—यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ और १९५० ई० के जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, खातेदारों का अपनी जोतों में अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्वों का ऐसा संक्रामण (चाहे वह विनियमय द्वारा हो या अन्य प्रकार से) जो उन्हें प्रभावित करने वाली अंतिम चकबन्दी योजना के, कार्यान्वय में अन्तर्ग्रस्त हो, वैध होगा और किसी खातेदार या अन्य व्यक्ति को ऐसे संक्रामण पर आपत्ति करने अथवा उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार न होगा।"

खाता संक्रामित करने का अधिकार

यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०१ ई० उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१

३५—मूल अधिनियम की धारा ३३ में—

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ३३ का संशोधन

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन संचालित क्रियाओं का व्यय निश्चित करेगी और कटक के खातेदारों से उसका ऐसा भाग, और ऐसी रीति से, वसूल करेगी जो नियत की जायें";

और

(२) उपधारा (२) में शब्द "चकबन्दी" के स्थान पर शब्द "उक्त क्रियाओं के" रख दिये जायें।

३६—मूल अधिनियम की धारा ३४ तथा ३५ निकाल दी जायें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ३४ और ३५ का निकाला जाना

३७—मूल अधिनियम की धारा ४२ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

उत्तर प्रदेश अधिनियम, सं० ५, १९५४ ई० की धारा ४२ की उपधारा १ का संशोधन

"(१) राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में ऐसे प्राधिकारी तथा अधिकारी नियुक्त कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों।"

३८—मूल अधिनियम की धारा ४३ निकाल दी जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० का धारा ४३ का निकाला जाना

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २७ से ३८ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३९

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा ४८ का संशोधन

३९—मूल अधिनियम की धारा ४८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

पुनरीक्षण

"४८—(१) यदि किसी अधिकारी के संबंध में जिसने किसी मामले का निर्णय किया हो या कोई कार्यवाही की हो, यह प्रतीत हो कि उसने किसी ऐसे अधिक्षेत्र का प्रयोग किया है जो उसे विधि द्वारा प्राप्त नहीं था या उसने प्राप्त अधिक्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है, या अधिक्षेत्र का प्रयोग करने में उसने अवैध रूप से या तत्वतः अनियमितता से कार्यवाही की है, तो चकबन्दी संचालक उस मामले या कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकता है, और उस मामले या कार्यवाही में ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे।

(२) चकबन्दी संचालक उस दशा में भी उक्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जब कि मामले या कार्यवाही का अभिलेख किसी अधीनस्थ प्राधिकारी ने, उपधारा (१) के अधीन कार्यवाही के लिये उसे अभिदिष्ट किया हो।"

*श्री कृष्णानन्दराय—अध्यक्ष, महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि:—विधेयक के खंड ३९ में दी गई धारा ४८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

पुनरीक्षण और अभिदेश

"४८—(१) चकबन्दी संचालक, किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी मामले या की गई किसी कार्यवाही का अभिलेख उस कार्यवाही की अनियमितता के विषय में, या उस मामले अथवा कार्यवाही में उस प्राधिकारी द्वारा दी गई किसी आज्ञा की शुद्धता, वैधता या औचित्य के विषय में, अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है और सम्बद्ध फरीकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस मामले या कार्यवाही में ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे।

(२) चकबन्दी संचालक द्वारा उपधारा (१) के अधीन अधिकारों का प्रयोग उपधारा (३) के अधीन अभिदेश किये जाने पर भी किया जा सकता है।

(३) चकबन्दी संचालक के अधीनस्थ कोई प्राधिकारी, सम्बद्ध फरीकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, किसी मामले या कार्यवाही का अभिलेख उपधारा (१) के अधीन कार्यवाही के लिये चकबन्दी संचालक को अभिदिष्ट कर सकता है।"

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड ३९ में दी गई धारा ४८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

पुनरीक्षण और अभिदेश

"४८—(१) चकबन्दी संचालक, किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी मामले या की गई किसी कार्यवाही का अभिलेख उस कार्यवाही की नियमितता के विषय में, या उस मामले अथवा कार्यवाही में उस प्राधिकारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा दी गई किसी आज्ञा की शुद्धत, वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है और सम्बद्ध फरीकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस मामले या कार्यवाही में ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे।

(२) चकबन्दी संचालक द्वारा उपधारा (१) के अधीन अधिकारों का प्रयोग उपधारा (३) के अधीन अभिदेश किये जाने पर भी किया जा सकता है।

(३) चकबन्दी संचालक के अधीनस्थ कोई प्राधिकारी, सम्बद्ध फरीकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् किसी मामले या कार्यवाही का अभिलेख उपधारा (१) के अधीन कार्यवाही के लिये चकबन्दी संचालक को अभिदिष्ट कर सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४०–४६

४०––मूल अधिनियम की धारा ४८–ख में शब्द और कामा "भी है" और शब्द "धारा ४८" के बीच में आये हुये शब्द "धारा २१ की उपधारा (६) अथवा" निकाल दिये जायें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ४८–ख का संशोधन

४१––मूल अधिनियम की धारा ४९ में शब्द "धारा ४ के अधीन" और शब्द "खातेदारों के" बीच में आये हुए "प्रख्यापन जारी कर दिया हो" के स्थान पर शब्द "विज्ञप्ति जारी कर दी गयी हो" रख दिये जायें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा ४९ का संशोधन

४२––मूल अधिनियम की धारा ५१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:––

"५१––तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होने हुये भी अंतिम चकबन्दी योजना को कार्यान्वित करने में जोतों का जो संक्रमण होगा उसे पूरा करने के लिये न तो किसी लिखित कारण की आवश्यकता होगी और न ऐसा कारण निष्पादित किया जाने पर रजिस्ट्री की आवश्यकता होगी।"

संक्रमण को निष्पन्न करने के लिये कोई कारण आवश्यक नहीं है

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा ५१ का संशोधन

४३––मूल अधिनियम की धारा ५२ में––

(१) वर्तमान धारा की संख्या बदलकर उसे उपधारा (१) कर दिया जाय और उसके अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाये तथा उसके प्रतिबन्धात्मक खंड में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये;

चकबन्दी क्रियाओं की समाप्ति

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ५२ का संशोधन

"किन्तु प्रतिबन्ध यह कि इस धारा के अधीन विज्ञप्ति प्रचारित किये जाने से, इस अधिनियम के अधीन क्रियाओं के व्यय को निश्चित करने, बांटने और वसूल करने के राज्य सरकार के अधिकार पर कोई प्रभाव न पड़ेगा।"

(२) उपधारा (१) के पश्चात् नयी उपधारा (२) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये:—

"(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी भारत का संविधान" के उपबन्धों के अधीन प्रस्तुत की गयी लेख-याचिकाओं के मामलों में या उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति प्रचारित किये जाने के दिनांक को इस अधिनियम के अधीन विचाराधीन मामलों या कार्यवाहियों में सक्षम न्यायालय द्वारा दी गयी आज्ञायें ऐसे प्राधिकारियों द्वारा जो नियत किये जायं, कार्यान्वित की जायेंगी और उस प्रयोजन के लिये चकबन्दी क्रियाओं के विषय में यह समझा जायगा कि वे समाप्त नहीं हुई हैं।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ५३ का संशोधन

४४—मूल अधिनियम की धारा ५३ में शब्द "के मध्य" तथा "चकों" के बीच में शब्द "समझौते द्वारा" रख दिये जायें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ५३-ए का संशोधन

४५—मूल अधिनियम के अंग्रेजी पाठ की धारा ५३-ए में, उपधारा (१) तथा (२) में और पार्श्व "शीर्षक में आने वाले शब्द "scheme of consolidation" के स्थान पर शब्द Consolidation Scheme" रख दिये जायें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा ५४ की उपधारा (२) का संशोधन

४६—मूल अधिनियम की धारा ५४ की उपधारा (२) में—

(१) खंड (क) में शब्द "प्रख्यापन" के स्थान पर शब्द "विज्ञप्ति" रख दिया जाये,

(२) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

"(घ) धारा ७ से ११ तक के तथा धारा १२ के अधीन नक्शों और अभिलेखों के पुनरीक्षण से, जिसके अन्तर्गत अधिकारों का प्रख्यापन संयुक्त जोतों का विभाजन, गाटों का मूल्यांकन, कुओं, पेड़ों तथा अन्य समुन्नतियों के प्रतिकर का अवधारण तथा अभिभाजन भी है, से सम्बद्ध प्रक्रिया और सिद्धांतों के विवरण की तैयारी तथा प्रकाशन" और

(३) खंड (च), (छ) तथा (ज) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(च) धारा १२-घ के अधीन जोतों के संयोजन की प्रक्रिया;

(छ) धारा १९-क, २१ और २३ के अधीन चकबन्दी योजना तैयार करने, उसे प्रकाशित करने और उसकी पुष्टि करने की प्रक्रिया और रीति;

(ज) धारा २३ के अधीन प्रदेशन, आज्ञायें जारी करने की प्रक्रिया और रीति,"

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४० से ४६ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४७ व ४८

संक्रमण-कालीन उपबन्ध

४७---(१) इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक के पूर्व, जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है मूल अधिनियम की धारा ४ के अधीन विज्ञापित कटकों में---

(१) यदि, उक्त दिनांक को या उसके पूर्व मूल अधिनियम की धारा २० के अधीन प्रस्तावों का विवरण प्रकाशित किया जा चुका हो, तो उक्त प्रकाशन की अवस्था के आगे के; और

(२) यदि उक्त दिनांक को या उसके पूर्व मूल अधिनियम की धारा ९ के अधीन नोटिस जारी किये जा चुके हों तो मूल अधिनियम की धारा १८ के अधीन प्रस्तावों के विवरण के पुष्टीकरण की अवस्था तक के तथा उसके अवस्था के भी;

चकबन्दी क्रियाओं के विषय में या उनसे सम्बद्ध समस्त कार्य मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसी प्रकार संचालित तथा समाप्त किये जायेंगे, मानों यह अधिनियम प्रचलित ही न हुआ हो,

किन्तु, प्रतिबन्ध यह है कि उन द्वितीय अपीलों और पुनरीक्षणों के संबंध में जो इस अधिनियम द्वारा संशोधन के पूर्व यथास्थित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किये जा सकते थे किन्तु जो उक्त दिनांक के पूर्व संस्थित नहीं किये गये थे, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम लागू होगा और उसी प्रकार सदैव से लागू हुआ समझा जायगा मानो यह अधिनियम सभी महत्वपूर्ण दिनांक पर प्रचलित था।

(२) अन्य समस्त कार्य, जिन पर उपधारा (१) के उपबन्ध लागू नहीं होते इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संचालित तथा समाप्त किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण---जिन कटकों में मूल अधिनियम की धारा ९ के अधीन नोटिस उक्त दिनांक को या उसके पूर्व जारी नहीं किये गये थे वहां किया गया प्रत्येक कार्य इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, सदैव इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३८, १९५८

(३) उपधारा (१) या (२) में किसी बात के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५८ की धारा ४९ के खंड (१) के उपबन्ध उक्त खंड के अन्तर्गत आने वाली कार्यवाहियों पर लागू होते रहेंगे।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३८, १९५८

(४) सन्देहों के निवारणार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उपधारा (१) या उपधारा (३) के उपबन्धों के अनुसार कोई काम मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया जाना या समाप्त किया जाना है तो राज्य सरकार के लिये उन समस्त या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करना वैध होगा तथा सदैव वैध रहा समझा जायगा जो उसे (राज्य सरकार को) मूल अधिनियम के, जैसा कि वह, यथास्थिति, इस अधिनियम द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व या उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५८ द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व था, उपबन्धों के अधीन प्राप्त थे।

कठिनाइयों का विवारण

४८—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा संशोधन के पूर्व यथावस्थित मूल अधिनियम के, उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण के संबंध में कठिनाइयों के निवारणार्थ, गजट में आज्ञा प्रकाशित करके, निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम, ऐसी अवधि में जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये (चाहे वे परिष्कार के रूप में हों अथवा परिवर्धन या लोप के रूप में) जिनका सार पर प्रभाव न पड़े, और जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रभावी होगा:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से चौबीस मास के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायेगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी समस्त आज्ञायें दिये जाने के बाद यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के सामने कम से कम १४ दिन तक रखी जायंगी और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहते हुये जो विधान मंडल उनमें करे, आज्ञा के प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होंगी।

श्री प्रेमसिंह—पहले शेर सुना दिया जाय या संशोधन पेश किया जाय। (व्यवधान) मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ४७ के उपखंड (१) के भाग (२) की प्रतिबन्धात्मक शब्दावली की चौथी लाइन के प्रारम्भिक शब्द "थे" के आगे के सभी शब्द हटा दिये जायं और निम्न शब्द जोड़ दिये जायं :—

"यह उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम का संशोधन लागू न समझा जायगा और इसके पूर्व प्रचलित अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अपीलों और पुनरीक्षणों की सुनवाई की जाय।"

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के लागू होने के बाद के फैसलों की अपीलों के बारे में पुराना कानून ही लागू होना चाहिये, नया नहीं क्योंकि अगर यह संशोधन पास होकर लागू न होता तो इन फैसलों की सुनवाई में दो अपीलों और एक निगरानी का फायदा इसी तरह लोगों को मिलता। वही इस संशोधन के लागू होने के बाद अपील और निगरानी दाखिल करने वाले लोगों को फायदा अब भी इस संशोधन के पास होने पर भी मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—अब आप समझा दीजिये, जो आपने पढ़कर सुनाया है। माननीय मंत्री जी क्या कहते हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मैं इसका विरोध करता हूं। अगर यह मान लिया जायगा तो सारा संशोधन विधेयक ही खत्म हो जायगा।

श्री प्रेमसिंह—यही तो हम चाहते हैं कि यह खत्म हो जाय। अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४७ तथा ४८ इस विधेयक अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णानन्द राय—मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक में जहां भी शब्द "गांव समाज" आये हों उनके स्थान पर "गांव सभा" रख दिये जायं।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह संशोधन आवश्यक है। जिस तरह का यह कानून इस वक्त है उसमें यह संशोधन हो जाना चाहिये। यह मुझे मंजूर है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधेयक में जहां भी शब्द "गांव समाज" आये हों उनके स्थान पर "गांव सभा" रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ (क्रमागत)

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---अब खंड २ के संबंध में लैंड की तारीफ की बात है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया उसमें इस डैफिनिशन से केवल मकान के इम्प्रूवमेंट का प्रश्न है। जो हमारा जमींदारी अबालिशन ऐक्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट में मकान शामिल है। वह तो इम्प्रूवमेंट में आ जायगा। उसकी टेन्योर होल्डिंग में चकबन्दी की जायगी तो मकान उसकी इम्प्रूवमेंट में आ जायगा।

***श्री कमलासिंह यादव**---श्रीमन्, इसमें दिक्कत है। इम्प्रूवमेंट में वही मकान आते हैं जो कैटिल वगैरह रखने के लिये खेत में किसी ने बनाये हों या फसल को वाच करने के लिये बनाये गये हों। लेकिन अगर रेजीडेंशियल हाउस हैं तो कभी नहीं आ सकता और इस पर उनको अधिकार नहीं देना चाहिये।

***श्री मैनेजरसिंह**---इस पर अध्यक्ष महोदय, पहले काफी समय लगा था और दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों की यह भावना थी कि कोई न कोई ऐसा प्राविजन किया जाय जिससे मकान को या तो एक्सक्लूड कर दिया जाय या आप ऐसी व्यवस्था करें कि १९ में परिष्कार कर के, जहां मकान हो वहां चक दे दिया जाय और उस के लिये जमीन लिमिटेड कर दी जाय। दोनों में एक जगह कहीं भी इसका प्राविजन कर देना ठीक होगा।

श्री कमलासिंह यादव---अगर रेजीडेंशियल हाउस उनके प्राविधान में आ गया तो बड़ी दिक्कत होगी और किसान मारा जायगा। कैटिल शेड तो नामिनल वैल्यू की हो सकती है लेकिन अगर रेजीडेंशियल हाउस आया तो उसकी वैलुयेशन ज्यादा होगी और आबादी के अन्दर भी उनका जुरिस्डिक्शन चला जायगा। तो मैं समझता हूं कि इस पर काफी गौर करने की जरूरत है और इसमें किसी तरीके पर चकबन्दी को अधिकार नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---तो १५ मिनट अब और बैठेंगे।

श्री मैनेजरसिंह---मंत्री जी, इस पर सोच लें, इसे कल कर लेंगे।

***श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव**---मेरा निवेदन है कि जो परिभाषा मौजूद है उसमें हम ट्रीज और यह बढ़ाना चाहते हैं। यह प्रश्न न इसमें ओपेन किया जा सकता है और न मैं उसको चाहता हूं। यदि मैं अपना संशोधन वापस ले लूं तो क्या वह प्रश्न हल हो जायगा। इसीलिये मैंने निवेदन किया कि जब इंप्रूवमेंट उसमें आ गया और सदन ने जब उसे पास किया होगा कि जोत की किसी जमीन पर मकान हो, वह जमीन समझी जायगी इस ऐक्ट के ख्याल से तो जब वह पास किया गया था तो उस पर विचार कर लिया गया था और अब इस स्टेज पर फिर वह सवाल रिओपेन नहीं हो सकता।

***कुंवर श्रीपालसिंह**---यह परिभाषा में आ गया है, श्रीमन्। यह आया है कि भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो, और उसके आगे इसको जोड़ दें जोत का वह भाग से मकान या अन्य तत्समय रचना का स्थल हो। तो भूमि के अर्थ में मकान भी भूमि का अर्थ ले लेता है। मकान जब भूमि के अर्थ में आयेगा तो जोत का जब ट्रांसफर होगा, एक की जोत दूसरे को आ जायगी तो उसके मकान का मुआवजा खाली उसको मिलेगा और जिस तरीके से मुआवजा दिया जाता है उसी तरीके से वह दिया जायगा। इसलिये मेरा निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि मकान इसमें से निकाल दिया जाय और बाकी जो चाहे रखें, लेकिन मकान हटा दें। इस संशोधन को मान लेने से मेरे ख्याल से, यह खामी निकल सकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--इसमें जो अब हमारा यह संशोधन है, उसमें १९ एफ में, यदि आप देखें, यह लिखा है--

"Every tenure holder, is as far as possible, holding a plot on which exists his private source of irrigation or any other improvement, together with an area in the vicinity equal to the valuation of the plot originally held by him thereof."

श्रीमन्, यह जो इम्प्रूवमेन्ट है आप देखें कि जिनका इसमें मकान शामिल है तो जिस तरह से हम संशोधन करने जा रहे हैं और यह धारा १९ होगी उसमें आप देखें कि कुछ क्लाजेज के जरिये से हो जायगा । उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ।

श्री रक्षपालसिंह--श्रीमन्, जो इसमें परिभाषा है वह आप देखें कि तत्सम्बन्धी रचना उसमें तो मकान अलग है और इससे ऐसे पेड़, कुयें और अन्य समुन्नतियां अलग हैं ।

श्रीमन्, धारा १९ देखिये, इसमें अन्य समुन्नतियां इनक्लूडेड है और मकान इन्क्लूडेड नहीं है तो यह कहना बिलकुल गलत होगा कि ऐसा होगा । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है । आप देखें कि परिभाषा ठीक नहीं है । अगर ऐड करना है तो कह देते कि इतना और जोड़ दिया जाय । परन्तु यहां पर पूरी-पूरी परिभाषा का सब्सीट्यूशन है । इसलिये यह कहना गलत होगा । आप देखें कि अगर इसमें पेड़ और जोड़ दें तो ऐसा होता तो हम मजबूर हो जाते हैं । यह पूरे सेक्शन का सब्सीट्यूशन हो रहा है । तो यह कहना कि यह संशोधन नहीं आ सकता, यह गलत है । इसमें पूरी परिभाषा नई आ सकती है । अब रह गई वह वास्तविक डिफीकल्टी की बात, तो यह सही है कि यह मकान गांव के आस-पास की जो जमीन है उन पर ही मकान बन गये हैं और आप देखे कि बड़े-बड़े कीमती मकान बन गये हैं । आप देखें कि वह अब भी जोतों में दर्ज हैं और उनके ऊपर लगान आता है खेत के अन्दर हैं । यदि ऐसे मकान इसमें आ जांयेंगे तो चकबंदी अधिकारियों के लिये पैसा लेने की गुंजायश हो जायगी । जिसका मकान १० हजार का है वह ५ हजार में ही चला जायगा । तो इस तरह से आप देखें कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा । इसलिये इसको निकाल दें । मैं एक बात और.....

श्री अध्यक्ष--पहले जो डिफीनीशन थी वह यह कि--

"Land means, land held or occupied for purposes connected with agriculture, horticulture and animal husbandry including pisciculture and poultry farming and includes the sites being part of a holding of a house or other similar structure belonging to the tenure thereof."

अगर इसको देखिये तो बिलकुल वही वर्डस हैं जैसा कि माननीय मंत्री जी कहते हैं । सिर्फ क्लाज २ जोड़ा गया है । अब इसमें यदि कोई संशोधन है तो केवल इतना है कि ऐसे पेड़ कुयें और अन्य समुन्नतियां " जो उन गाटों में हों जिनसे मिलकर जोत बनी हो ।" यह जो आपने दिया है केवल संशोधन इतना है । तो आपका जो उपखंड १ में जो बात दी है वह तो पहले के समान है और उसमें तो कोई अन्तर नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह--श्रीमन्, इस में जरा मुझे एक मिनट का समय दें ।

श्री अध्यक्ष--आप देखें कि इसमें केवल एक उपखंड जोड़ रहे हैं । जो ऐसे पेड़, कुयें और अन्य समुन्नतियां जो उन गाटों में हों, जिनसे मिलकर जोत बनी हो । बस इतना है । अब यह जो संशोधन है वह यह है कि खंड १ में जो लिखा है उसमें परिवर्तन हो रहा है ।

***श्री कमला सिंह यादव**--मैं बात साफ कर दूं । मैंने लैन्ड की डिफिनीशन को अच्छी तरह से पढ़ा है और पढ़ने के बाद मैंने इसको रखा है कि हाउस को इसमें से निकाल दिया जाय । अगर लैन्ड की डिफिनीशन आप दे रहे हैं कि उसके स्थान पर यह डिफिनीशन भी रख दी जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो मुझे अधिकार हो जाता है कि उस डिफिनीशन को तीसरे रूप में रख दिया जाय। अब सवाल यह है कि अगर यह निकाल देते हैं तो पोजीशन क्या होती है? जो सदन को कंसीडर करना है वह यह है कि जहां तक पेड़ों का ताल्लुक है और इम्प्रूवमेन्ट का ताल्लुक है उसमें अगर उनका इंटेन्शन यह है कि जहां यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट में डिफिनीशन दी है इम्प्रूवमेंट की, वह ऐसी है कि कल्टीवेशन परपजेज के लिये अगर कोई छप्पर या कोई मकान बना लेता है तो वह इन्क्लूड करेगा इम्प्रूवमेंट में, तो ठीक है। लेकिन रेसीडेन्शियल हाउस अगर बनाया होगा तो वह उसमें नहीं आयेगा।

दूसरी चीज यह है कि अगर गलती से पहली डिफिनीशन में यह आ गया है तो इसका असर यह होगा कि आप आबादी के अन्दर भी पहुंच सकते हैं। मकानात जो जोत के अन्दर हैं उन पर आपको अधिकार नहीं है। रेजीडेन्शियल हाउस अगर किसी ने बना लिया है तो उसकी पोजीशन क्या होगी? उस वक्त आपको यह अधिकार होगा कि जिसको आप चाहें वह उसको दे दें, जिसका मकान है उसको कहीं दूर फेंक दें। अगर इसका इम्प्रूवमेंट से ताल्लुक है तो मैं समझूंगा कि उस शब्द को, जैसा कि उन्होंने व्यक्त किया है सदन के सामने कि वह इन्क्लूड करेगा मकान को, तो मुझे कोई एतराज नहीं है और न होगा। लेकिन रेसीडेन्शियल हाउस का जहां तक सम्बन्ध है उसको आप निकाल दें। अगर आप उसको निकाल दें, तो होगा क्या? उनको यह अधिकार नहीं होगा कि वे हमारे मकान को छू सकें। नतीजा यह होगा कि हमारे मकान के पास ही चक मिलेगा। नहीं तो हमारा मकान जहन्नुम में फेक दिया जायेगा। इसलिये जैसा कि अब तक ओपिन हार्ट से माननीय मंत्री जी और बातों को स्वीकार किया है इसे भी स्वीकार कर लें, तो बड़ी कृपा होगी। इसको निकाल दें। माननीय हुकुम सिंह जी भी आ गये हैं, शायद उन पर भी इसका असर पड़ सकता है, वे मान लेंगे।

श्री मैनेजरसिंह---यह जो कहा जाता है कि मूल अधिनियम में यह व्यवस्था है....

श्री अध्यक्ष---उसे छोड़ें।

श्री मैनेजरसिंह---अच्छा। तो इस पर काफी विचार हुआ और दोनों ओर की राय थी कि या तो इस विधेयक में मकान छोड़ने की व्यवस्था कर दी जाय या जैसा सरकारी पक्ष से बताया गया, १९ (च) में इसकी सफाई हो। शहर के लोग गांव की तकलीफ महसूस नहीं करते हैं।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---जब तक होल्डिंग का अंश नहीं होगा तब तक आबादी के मकानों पर चकबंदी कानून लागू नहीं हो सकता।

श्री मैनेजरसिंह---गांवों में ऐसे काश्तकार हैं जिनके खेत में मकान हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा---इस संशोधन के मानने में हानि भी है और लाभ भी। कुछ चतुर लोगों ने चकबंदी के डर की वजह से खेतों में मकान बना लिये हैं। उनके लिये जैसा अधिनियम में है वही ठीक होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह---जैसा राधेश्याम जी ने कहा, वह उचित नहीं है। हमारे यहां यह हालत है कि एक किसान के ४ बेटे हैं, उनमें बटवारा हुआ, जमीन बंट गई। घर में जगह कम है, तो उन्होंने मजबूरन अपने खेत पर घर बना लिये हैं। यह मजबूरन किया है, चतुरता से नहीं। राधेश्याम जी के यहां चतुरता से किया होगा, मगर हमारी ओर ऐसा नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव---राधेश्याम जी ने जो कहा कि वह इम्प्रूवमेन्ट में आ जाता है। हमारा सवाल है रेजीडेंशल मकानों के लिये। मान लीजिये कि बाढ़ से एक गांव खत्म हो जाय और दूसरी जगह बसाया जाय जहां जोतवाले खेत हों। उसकी क्या पोजीशन होगी? मैं सदन को उलझन में नहीं डालना चाहता हूं।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---मैंने विचार कर लिया है। जैसा है वैसा ही मान लिया जाय।

श्री मैनेजरसिंह---श्रीमन्, यह धोखा दिया जा रहा है। पहले तो कह दिया कि मानेंगे लेकिन अब कहते हैं कि नहीं मानेंगे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (६) में मूल अधिनियम की धारा ३ के प्रस्तावित खंड ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(५) भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि से सम्बन्धित प्रयोजन के लिये हो और जिसमें पेड़, कुयें और अन्य समुन्नतियां भी सम्मिलित हों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया अस्वीकृत हुआ।)

श्री मैनेजरसिंह---श्रीमन्, इस अन्याय के विरुद्ध हम वाक आउट करते हैं।

(श्री मैनेजरसिंह तथा कुछ अन्य प्रजा सोशलिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (६) में मूल अधिनियम की धारा ३ के प्रस्तावित खंड (५) का भाग (१) निकाल दिया जाय और भाग (२) को भाग (१) कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश बिधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।

त्तर प्रदेश
नियम सं० १९५३ को संशोधित करने का
१९५४ ई०

आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम,

विधेयक

प्त शीर्ष-
म और
सार

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings (Amendment) Bill, 1962] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित और इस विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री रक्षपालसिंह---यह जो अभी अमेंडमेंट अस्वीकार किया गया है और धारा १९ में भी स्वीकार नहीं किया गया है, यह ठीक नहीं हुआ, इसकी व्यवस्था आपको कहीं न कहीं अवश्य कर लेनी चाहिये । अगर नहीं करते हैं तो यह सरासर अन्याय होगा ।

श्री अध्यक्ष---उसमें यह पहले ही लिखा हुआ है---

"Land means land held or occupied for purposes connected with agriculture, horticulture and animal husbnadry including pisciculture and poultry farming) and includes the site, being part of a holding, of a house or other similar structure; and

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Consolidation" of Holidngs(Amendment)Bill, 1962] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---अब हम उठते हैं और कल १० १/२ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर २१ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
१२ दिसम्बर, १९६२ ।

नत्थी 'क'

(देखिय तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७२ पर)

संख्या हरिजन कूप निर्माण विकास क्षेत्रवार तथा स्थान (गांव कस्बे) जहां-जहां कुओं का निर्माण हुआ

वर्ष	निर्मित कूप संख्या	मथुरा	फरह	गोवर्धन	चौमूं	छाता	नन्दगांव
१	२	३	४	५	६	७	८
५३–५४	१	..	..	..	..	..	..
५५–५६	३	..	..	..	..	..	..
५७–५८	४	उसपार	..	पटपरगंज	..	नगला	..
५८–५९	५५	सलैमपुर	दौलतपुर	राधा कुन्ड	कौकेरा	पाली फसैला	हताना
		पिलौंग	जलाल	रसूलपुर	..	वरचावली	..
		छपैरा	शाजादपुर	सौंसा	..	..	..
		..	..	..	..	..	..
		..	..	..	..	..	..
		..	..	..	..	..	..
		..	..	..	..	..	..
		..	..	..	..	..	..
		..	..	..	..	..	..
		..	..	..	..	..	..
		..	..	..	..	..	..
		..	..	..	..	..	..
५९–६०	३३	छडगांया	कोसीखुर्द	मौजी	सैमरी	चदौरी	जारऊ
		पालाअलीपुर	..	चौमा	लाढ़पुर	कोलीकलां	खीदपुर
		गढ़ायालतीपुर	..		बझौरा	(देहात)	..
		..	..	..	कावर	..	..
		..	..	..	बिहटा	..	..
		..	..	..	..	..	..
		..	..	..	..	..	..
		..	..	..	..	..	..
		..	..	..	..	..	..
		..	..	..	..	..	..
६०–६१	३४	मथुरा (देहात)	भदेरेआ	बसौली	भरतिया	भदावल	..
		खटिकपुरा	..	..	नगलादेवीसिंह	न०	..
		हरिजन बस्ती	..	..	..	प्रतापगढ़	..
		सिविललाइन	..	..	..	भरकलां	..
		बाठी	..	..	..	..	..
		औरंगाबाद	..	..	..	..	..
		बबुरी	..	..	..	..	..
		नरहौली	..	..	..	..	..
		नगलाशफीर	..	..	..	..	..
		छटीकरा	..	..	..		..
६१–६२	१४	..	..	आन्योर	बाजना	जावली	सकेत
		..	..	वल्ह	..	..	..
		..	..	महमदपुर	..	..	..
६२–६३	६	बबरी	..	सौन	..	..	..
		..	..	..	..	..	..
		..	..	..	..	..	..
योग	१५०	१६	५	११	९	९	४

साहाबाद	बल्देव	सहयऊं	राया	मांट	नौहझील	बिवरण
९	१०	११	१२	१३	१४	१५
निचलावास	..	..	..	..	..	..
..	झारौठा	..	..	अमानउलापुर	..	..
..	हसनपुरगोंठा	..	..	..	..	..
..	..	..	..	सुदामा की गढ़ी		..
सिद्धार्थनगर	बिरौना	सरसौरा	सरूपा	मांटराजा	हसौल	..
शाहाबाद	भरतिया	भकलारा	दिवाना	बिजौली	जरैलिया	..
नगला कंचना	नरहौली	काकेनकलां	राया	जैसवा	शकरगढ़ी	..
नगलाबमसा	महाबन	लोधई	बिहानानयावाला		..	..
सिखरा	विधिपुर	..	गडेरा	न० गड़िरिया	..	..
तारसी	गडीनन्द	..	राया	बैगमपुर	..	..
आरती	न० पोला	..	खजूरी	न० वसला	..	..
सीसता	घनौटी	..	..	..	..	..
	सैलखंडा	..	..	..	..	..
..	जादौंपुर	..	..	..	..	..
..	नगलासजा	..	..	..	..	..
..	न० जगली	..	..	..	..	..
..	आझई	..	..	..	..	..
झरौठा	बुढ़ाइच	..	..	अन्दआ	जावरा	..
बिरौन	बल्देव	..	..	राया	मिरताना	..
खानपुर	..	..	..	बिलावली	..	..
गढसौली	..	..	..	आपराखेड़ा	..	..
कासिमपुर	..	..	..	भीकम का नगला	..	..
..	..	..	..	आपराखेड़ा	..	..
..	..	..	..	पानीगांव	..	..
..	..	..	..	नयाबांस	..	..
..	..	..	..	तैय्यबपुर	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	.
बिसावर	पचावरी	काछी	दिवाना	भिरताना	..	..
जारऊ	फतेहपुरा	न० जावली	न० भरतिया	न० बलवतां		..
तसींग	..	आरली	..	सिकन्दरपुर	..	..
खमाकीगढ़ी	..	..	..	..	..	..
सादाबाद	..	..	..	..	..	..
मई	..	..	..	..	..	..
नौपुरा	..	..	..	..	..	..
टीकत	..	..	..	..	..	..
सरौठ	..	..	..	..	..	..
गीगंला	बराली	..	लक्ष्मीनगर	सुरीर	..	..
निचलाबांस	..	..	बादेखे	..	..	..
..	..	..	कोयल	..	..	..
गुमानीगढी	..	बीरनगर	..	..	..	..
ताजपुर	..	(न०रायकी)	..	..	..	..
बरौसा	..	..	..	..	..	..
२९	२०	८	२१	१५	३	..

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८६ पर)

वर्ष	अण्डर ग्रेजुएट	ग्रेजुएट	पोस्ट ग्रेजुएट	इंजीनियरिंग व मेडिकल
१९५९–६० ..	..	१,३५८	६५६	३२४	४३९
१९६०–६१ ..	..	१,५४४	५९३	३१७	५३९
१९६१–६२ ..	..	१,४१०	४७१	३५२	५१८

छात्रवृत्ति की दर

	प्रतिमास				
					डिप्लोमा व डिग्री कोर्स
	रु०	रु०	रु०		रु०
होस्टलर	४०	४०	५०	७५	६५
डे—स्कालर ..	२७	२७	३५	६०	५०

नत्थी 'ग

(देखिय अतारांकित प्रश्न २० का उत्तर (पीछे पृष्ठ ७६० पर)

गोरखपुर जिले के बृजमनगंज, घानी तथा फरेंदा ब्लाक में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में हरिजनों के लिये लगाये गये हैंड पम्प, बनाये गये कुएं तथा उन पर व्यय किये गये धन का विवरण

ब्लाक का नाम	ग्राम का नाम	प्रथम पंचवर्षीय योजना						द्वितीय पंचवर्षीय योजना					
		हैंड पम्प की संख्या	व्यय	कुओं की संख्या	व्यय	मकानों की संख्या	व्यय	हैंड कूपों की संख्या	व्यय	कूपों की संख्या	व्यय	मकानों की संख्या	व्यय
			रु०		रु०		रु०		रु०		रु०		रु०
बृजमनगंज ..	हाता वेला हरैया	..	..	१	५००	..	..	..	..	२	१,५००	१०	६५०
	बंजरहा	..	..	..	..	..	..	..	..	१	६५०	..	..
	बेला	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	१	३००
	अमड़ीहा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	२	४००
	शाहाबाद	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	१	१३०
घानी ..	कानाणर	..	..	..	..	..	..	..	..	१	६००	..	..
	परसामहंथ	..	..	..	..	..	..	१	१००	१	६५०	..	..
फरेंडा ..	बढ़या	..	..	..	..	..	..	..	..	१	६५०	..	..
	सोहरौलिया	..	..	..	..	..	..	..	..	२	९००	..	..
	लैजारमहदेवा	..	..	..	..	३	३००	..	..	१	५००	..	..
	तजोरया	..	..	..	..	..	..	..	..	१	३००	..	..

ब्लाक का नाम	ग्राम का नाम	प्रथम पंचवर्षीय योजना						द्वितीय पंचवर्षीय योजना					
		हैंड पम्प की संख्या	व्यय	कुओं की संख्या	व्यय	मकानों की संख्या	व्यय	हैंड कूपों की संख्या	व्यय	कूपों की संख्या	व्यय	मकानों की संख्या	व्यय
			रु०		रु०		रु०		रु०		रु०		रु०
	डडवारखुर्द	..	..	..	..	..	..	..	..	१	३००	..	..
	पडहरा	..	..	..	..	..	..	..	..	१	४५०	..	..
	पनिकौरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	१	२२०
	महुकरपुर महदेवा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	१०	७००
	संवरमीर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	४	३००
	उदितपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	१३	३,९००
	योग	..	..	१	५००	३	३००	१	१००	१२	६,५००	४२	६,६००

अनुपूरक प्रश्न विधान सभा

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७९७ पर)

जिला आजमगढ़ में कटाव से प्रभावित गांवों के बसाये गये परिवारों का विवरण ।

सगड़ी तहसील—

१—गंगापुर .. .. ५० परिवार प्रभावित थे, जिन्हें उसी गांव में बसने के लिये ४ एकड़ भूमि की व्यवस्था कर दी गई ।

२—हाजीपुर .. .. ४२ परिवार प्रभावित थे जिन्हें उसी गांव में बसने के लिये ३ एकड़ भूमि की व्यवस्था कर दी गई ।

घोसी तहसील—

१—डुहिया डिलिया ६१ परिवार प्रभावित थे । १६ तो बेलोनी सोनबरसा और ४५ कुरौली गाँव में दिये गये और दोनों जगह में कुल ६ एकड़ भूमि का बसने के लिये उपयोग किया गया ।

२—मीलनापुर, ३—धर्मपुर, ४—विशुनपुर .. .. १५० परिवार प्रभावित थे जिनमें से १०० परिवारों के बसने की व्यवस्था मिसरौली गांव में १० एकड़ भूमि पर कर दी गई । ५० परिवारों को परसिया जैरामगिरि गांव ने ५ एकड़ भूमि लेकर बसने की व्यवस्था कर दी गई ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७९७ पर)

जिला बस्ती में १९६२ की बाढ़ में पूर्णतया तथा अंशतः बह गये गांवों क विस्तृत विवरण

क्रम-संख्या	तहसील	कटे हुए गांवों की संख्या	बहे हुए मकानों की संख्या
१	बस्ती	१५	९८
२	बांसी	२	६
३	खलीलाबाद	१५	६३
४	हरैया	१४	४३
	योग ..	४६	२१०

प्रभावित गांवों की सूचीः

तहसील बस्ती

१—भगवन्तपुर
२—गंगापार
३—बैदारी एहतमाली
४—महुआपार कलां
५—महुआपार खुर्द
६—माझा फूलपुर
७—माझा तिलोकपुर
८—माझा कलां
९—पीपर पट्टी एहतमाली
१०—चकिया
११—पड़रिया
१२—नाथा
१३—भुड़हा
१४—हरबंशपुर
१५—डँगरिहा बाबू

हरैया तहसील

१—कन्हईपुर
२—धौसिया
३—तिलोकपुर
४—सहजौर पाठक
५—दुधौरा
६—वैटावां
७—रामपुर
८—सीतारामपुर
९—चकिया
१०—बखरी संग्राम
११—महुआपार
१२—चितकल्यानपुर
१३—कुकरहा
१४—खुआरा

टिप्पणी—डोमरियागंज तथा नौगढ़ तहसील में कोई गांव कटाव से प्रभावित नहीं है।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७९८ पर)

तहसील देवरिया---	
विशनपुरा परसियादेवारा	३ गांव आंशिक और ३ पूर्ण रूप से बहाव में आ गये जिनका स्तर ऊंचा किया जा रहा है।
तहसील सलेमपुर---	प्रभावित व्यक्ति बरहज में बसा दिये गये हैं।
तहसील हाता---	सभी ग्रामीण जो बाढ़ के दिनों में दूसरी जगह चले गये थे वापस आ गये हैं।
तहसील पडरौना	
पिपराघाट अहरौली दान अमवी खास	प्रभावित व्यक्तियों को हतपुरवा, दशेरहाटांड धुकरहा, कुलाहीदेवधरिया पर बसा दिया गया है। दशेरहा टांड पर २७ परिवारों के सम्बन्ध में, वन विभाग ने आपत्ति की है। मंडलाधीश पडरौना द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७९९ पर)

गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उ०प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५६

गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ को संशोधित करने का

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

उ०प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५६ की धारा ५ का संशोधन

२—गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा ५ की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "नया कालेज" के स्थान पर शब्द "ऐसा नया कालेज जो प्रौद्योगिकी (टेक्नोलाजी) या अभियान्त्रिकी (इंजीनियरिंग) का कालेज न हो" रख दिये जायें।

उद्देश्य और कारण

गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा ५ की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड में यह प्रतिबन्ध है कि विश्वविद्यालय के कनवोकेशन हाल से दस मील के अर्धव्यास के भीतर कोई भी कालेज स्थापित नहीं किया जा सकता। विचार यह है कि प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऐसी शिक्षा देने वाले कालेजों के सम्बन्ध में यह प्रतिबन्ध हटा दिया जाये।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

जुगलकिशोर,
शिक्षा मन्त्री।

गोरखपुर विश्वविद्यालय, अधिनियम, १९५६ की धारा ५ का उद्धरण, जिसे गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२ के द्वारा संशोधित करने का प्रस्ताव है

५—(१) धारा ४ में उल्लिखित जिलों में स्थित समस्त कालेज, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन आगरा यूनिवर्सिटी से संबद्ध (affiliated) हों, ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार एतदर्थ सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे, विश्वविद्यालय से संबद्ध समझे जायेंगे। यू०पी० ऐक्ट सं० ८, १९२६।

(२) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के अनुमोदन से, नये कालेजों को संबद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकारों के निमित्त स्वीकृति दे सकता है तथा परिनियमों एवं अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा अनुसार, पहले से ही संबद्ध कालेजों के विशेषाधिकारों में अभिवृद्धि कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय के कनवोकेशन हाल से दस मील के अर्धव्यास (radius) के भीतर कोई भी नया कालेज स्थापित नहीं किया जायगा।

(३) विश्वविद्यालय के लिये यह वैध (lawful) न होगा कि वह किसी स्नातकोत्तर उपाधि (post-graduate degree) के निमित्त अध्यापन कार्य के लिये किसी कालेज को संबद्धता प्रदान करे और ऐसे किसी भी कालेज की, जो उपधारा (१) के अधीन विश्वविद्यालय से संबद्ध समझा जाय, तत्सम्बन्धी कोई भी संबद्धता सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके राज्य सरकार द्वारा नियत किये गये दिनांक से समाप्त हो जायगी।

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८०० पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ के लिये श्री रघुवीर राम के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
६—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर थाना कोतवाली के अन्तर्गत ग्राम सुसुन्डी में तारीख ३ सितम्बर, १९६२ को साम्प्रदायिक बलवा हुआ है, तो बलवे का क्या कारण है तथा इसमें कितने जान और माल की क्षति हुई ?	६—ग्राम सुसुन्डी में जो घटना हुई है उसके बारे में ऐसी सूचना है कि उस ग्राम के एक मुसलमान निवासी के वीरान मवेशी खाने में एक मरा हुआ बैल पाया गया। इस पर कुछ बदमाशों ने यह खबर फैला दी कि बैल को मुसलमानों ने मार डाला है, इस खबर के फलस्वरूप पड़ोस के ग्राम के कुछ लोगों ने सुसुन्डी ग्राम के ५ मुसलमानों के घरों पर हमला किया और ५,९८५ रु० ५० न० पै० की सम्पत्ति लूट ले गये। इस घटना में जान की कोई क्षति नहीं हुई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२७६ एल० ए०—१९६३—८५०